BRLF

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

सरकार से साझेदारी में स्वयं सेवी संस्थाओं
के कार्य के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा
स्थापित एक स्वायत्त संस्था

बीआरएलएफ

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

विषय-सूची की तालिका

अध्यक्ष का संदेश 4

1. बीआरएलएफ के बारे में 7
   - 1.1 पृष्ठभूमि 7
   - 1.2 बीआरएलएफ–मूल्य प्रस्ताव 7
   - 1.3 बीआरएलएफ के मुख्य स्तंभ 8
   - 1.4 बीआरएलएफ की शासन–व्यवस्था 9
   - 1.5 बीआरएलएफ की संगठनात्मक संरचना 10
   - 1.6 पारदर्शिता एवं जवाबदेही 11

2. कार्यक्षेत्र में बीआरएलएफ के कार्य 13
   - 2.1 पृष्ठभूमि 13
   - 2.2 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 14
   - 2.3 कृषि 15
   - 2.4 महिलाओं के नेतृत्व वाले जन–संस्थान 15
   - 2.5 जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण 16
   - 2.6 पशुधन 16
   - 2.7 अधिकार एवं हक 17
   - 2.8 बीआरएलएफ की कोविड–19 पर प्रतिक्रिया 19

3. बीआरएलएफ–उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ सहभागिता 23
   - 3.1 छत्तीसगढ़ में उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना 23
   - 3.2 जीवी दाह हासा, झारखंड में उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना 27
   - 3.3 पश्चिमी ओड़िशा के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन समूहों को प्रोत्साहन 31
   - 3.4 ऊषर–मुक्ति– पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भाग में वाटरशेड प्रणाली में मनरेगा का प्रभावकारी क्रियान्वयन 36
   - 3.5 झारखण्ड व मध्य प्रदेश के विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के जीवन को रूपांतरित करने हेतु नागरिक समाज क्रिया को सुदृढ़ करना 41
   - 3.6 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल) तथा बीआरएलएफः एक नया संबंध 43

4. सीएसओ भागीदारों की विषय–क्षेत्र संबंधी तकनीकी सहायता 44
   - 4.1 सहभागी भू–जल प्रबंधन (पीजीडब्ल्यूएम) 44
   - 4.2 गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) 47
   - 4.3 विमुक्त/घुमंतू (डीएनटी/एनटी) जनजातीयां 48

4.4 वनाधिकार कानून (एफआरए) के तहत सामुदायिक वनाधिकार (सीएफआर) पर कार्य 49
4.5 सीएफआर पर तेलंगाना सरकार के साथ संभावित भागीदारी 51

5. जनजातीय मामले मंत्रालय का श्रेष्ठता केंद्र–बीआरएलएफ 53

5.1 मोटा के नागरिक सामाजिक संगठनों का चयन 53
5.2 नागरिक सामाजिक संगठनों के चयन के विभिन्न चरण 54
5.3 शोध अध्ययन 54

6. क्षमता निर्माण 55

6.1 ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल) 55
6.2 ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए 58
6.3 अल्पकालिक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रमाणपत्र कोर्स 59
6.4 डिजिटल टूल्स के माध्यम से कार्यक्षमता वृद्धि (ईडीआईटी) 60

7. अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन 64

7.1 मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में शासन–विधि सुधार और आजीविका के लिए नागरिक समाज–राज्य–समुदायों की भागीदारीः पश्चिम बंगाल में बीआरएलएफ के ऊषर–मुक्ति कार्यक्रम पर एक अध्ययन 64
7.2 योजना "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड)" का मूल्यांकन अध्ययन। 66
7.3 जनजातीय विकास रिपोर्ट 67
7.4 एक उच्च प्रभाव वाली आजीविका सुधार परियोजनाः आधारभूत अध्ययन 67
7.5 आंकड़े और प्रलेखीकरण 68
7.6 प्रकाशन 68

8. संसाधन संग्रहण 69

9. वित्त एवं लेखा 70

9.1 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए संपरिक्षित लेखा 70
9.2 वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बजट का अनुमान 70
9.3 अंकेक्षण 70
9.4 वैधानिक अनुपालन 70
9.5 बीआरएलएफ की कोर्पस/दान निधि का परिनियोजन 70
9.6 बीआरएलएफ की वित्त एवं अंकेक्षण समिति (एफएसी) की बैठक 70
9.7 भागीदारों के अनुदान के वित्तीय प्रबंधन तथा अनुदान भागीदारों के अंकेक्षण के लिए ऑनलाईन मॉड्यूल 71
9.8 गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्त शिक्षा पहल 71
9.9 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरण 71

अध्यक्ष का संदेश

वर्ष 2020–21 के लिए भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी सभी मोर्चों पर विकास हुआ है। मार्च 2021 पर, बीआरएलएफ ने आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मध्य भारत के 8 राज्यों में 86 जिलों के 251 प्रखण्डों के 9,974 गांवों, 2,614 ग्राम पंचायतों के 7.05 लाख परिवारों के लिए के लिए संचयी पहुँच बनाई है। परिवारों को लाभान्वित करने में प्रारंभ से लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई है। लगभग 80% महिलाओं को लाभान्वित करने पर ध्यान दिया गया है तथा लगभग 76% अनुसूचित जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसकी विस्तार प्रक्रिया में, कार्यक्रम संबंधी निधि में भी प्रभावशाली तरीके से वृद्धि हुई है तथा अब यह रु. 2119.5 करोड़ संचयी है। यह अर्जित करने के लिए, बीआरएलएफ ने कुल रु. 109.41 करोड़ का निवेश किया है। इसका तात्पर्य है कि बीआरएलएफ द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए के लिए, यह सरकारी और गैर–सरकारी स्रोत से लगभग रु. 24 उत्तोलन जुटाया गया है जो कार्यक्षेत्र में व्यय किया गया है।

अति महत्वपूर्ण कदमों में से, बीआरएलएफ ने गत कुछ वर्षों में वृहत स्तरीय परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में प्रवेश किया है।

अति महत्वपूर्ण कदमों में से, बीआरएलएफ ने गत कुछ वर्षों में वृहत स्तरीय परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में प्रवेश किया है। झरनाधारा कार्यक्रम और फिर ऊषरमुक्ति कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ प्रारंभ करते हुए, बीआरएलएफ ने छत्तीसगढ़, ओड़िशा तथा झारखण्ड की सरकारों के साथ औपचारिक भागीदारी में प्रवेश किया है। यह भागीदारी नागरिक सामाजिक संगठनों (सीएसओ) को बड़े स्तर पर सक्षम बनाने से, और सरकार के साथ कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। पश्चिम बंगाल में, बीआरएलएफ ने "आज के वेतन" को "कल की आजीविका" में रूपांतरित करने के लक्ष्य के साथ राज्य के पश्चिमी भाग के 55 प्रखण्डों में मनरेगा के माध्यम से वारटशेड कार्य के कार्यान्वयन के लिए सहभागिता से वृहत स्तरीय परियोजना हेतु 2017 में मनरेगा आयुक्त से संपर्क किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम ऊषरमुक्ति है जिसमें वृहत सफलता प्राप्त हुई है और गत 4 वर्षों में कुल 1,099.28 करोड़ रुपये का उत्तोलन प्राप्त हुआ था, और 5.46 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार का सृजन गया है, क्षेत्र के कुछ छोटे किसानों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है तथा वातावरण अनुकूलन के साथ संधारणीय आजीविका सुनिश्चित की जा रही है। ऊषरमुक्ति अन्य राज्य सरकारों के लिए एक प्रेरणा–स्रोत बन गया है। छत्तीसगढ़ में, मनरेगा आयुक्त ने ऊषर मुक्ति परियोजना का दौरा करने के पश्चात बीआरएलएफ से संपर्क किया तथा सुझाव दिया कि बीआरएलएफ छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस प्रकार की भागीदारी प्रारंभ करे। बीआरएलएफ, एक्सिस बैंक फाउंडेशन तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ मेगा वाटरशेड परियोजना बनाई, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर राज्य के 26 प्रखण्डों में कार्य करने की परिकल्पना की गई। मनरेगा ने मृदा एवं जल संरक्षण के लिए रु. 234.54 करोड़ राशि के कार्य किए। जिसके लिए कुल स्वीकृत राशि 515.62 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से, हम इन प्रखण्डों में चयनित किसानों के साथ कृषि संबंधी कार्य करने में समर्थ हुए हैं। नवम्बर, 2018 में, बीआरएलएफ ने राज्य के जनजातीय बहुल 40 प्रखण्डों में किसानों को संगठित करने व एकत्रित करने और उन्हे बाजार से जोड़ने पर एक परियोजना के लिए बागवानी विभाग, कृषक अधिकारिता विभाग तथा ओड़िशा आजीविका मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। 2,187 परियोजना

गांवों से 101,575 परिवारों को 932 उत्पादक समूहों से जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत कुल 182.76 करोड़ रुपए उत्तोलन किए गए हैं। वर्ष 2020 में, बीआरएलएफ ने राज्य के 24 प्रखण्ड़ो में फैली वाटरशेड परियोजना के लिए मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना 4 वर्षों के लिए लगभग रु. 562.73 करोड़ के मनरेगा व्यय से परिकल्पित है। बीआरएलएफ और वेल्ट हंगर हिल्फ ने मिलकर नागरिक सामाजिक संगठनों की सुविधा खर्चों को वहन किया है। इस वर्ष परियोजना की गतिविधियां प्रारंभ की गई है और यह साझेदारी उस विचार की सफलता को दर्शाती है जिसके लिए बीआरएलएफ को – भारत के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे गरीब लोगों की आजीविका के लिए राज्य और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

यह भी बहुत हर्ष का विषय है कि बीआरएलएफ को जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय ने बीआरएलएफ से अपने एनजीओ भागीदारों की स्क्रीनिंग, चयन और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने इसकी अनुदान सहायता योजना के तहत अनुदान प्राप्त किया है। इसने बीआरएलएफ से इस योजना का मूल्यांकन करने का भी अनुरोध किया है जिसे बीआरएलएफ के अनुसंधान स्तंभ द्वारा पूरा किया गया है।

क्षमता निर्माण स्तंभ ने जनजातीय नेतृत्व की क्षमताओं को आगे बढ़ाने व निर्माण करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ नई भागीदारी की है। ग्रामीण आजीविका पर प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तीन पूर्व–छात्रों ने डिसोम, दि लीडरशिप स्कूल द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कोर्स में भाग लिया है। आईआईएचएमआरयू, जयपुर से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए करने के लिए 7 आदिवासी छात्रों को सहायता प्रदान की जा रही है, इस समझ के साथ कि यह युवा वापस जाएंगे और अपने जीवन के कुछ वर्षों से अपने क्षेत्रों में योगदान देंगे।

बीआरएलएफ के छोटे जीवन में वर्ष 2020–21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि यह देश के सबसे गरीब, आदिवासी और वर्षा पर निर्भरता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में आबादी को सशक्त बनाने के अपने मिशन पर आगे बढ़ता है। क्योंकि यह एक ऐसा वर्ष है जब बीआरएलएफ ने भविष्य में उन्नति के लिए कई साहसिक निर्णय लिए हैं, जो वह लेना चाहता है। इनमें अपने कार्य में आजीविका के अतिरिक्त मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र और विषय संबंधी क्षेत्रों से परे भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करने का निर्णय शामिल हैं। यह निर्णय बीआरएलएफ के सामान्य निकाय द्वारा मार्च 2021 को आयोजित की गई इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे तथा जो जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सक्षम संगठन के तौर पर बीआरएलएफ के जीवन में एक नया अध्याय चिन्हित करेगा। जनवरी 2021 में, बीआरएलएफ को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में काम करने का निमंत्रण मिला। इस कार्य के लिए प्रारंभिक खोज शुरू हो गई है और हमें आशा है कि जल्द ही इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

हम अपनी विकास–यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, मैं अपने सभी भागीदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक नया मार्ग तय करने के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय और हमारे ईसी एवं जीबी के सदस्यों तथा सभी संबंधित राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बीआरएलएफ की विकास–यात्रा को सफल और अद्वितीय बनाने के लिए मिलकर काम किया है।

जी.एन. देवी
अध्यक्ष

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है। बीआरएलएफ को 3 सितम्बर, 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के माध्यम से संस्थापित किया गया था, जिसमे मंत्रीमंडल ने सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज कार्य के उत्थान हेतु एक स्वतंत्र समिति स्थापित करने हेतु विचार किया था।

1. बीआरएलएफ के बारे में

1.1 पृष्ठभूमि

बीआरएलएफ को पूरे भारत में लोगों की आजीविका व जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज के कार्य को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। बीआरएलएफ का मुख्य कार्यवाहक क्षेत्र पूरा भारत है, बीआरएलएफ प्रारंभिक तौर पर ध्यान देने से मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र पर केंद्रित है जो विशेष रूप से ओड़िशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में 190 जिलों में लगभग 1077 खण्डों (2011 जनगणना के अनुसार) में >20% आदिवासी आबादी के साथ खण्डों/तहसीलों/तालुका अथवा मंडलों पर केंद्रित है।

ग्रामीण निर्धनों के जीवन को रूपांतरित करने के लिए, बीआरएलएफ ने प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान, सिंचाई जल की वृद्धि व कृषि के विकास, आजीविका के प्रोत्साहन, पशुधन व ऑफ–फार्म आजीविका सहित महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए वित्त पर ध्यान केंद्रित किया है। बीआरएलएफ निर्धनता निवारण पर लक्षित सभी अग्रणी हस्तक्षेपों से महिलाओं के नेतृत्व वाले जमीनी स्तर पर सशक्त संस्थान बनाने पर बल देता है। बीआरएलएफ सीएसओ के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी द्वारा अपने महत्वपूर्ण उत्पादन एवं परिणाम प्राप्त करता है। सरकार व निगमों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम प्रारूप के मध्य अंतर को कम करने के लिए बीआरएलएफ पृष्ठभूमि पर समुदायों के साथ कार्यरत मूलभूत सीएसओ के साथ सक्रियता से कार्य करता है।

अंतिम कुछ वर्षों से, बीआरएलएफ ने तथ्यों को मान्यता देते हुए राज्यों के साथ भागीदारी प्रविष्ट की है, राज्य सरकारों के मध्य भागीदारी, जो कई केंद्रीय ध्वज–पोत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रबंधन करती है, तथा जिसके परिणामस्वरूप सीएसओ सभी हितधारकों के लिए परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वन करते हैं।

1.2 बीआरएलएफ–मूल्य प्रस्ताव

बीआरएलएफ ग्रामीण निर्धनों, विशेष रूप से आदिवासियों के जीवन को रूपांतरित करने हेतु सभी प्रकार के हस्तक्षेपों का समर्थन करता है।

अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बीआरएलएफ निम्नलिखित पर लक्षित है:

- आजीविका सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की पहल का समर्थन करना
- किसानों की आय को दुगुनी करना
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के साथ पंक्ति में प्राकृतिक कृषि के रूप में एनपीएम कृषि को आगे बढ़ाना
- अटल भूजल योजना के अनुरूप भागीदारी भूजल प्रबंधन करना
- सरकारी ध्वज–पोत कार्यक्रमों में सुधार करना
- ग्रामीण आजीविका सुधार में नवाचार करना
- एनटीएफपीएस तथा फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास करना
- सबसे उपेक्षित क्षेत्रों तथा पीवीटीजीएस के साथ कार्य करना।
- ग्रामीण पेशेवरों की क्षमता का निर्माण करना।
- छोटे समुदाय आधारित संगठनों की क्षमता का निर्माण करना।
- एनजीओ भागीदारी के लिए राज्यों को एक खिड़की प्रदान करना
- एनजीओ के समर्थन में पारदर्शिता लाना।

संधारणीय विकास लक्ष्य

बीआरएलएफ के कार्य संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा समर्थित प्रत्येक परियोजना लगातार अपने ध्वज–पोज कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकों, केंद्र सरकार द्वारा पृष्ठभूमि पर उपलब्ध किए गए संसाधनो से लाभ प्राप्त कर रही है। बीआरएलएफ इन सरकारी कार्यक्रमों से सीएसओ को लाभ पहुंचाने वाली निधि में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान करता है जो सीएसओ भागीदारों को क्षेत्र की विवादास्पद वास्तविकता के कारण वांछित होती है। बीआरएलएफ की क्षमता निर्माण पहल सरकार, सीएसओ तथा समुदाय के विकासात्मक हस्तक्षेप के समर्थन करने के लिए पेशेवरों के विकास का एक पूल बनाना चाहती है।

सरकार से निधि के लाभ के अलावा, भागीदार सीएसओ को अपने स्वयं अथवा अन्य वित्त पोषण स्रोत से परियोजना लागत के भाग के रूप में संसाधन की आवश्यता होती है। इसके अलावा, गारंटी (पेशेवरों के वेतन के अलावा अन्य) द्वारा प्रशासनिक उद्देश्य पर व्यय करने से निधि के समानुपात पर नियंत्रण रखा गया है।

1.3 बीआरएलएफ के मुख्य स्तंभ

बीआरएलएफ अपने तीन वृहत स्तंभों – कार्यक्रमों (भागीदारों को अनुदान हेतु), अनुसंधान, तथा क्षमता निर्माण में अपनी रणनीतिक नियुक्ति के माध्यम से अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करती है।

अनुदान सहयोगः *वित्तीय व तकनीकी सहायता के माध्यम से विशेष तौर पर मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में नागरिक समाज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।*

- भागीदारों के माध्यम से सरकारी ध्वज–पोत कार्यक्रमों में परिणामों में सुधार करना।
- सीएसओ का मानव संसाधन तथा संस्थागत लागतें
- एनआरएम तथा आजीविका में प्रमाणिक हस्तक्षेपों को उचित मात्रा में बढ़ाना
- अभिनव मार्गदर्शक करना
- छोटे सीएसओ का संस्थागत मजबूतीकरण करना
- सीएसओ तथा राज्य संस्थानों के मध्य अभिसरण अभ्यास

क्षमता निर्माण: *जमीनी स्तर पर क्षमता–अंतर चुनौती का प्रत्युत्तर देना*

- श्रेष्ठ विकास व्यवसायी, अकादमी संस्थान व विशेषज्ञों के साथ सहभागिता करना
- विकास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना
- सरकारी अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा सीएसओ की क्षमता का निर्माण
- बीआरएलएफ के भागीदारों व व्यवसायी हेतु सह–शिक्षा प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करना

अनुसंधान: *बीआरएलएफ के भागीदारों द्वारा कार्यक्षेत्र में बनने वाले अनुभव के सेतु से ज्ञान निर्माण एवं प्रसार करना, सीखना*

- ध्वज–पोत कार्यक्रम पर अनुसंधान अध्ययन, नीति संक्षिप्त करना
- सर्वोत्तम प्रथाओं तथा नवीन परियोजनाओं पर मामले का अध्ययन (केस स्टडीज) करना
- एनआरएम तथा आजीविका पर प्रकाशन तथा पॉलिसी पेपर्स
- अध्येतावृत्ति और प्रशिक्षुता कार्यक्रम

1.4 बीआरएलएफ की शासन–व्यवस्था

बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) तथा शासन निकाय (जीबी) में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, नागरिक समाज, तथा निगम क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, और सामाजिक आर्थिक अधिकारहीन समूह, विशेषतौर पर मध्य भारत के आदिवासियों के मुद्दों को प्रमाणित करने, अनुभव, समझने व प्रेषण करने वाली परोपकारी फाउंडेशनों से प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं।

बीआरएलएफ ने नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी अनिवार्य जीबी तथा ईसी बैठकों का आयोजन किया है। बीआरएलएफ की स्थापना के समय से 10 जीबी व 20 ईसी बैठकों का आयोजन किया गया है। शासन में सहायता हेतु बीआरएलएफ बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वित्त एवं अंकेक्षण समिति, विमुक्त जनजाति व घुमंतू जनजाति (डीएनटी–एनटी) पर समिति तथा मानव संसाधन समिति शामिल है। वर्ष 2019–20 में, दो नई समितियां स्थापित की गई थी, जिसमें क्षमता निर्माण पर सलाहकार समिति व अनुसंधान सलाहकार समूह शामिल किया गया था।

1.5 बीआरएलएफ की संगठनात्मक संरचना

बीआरएलएफ का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं, जो पेशेवरों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा समर्थित है।

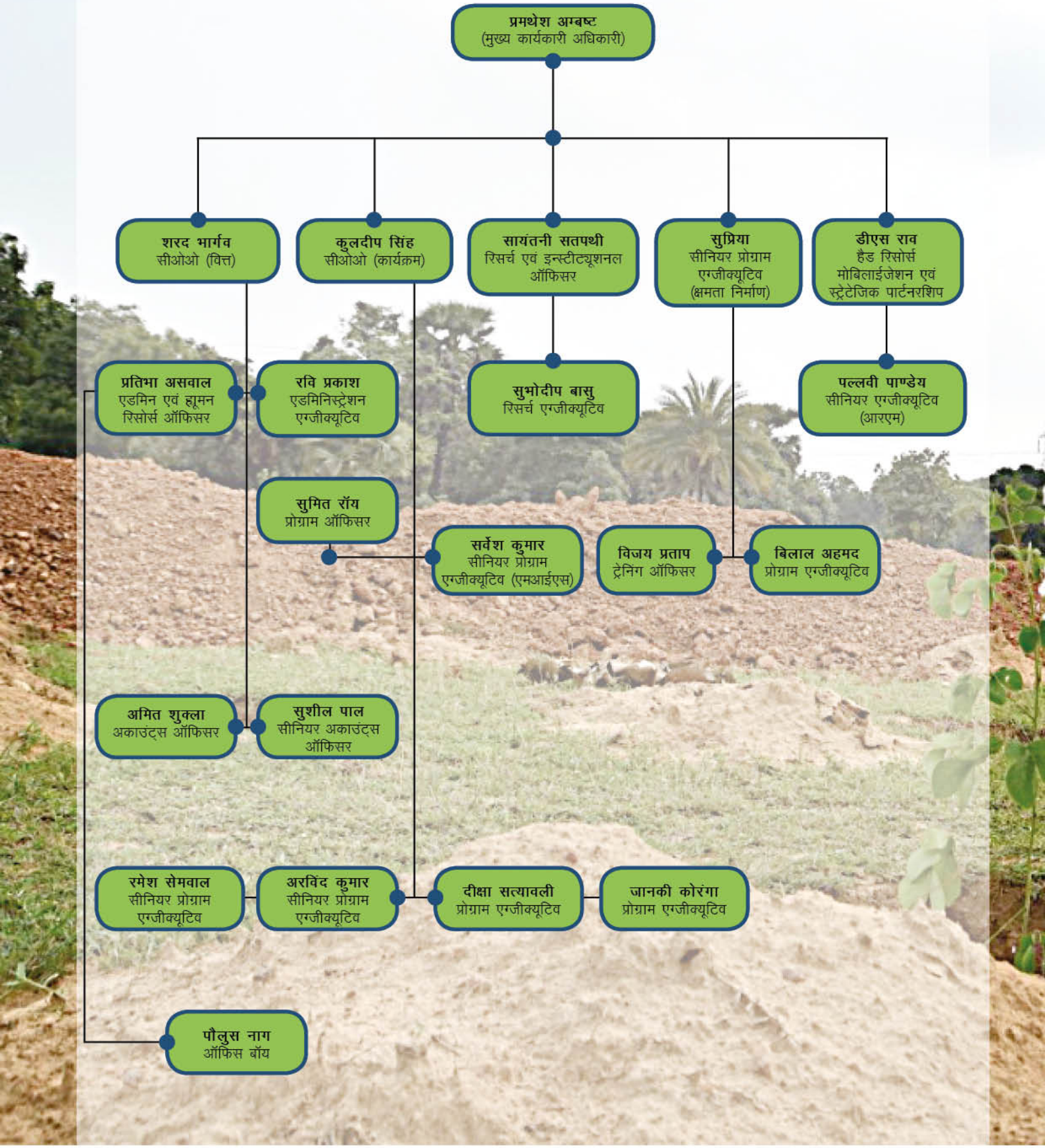

1.6 पारदर्शिता एवं जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को स्थापित करने के लिए, बीआरएलएफ ने वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों दोनों को वेबसाइट पर रखकर अपने खातों और गतिविधियों का पूर्ण प्रकटीकरण किया है। परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बीआरएलएफ ने माइक्रोवेयर कंप्यूटिंग एंड कंसल्टिंग लिमिटेड के तकनीकी समर्थन के साथ वर्ष 2018 में प्रस्ताव और परियोजना प्रबंधन के लिए अपना समर्पित एमआईएस सॉफ्टवेयर टूल विकसित और प्रारंभ किया है। बीआरएलएफ सॉफ्टवेयर एक ऑनलाईन रीयल–टाइम आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम है, और यह सीएसओ को किसी भी समय स्वयं को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है।

प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं

- भागीदारों का पंजीकरण और सत्यापन (बड़े भागीदारों के लिए भूगोल सहित) – पहचान और अनुमोदन प्रक्रिया स्थिति अद्यतन करना।
- प्रस्ताव प्रबंधन – प्रस्ताव लेखन, प्रस्तुतीकरण, प्रस्ताव पूल प्रबंधन और प्रतिक्रिया प्रबंधन करना।
- परियोजना प्रबंधन – संगठन के साथ ज्ञान साझा करना, स्वीकृत योजना का निर्माण, वर्षवार प्रस्ताव योजना निर्माण और वास्तविक समय की रिपोर्टिंग करना।
- विशिष्ट आईडी आवंटन के साथ व्यक्तिगत घरेलू आधार–रेखा। व्यक्तिगत परिवार आईडी के माध्यम से विषयगत और भौगोलिक रूप से कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग करना।
- बीआरएलएफ आरटीआई का अनुपालन करता है तथा सी एवं एजी अंकेक्षण के अधीन है। बीआरएलएफ की स्थापना से लेकर वर्ष 2017–18 तक सी एवं जी अंकेक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं। बीआरएलएफ की वार्षिक रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा है। बीआरएलएफ की अंकेक्षण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद के समक्ष रखी जाती है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संसद अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर बीआरएलएफ द्वारा दिया जाता है।

2. कार्यक्षेत्र में बीआरएलएफ के कार्य

मार्च 2021 तक, बीआरएलएफ की पहुँच आजीविका के विभिन्न विषयों पर मध्य भारत के 86 जिलों के 9974 गांवों, 2614 ग्राम पंचायतों, 251 प्रखण्डों के 7.05 लाख परिवारों तक है। प्रारंभ की अपेक्षा अब परिवारों में पहुंच में लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई है। लगभग 80% महिलाओं तक पहुंच लक्षित है तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 76% परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

2.1 पृष्ठभूमि

बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह–वित्त और अन्य उत्तोलन समर्थन

मार्च 2021 तक, बीआरएलएफ की पहुँच आजीविका के विभिन्न विषयों पर मध्य भारत के 86 जिलों के 9974 गांवों, 2614 ग्राम पंचायतों, 251 प्रखण्डों के 7.05 लाख परिवारों तक है। प्रारंभ की अपेक्षा अब परिवारों में पहुंच में लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई है। लगभग 80% महिलाओं तक पहुंच लक्षित है तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 76% परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

इस विस्तार की प्रक्रिया में, कार्यक्रम संबंधी निधि का लाभ भी प्रभावकारी तरीके से बढ़ा है और अब यह 2119.5 करोड़ रुपये से संचयी है। इसमें राज्य की भागीदारी से 67% और स्टैंडअलोन आजीविका परियोजनाओं से 33% आता है।

स्थापना के बाद से संसाधन उत्तोलन (संचयी) में वृद्धि (करोड़ रुपये)

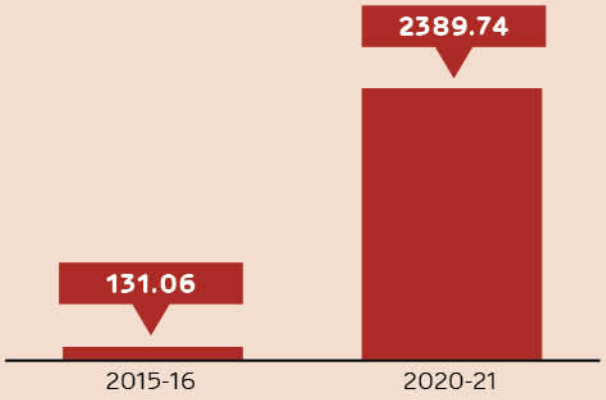

इसे प्राप्त करने के लिए, बीआरएलएफ ने कुल 109.41 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में कुल उत्तोलन और सह–वित्त अनुपात 1:24 है, अर्थात बीआरएलएफ द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, यह सरकारी और गैर–सरकारी संसाधनों के माध्यम से लगभग 24 रुपये का लाभ उठाता है।

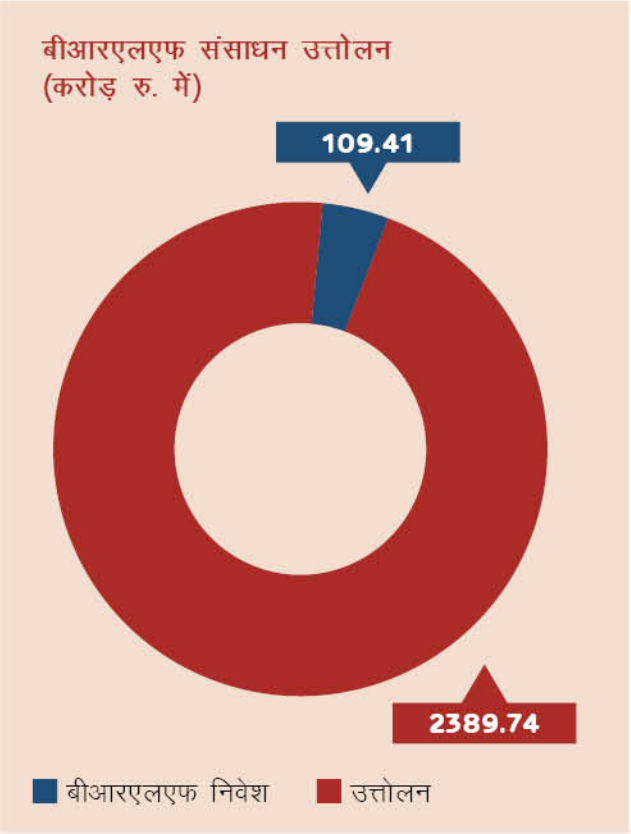

2.2 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

किसी भी विशिष्ट शुष्क भूमि क्षेत्र की तरह, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में भी वर्षा कम, अत्यधिक और अनिश्चित होती है और बारिश के दिनों में लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्य हमेशा बीआरएलएफ के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में समझे गए है। हमारे हस्तक्षेपों का उद्देश्य खरीफ मौसम में शुष्क अवधि के दौरान महत्वपूर्ण "जीवन रक्षक" सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करना और पूरे वर्ष सभी घरों के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना है। हम एनआरएम कार्य को महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश के रूप में देखते हैं जो सबसे गरीब किसानों द्वारा भी कृषि भूमि पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। अध्ययनों द्वारा पुष्टि की गई है कि यह आम तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के गर्म होने की दिशा में एक लौकिक झुकाव है। योजना आयोग के 12वें योजना दस्तावेज (खंड II) में "शुष्क और गर्म मौसम दोनों, विशेष रूप से पिछली तीन योजना अवधियों के दौरान एक अलग प्रवृत्ति" को नोट किया गया है (योजना आयोग, 2012)। यह बताता है कि खरीफ फसल के सापेक्ष महत्व में कमी के साथ, मानसून वर्षा से अधिक, यह वार्षिक वर्षा है जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दोनों में रुझान गिरावट और औसत तापमान में वृद्धि दर्शाता है। भारत के संदर्भ में, यहां पर गरीब, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर, ग्रामीण परिवार हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव का सबसे अधिक भार वहन करते हैं।

इस विषय पर हमारे काम का उद्देश्य राज्य के कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, मिट्टी के कटाव के नियंत्रण के लिए काम करना और इन–सीटू नमी के संरक्षण से संसाधनों का लाभ उठाकर जलवायु अनुकूलन बनाना है।

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र (हेक्ट. में)	8108	30395
वृक्षारोपण से लाभान्वित परिवारों की संख्या	8108	27032
एनटीएफटी मूल्य श्रृंखला में परिवारों की संख्या	109	47671
स्थापित किए गए एमएफपी के संग्रहण केंद्रों की संख्या	174	978
निर्माण किए गए जलसंचयन के ढाँचों की संख्या (जैसे चैक बांध, नहर, एलआई, फार्म पोंड आदि)	29985	48309
जल संचयन ढाँचों से लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या	29989	266645
खोदे गए कुओं की संख्या	1172	6152
खोदे गए कुओं से लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या	1172	8770
भूमि विकास जैसे मेढ़बंदी आदि के तहत क्षेत्र	7818	44852
निश्चित सिंचाई के तहत शामिल कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	69	58567
विकसित किया गया कुल परती भूमि क्षेत्र (हेक्ट.)	69	7044
भूमि विकास के उपायों से लाभान्वित परिवारों की संख्या	6	43103

2.3 कृषि

बीआरएलएफ का मानना है कि पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम करना आवश्यक है, लेकिन यह मध्य भारत की जनजातीय शुष्क भूमि के लिए सूखा–उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पानी के अंतिम अर्थात अधिकतम उपयोग पर काम करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे 80–90: पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। बीआरएलएफ कृषि के लिए कीटनाशक–रहित प्रबंधन (एनपीएम) दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। एनपीएम गतिविधि का विचार किसानों को बिना किसी रासायनिक कीटनाशकों के फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी उपज के लिए एक पहचान बनाना और इन छोटे उत्पादकों को बाजारों से जोड़ना है। एनपीएम कृषि रासायनिक उर्वरकों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के साथ उचित प्रबंधन प्रथाओं (जैसे कृषि अवशेषों की खाद और पुनर्चक्रण, फार्म यार्ड खाद का उपयोग, पशु मूत्र, हरित खाद वाली फसलें, और टैंक गाद का उपयोग) के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता के निर्माण पर बल देती है। हमारे कृषि कार्यक्रमों में, हमारा उद्देश्य सूखी बुवाई, फसल पैटर्न में बदलाव, फसल की किस्म में बदलाव, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, जैविक मल्चिंग और अन्य के बीच में गेहूं/चावल की गहनता जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

2.4 महिलाओं के नेतृत्व वाले जन–संस्थान

विशिष्ट विषयगत हस्तक्षेप तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक वह समुदाय पर आधारित नहीं होंगे। इस संबंध में, बीआरएलएफ की रणनीति महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों के गठन को सुविधाजनक बनाने और समर्थन करने की रही है जो अपने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में सभी विकास प्रयासों का नेतृत्व करते हैं। बीआरएलएफ के भागीदार इन संस्थानों को बनाने, उनके मजबूतीकरण और उनकी क्षमताओं के निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं।

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
उन्नत कृषि से जुड़े परिवारों की संख्या (उन्नत बीज, किस्म संबंधी परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज उपचार आदि)	51832	718761
एसआरआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	11775	319053
एसआरआई के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1189	68854
एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	8	171041
एसडब्ल्यूआई के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0	53916
एनपीएम/सीए अपनाने वाले परिवारों की संख्या	12733	113057
एनपीएम/सीए के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	12305	58319
उन्नत सब्जी उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	8919	335535
उन्नत सब्जी उत्पादन के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	371	131659
उन्नत सब्जी उत्पादन के लिए बनाए गए शेडनेट की संख्या	81	16917
बागवानी प्रोत्साहन के तहत क्षेत्र (वाडी/बाग) (हेक्टेयर में)	15217	47098
बागवानी के लिए विकसित इकाईयों की संख्या	15217	53132
बागवानी संवर्धन से जुड़े परिवारों की संख्या	15217	74367
धान के प्रत्यारोपण से जुड़े परिवारों की संख्या	2076	47812
धान के प्रत्यारोपण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	159	13378
उन्नत दलहन व तिलहन उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	21194	266070
उन्नत दलहन/तिलहन/बाजरे के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1361	62216
रसोई वाटिका से जुड़े परिवारों की संख्या	1594	63542
बाढ़ एवं क्षार सहिष्णु धान के उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	0	8673
कृषि संवर्धन से जुड़े परिवारों की संख्या, परस्पर व्याप्त को छोड़कर	206900	683240

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
कुल स्वयं सहायता समूह	646	47779
स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की कुल संख्या	7106	626697
स्वयं सहायता समूहों में एसटी परिवारों की कुल संख्या	6737	514552
एनआरएलएम के साथ जुड़े स्वयं सहायता समूहों की संख्या	0	24182
स्वयं सहायता समूह की बचत (लाख में)	0	8693
बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की संख्या	3	22124
बैंक एवं अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण की राशि (लाख में)	4	10725
नए माइक्रो उद्योग प्रारंभ करने वाले परिवारों की संख्या	61	19211
गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ की संख्या	678	11088
अन्य वीएलआई/सीबीओ में सदस्यों की संख्या	0	255090
वीएलआई/सीबीओ में एसटी परिवारों की संख्या	0	109100
उन्नत एफपीओ की संख्या	6	131
एफपीओ के सदस्यों की संख्या	400	41382
एफपीओ में एसटी परिवारों की संख्या	400	33560

2.5 जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण

जबकि सरकारी खर्च अधिक से अधिक जमीनी स्तर पर केंद्रित है, ग्राम पंचायत के साथ ध्वज–पोत सरकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा में प्रमुख व्यय–कर्ता व कार्यान्वयनकर्ता बना है, यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर क्षमताओं को मजबूत किया जाए। ऐसी क्षमताओं के बिना, परिव्यय जमीनी स्तर पर खुद को परिणामों में परिवर्तित नहीं करते हैं। बीआरएलएफ अपने भागीदारों के माध्यम से आजीविका के विभिन्न पहलुओं पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य यह है कि यह स्थानीय संसाधन व्यक्ति अपने क्षेत्र का नेतृत्व संभालेंगे और वहां पर विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे।

2.6 पशुधन

विविधीकरण केवल फसल प्रणालियों पर ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि यह मध्य भारत में आदिवासियों की आजीविका के सभी विकल्पों में भी अपनाना चाहिए। वास्तव में, आजीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रमुख सुरक्षा है क्योंकि यह सभी अंडों को एक टोकरी में रखने की तुलना में लचीलापन प्रदान करता है। मध्य भारत की जनजातीयों में, विशेष रूप से, वर्षा आधारित पशुधन प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुधन मध्य भारत के जनजातीय समुदायों की आजीविका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इस सूखा उन्मुख क्षेत्र में अधिकांश परिवारों में मवेशियों के साथ–साथ छोटे पशु भी

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
बनाए गए सीआरपी की संख्या	0	9917
बनाए गए महिला सीआरपी की संख्या	0	5685
विषयक (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/एसएचजी/माइक्रो उद्यम आदि) पर संचालित प्रशिक्षण/प्रदर्शनों की संख्या	564	78889
प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों की संख्या	3848	1079313
प्रशिक्षित महिला सदस्यों की संख्या	2463	871150
प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या	162	6521
प्रशिक्षित पीआरआई सदस्यों की संख्या	74	15246
एफआरए के तहत लाभान्वित परिवारों की संख्या	556	8204

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
डेयरी विकास से जुड़े परिवारों की संख्या	259	124289
बकरी पालन से जुड़े परिवारों की संख्या	3461	257630
मुर्गीपाल इकाई विकास से जुड़े परिवारों की संख्या	23	22859
घर के प्रांगण में मुर्गीपालन करने वाले परिवारों की संख्या	3062	50377
मत्स्यपालन/शूकर पालन में जुड़े परिवारों की संख्या	1986	21986
टीकाकरण, पशु आहार, आश्रय, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	62244	440718
पशुधन संवर्धन से जुड़े परिवारों की संख्या, परस्पर व्याप्त को छोड़कर	69494	433545

होते हैं। पशुधन आजीविका परिसंपत्तियों के रूप में योगदान देता है, जो परिवारों की उन्नति के साथ साथ जीवन में मौजूदा पहलूओं में, वास्तव में तरल आय में योगदान करता है। पशुओं में रोगों के अधिक फैलाव और उच्च मृत्यु दर पशुधन उत्पादन प्रणालियों के लिए प्रमुख बाधाएं हैं। बीआरएलएफ मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में पशुपालन से आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अपने भागीदारों के साथ कार्य करता है।

2.7 अधिकार एवं हक

बीआरएलएफ अपने भागीदारों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि सबसे गरीब लोगों को उनके लिए कई अधिकारों और योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जिनमें मनरेगा, वनाधिकार अधिनियम, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना आदि शामिल हैं।

विवरण	2020–21	मार्च 2021 तक संचयी
वनाधिकार अधिनियम से लाभान्वित परिवारों	556	8204
निपटाए गए एफआरए के दावों की संख्या	556	4452
स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े परिवारों की संख्या	19	143076
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से जुड़े परिवारों की संख्या	6068	107917
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से जुड़े परिवारों की संख्या	5977	62285
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से जुड़े परिवारों की संख्या	14	206207
प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़े परिवारों की संख्या	1689	50565
मनरेगा के अंतर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	652	142203
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	0	21811
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	350	61711
ग्रामीण पेयजल/स्वच्छता योजना से समर्थित परिवारों की संख्या	930	64011
अन्य ध्वजवाहक योजनाओं से जुड़े एसटी परिवारों की संख्या	356	135895
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं– जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम योजनाएं आदि से लाभान्वित परिवारों की संख्या	1277	275146
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (कृपया नाम लिखें) से लाभान्वित परिवारों की संख्या	0	135052
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में परिवारों की संख्या	189	3895
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में परिवारों की संख्या	4505	6170
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में परिवारों की संख्या	7521	9653

BRLF
April 2020

2.8 बीआरएलएफ की कोविड–19 पर प्रतिक्रिया

कोविड–19 महामारी के कारण बनी विकट स्थिति को देखते हुए, तथा भागीदारों से प्राप्त नियमित प्रतिपुष्टि पर बीआरएलएफ ने मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले परिवारों तथा महामारी से अलग–अलग तरह से प्रभावित लोगों के लिए अंतरिम तथा दीर्घकालिक राहत उपाय प्रारंभ करना निश्चित किया था। इन हस्तक्षेपों में मार्गदर्शन करने के लिए बीआरएलएफ द्वारा "आपदा राहत एवं पुनर्वास समिति" शीर्षक से एक समिति गठित की गई थी।

बीआरएलएफ के कोविड–19 प्रतिक्रिया उपायों के निम्नलिखित लक्ष्य थे

क) ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 के तेजी से फैलाव को कम करना तथा

ख) गरीब व हाशिए पर परिवारों, विशेष तौर पर मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय प्रवासी श्रमिकों से लॉकडाउन के प्रभाव को कम करना।

बीआरएलएफ ने दो चरणों राहत उपायों के क्रियान्वयन की योजना बनाई– राहत कार्य का प्रथम चरण प्रवासी व अधिक प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने से लक्षित था और प्रमुख लक्ष्य सबसे अधिक कमजोर परिवारों को 20 से 25 दिनों के लिए सूखा राशन प्रदान करना तथा संक्रमण के फैलाव से ग्रस्त गांव/पंचायत स्तरीय संगरोध (क्वारेंटाईन) केंद्रों में रिक्ति भरने अर्थात किसी वस्तु के अभाव के लिए सहायता प्रदान करना था।

दूसरा चरण – राहत व पुनर्वास कार्य

दूसरे चरण में, मुख्य रूप से सबसे अधिक हाशिए पर और गरीब परिवार, जो महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, की आजीविका के पुनर्वास पर केंद्रित था। सीमांत किसानों को रबी की कटाई और खरीफ फसल की बुवाई के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, प्रवासी और भूमिहीन परिवारों को वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के साथ सहायता प्रदान की गई थी। रणनीतिक रूप से, बीआरएलएफ ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जो थे:

ए) अधिक आंतरिक एवं असेवित

बी) खराब संसाधन

सी) उच्च प्रवास का इतिहास रहा हो

डी) सबसे कमजोर परिवार हों

ई) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों द्वारा अंतर्निहित न होने वाले क्षेत्र

बीआरएलएफ ने जनजातीय व सबसे अधिक कमजोर समुदायों की आजीविका में सुधार करते हुए तथा पृष्ठभूमि पर अपनी सुदृढ़ उपस्थित के साथ 17 क्रियान्वयन भागीदारों के सहयोग से राहत एवं पुनर्वास कार्य में दूसरे चरण का निष्पादन किया। इन अल्प व दीर्घकालिक राहत व पुनर्वास उपायों के माध्यम से, बीआरएलएफ ने ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के 13 जिलों से 8346 परिवारों तक पहुंच बनायी।

प्रथम चरण राहत कार्य का आशुचित्र (स्नैपशॉट):

पहुंच	
भागीदार	14
राज्य	पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
जिला	11
खण्ड	14
ग्राम पंचायत	188
गांव	520
सूखे राशन का वितरण	9081 परिवार
चेहरा के मास्क का वितरण	5550 परिवार
तौलिया एवं अन्य स्वच्छता की वस्तुओं का वितरण	739
संगरोध (क्वारेंटाईन) केंद्रों पर वितरित की गई सूखे राशन की किटें	300
सहायता प्राप्त संगरोध (क्वारेंटाईन) केंद्रों की संख्या	27 केंद्र
बजट का उपयोग	अनुमोदित बजट: 75.78 लाख
	व्यय: 75.71 लाख

प्रमुख हस्तक्षेपों व परिणामों का सारांश

कार्रवाई का उद्देश्य	प्रमुख हस्तक्षेप	परिणाम
सबसे कमजोर परिवारों को भोजन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के साथ दिनों को सुनिश्चित व विस्तारित करन	कोविड–19 प्रभावित परिवारों को सूखे राशन की सामग्री का वितरण	सूखे राशन की सामग्री वितरण द्वारा 3350 परिवारों का सहायता की गई थी।
	0 से 3 आयु के बच्चों वाले परिवारों को शिशु आहार सामग्री का वितरण	200 परिवारों को शिशु आहार सामग्री प्रदान की गई थी।
संक्रमण को न्यूनतम करने हेतु कोविड 19 के प्रसार को कम करना	संगरोध (क्वारेंटाईन) केंद्रों की स्थिति का आकलन करना तथा अंतरालों को भरने अर्थात आवश्यक सामग्री प्रदान करने में सहायता करना	मास्क, तौलिया, सैनेटाईजर व अन्य अनिवार्य वस्तुओं के वितरण द्वारा कुल 3 संगरोध (क्वारेंटाईन) केंद्रों को सहायता प्रदान की गई थी।
	अंतरिम राहत के तहत परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु मास्क व स्वच्छता सामग्री का वितरण	3350 परिवारों को स्वच्छता किटों से सहायता की गई थी, जिसमें अनिवार्यत: मास्क व सेनिटाईजर शामिल किया गया था
	राहत कार्ये में तैनात सीएसओ स्टाफ को पीपीई किट प्रदान करना	60 संख्या सीएसओ स्टाफ को पीपीई सामग्री प्रदान की गई थी
गरीब, सीमांत किसानों व प्रवासी परिवारों की आजीविका का पुनर्वास करना	अधिकतम 2 एकड़ तक भूमि वाले सीमांत किसानों को बीज व अन्य आदान प्रदान करना	कृषि संबंधी आदान सहायता से 3768 संख्यक परिवार लाभान्वित हुए
	समुदाय द्वारा प्रबंधित बीज बैंक के प्रोत्साहन द्वारा गांवों में स्वदेशी बीजों की किस्मों का संरक्षण व उपलब्धता सुनिश्चित करना	बीज तथा/अथवा भण्डारण उपकरण के नए भण्डार की खरीददारी द्वारा 60 सामुदायिक बीज बैंकों का मजबूतीकरण किया गया।
	हाल ही में शहरों से अपने गांवों में वापस आए भूमिहीन प्रवासी परिवारों को वैकल्पिक आजीविका विकल्प प्रदान करना	वैकल्पिक आजीविका विकल्प–पशुधन एवं एनटीएफपी के लिए 1028 प्रवासी परिवारों को आदान व परिसंपत्ति सहायता प्रदान की गई
विभिन्न सरकारी योजनाओं (पीडीएस, मनरेगा आदि) के साथ उन्हे जोड़ने द्वारा समुदाय के अधिकार व हकदारी सुनिश्चित करना	विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीडीए, मनरेगा आदि के साथ परिवारों को जोड़ना	विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा आदि के साथ 11973 परिवारों को जोड़ा गया
	सरकारी योजनाओं के तहत सेवा प्राप्त न करने वाले कमजोर परिवारों को पीएफओ की पहुंच के माध्यम से रु. 25000 की प्रत्यक्ष नकदी सहायता प्रदान करना	3 एफपीओ को रु. 25000 की प्रत्यक्ष नकदी सहायता प्रदान की गई

एक नज़र में पहुंच

क्र.सं.	प्रगति को समझने के संकेतक और आवृत्त क्षेत्र	इकाई	31 जुलाई 2020 तक भौतिक प्रगति		
			लक्ष्य	उपलब्धि	घाटा/अधिशेष
1	आवृत्त किए गए जिले	संख्या	16	16	0
2	आवृत्त किए गए खण्ड	संख्या	17	17	0
3	आवृत्त की गई ग्राम पंचायत	संख्या	262	262	0
4	आवृत्त किए गए गांव	संख्या	619	613	-6
5	कोविड–19 प्रभावित परिवारों को वितरित की गई राशन सामग्री	संख्या	3350	3350	0
6	सीएसओ स्टाफ सदस्यों के लिए पीपीई (स्टाफ की संख्या)	स्टाफ	53	60	7
7	आईईसी सामग्री (किट में डाली गई)	किट	2850	2850	0
8	बेसलाईन सर्वेक्षण आयोजित किए गए गांवों की संख्या	गांव	309	303	-6
9	सभी हस्तक्षेपों के लिए निर्धारित कमजोर परिवारों की संख्या	परिवार	3381	3447	66
10	परिवारों को वितरित की गई शिशु आहार सामग्री	संख्या	200	200	0
11	अंतराल भरने के लिए आदान/उपकरण सहायता द्वारा आवृत्त पृथक्करण (आईसोलेशन) शिविरों की संख्या	शिविर	3	3	0
12	गरीब व कमजोर परिवारों को अगले फसल के मौसम के लिए– बीज, उर्वरक, जल के पम्प, सामूहिक जुताई के लिए हार्वेस्टर/थ्रेशर व ट्रेक्टर को किराये पर लेने के लिए सहायता करना	परिवार	1825	2162	337
13	बीज के नए भण्डार पर सामुदायिक आधारित बीज बैंक–खरीद तथा भण्डारण उपकरणों का मजबूतीकरण करना	बीज बैंक	32	60	28
14	अल्पावधि खाद्य फसल जैसे–सब्जी, मक्का व बाजरा की कृषि के लिए उत्पादक सामग्री की सहायता करना	परिवार	1275	1606	331
15	अगली फसल के लिए आदानों की बिक्री तथा ग्रांव स्तर पर सामग्री के क्रय हेतु किसान कल्ब व एफपीओ को प्रत्यक्ष नकदी सहायता (एफपीओ को भागीदार द्वारा पोषित किया जाना)	एफपीओ	3	3	0
16	खराब होने वाली वस्तुओं–सब्जी एवं फलों के मामले में न्यूनतम दो गुणा परिवारों के लिए परिवहन सहायता (लाभान्वित परिवारों की संख्या)	50 किसानों के समूह	6	4	-2
17	वैकल्पिक आजीविका–पशुधन व एनटीएफई के लिए प्रवासी परिवारों को आदान व संपत्ति की सहायता	परिवार	640	1028	388
18	परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित उनकी हकदारी प्राप्त करने में सहायता सुविधा प्रदान करना– सभी योजनाओं के लिए गांव में शिविरों का आयोजन करना, पीडीएस आपूर्ति प्रणाली एवं मनरेगा का मजबूतीकरण –निगरानी तथा वास्तविक समय सूचना का प्रसार– भोजन की कमी के मामले में स्थानीय प्राधिकरण की जानकारी में लाना।	परिवार	17553	11973	-5580

3. बीआरएलएफ-उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ सहभागिता

बीआरएलएफ के कार्य प्रारंभ करने के पश्चात, यह स्टेप डअलोन आजीविका परियोजनाओं में सीएसओ के साथ सहभागिता पर लक्षित था। जबकि परिणाम तो उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त हुए लेकिन इन कार्यों का मापन करना समस्या बना हुआ था। राज्य सरकारों के मध्य सहभागिता, ध्वज–वाहक कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए बीआरएलएफ तथा सीएसओ सभी हितधारकों के लिए सफलता की स्थिति प्रस्तावित करता है। एक ओर, जहां सीएसओ कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी चरणों पर सरकारी भागीदारी के माध्यम से प्रणाली के बेहतर अनुक्रियता द्वारा लाभार्जन करता है। इसके अलावा, वह अपने प्रयासों से तत्काल संपन्नता के लिए वित्त पोषण के अवसरों का लाभ ले सकते हैं तथा वृहत्त स्तर पर परिणाम प्रकट करने में साक्षी बनते है। दूसरी ओर, राज्य सरकारें, विभिन्न "कार्य–विवरणों" में सीएसओ तथा समुदायों के साथ गहन सहभागिता से लाभार्जन करती हैं, जो इन कार्यक्रमों के लिए भारी सामाजिक पूँजी जुटाने के लिए सक्षम बनती हैं। इसके अलावा, अग्रश्रेणी सरकारी पदाधिकारियों की क्षमताएं भी बढ़ जाती है, जिससे सभी प्रयासों के रूप में बेहतर गुणवत्ता नतीजों में परिणाम व्यक्तियों से पृष्ठभूमि पर आते हैं।

राज्य सरकारें भी राज्य सरकारों के साथ सभागिता पर आधारित सीएसओ द्वारा बनाए गए प्रस्तावों की सुविधा तथा संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ संगठन के सामान्य निकाय (जीबी), कार्यकारी समिति (ईसी), तथा परियोजना गारंटी व चयन समिति (पीजीएससी) में प्रतिनिधित्व करती हैं।

बीआरएलएफः विखण्डन के मध्य संपर्क परंतु सक्षम सीएसओ तथा राज्य सरकारें पैमाना बनाने के लिए सक्षम है

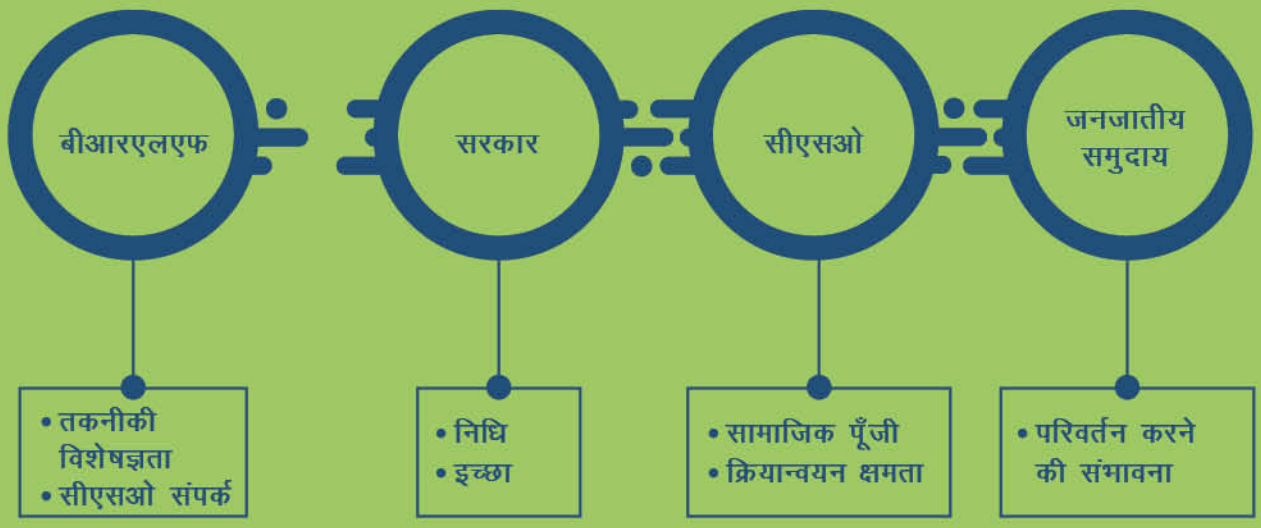

3.1 छत्तीसगढ़ में उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना

जल एवं मृदा संरक्षण में निवेश के माध्यम से जनजातीय परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लक्ष्य से 5 अक्तूबर, 2018 को बीआरएलएफ ने छत्तीसगढ़ में 'उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना' प्रारंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार व एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की। परियोजना का लक्ष्य मनरेगा की क्रियान्वयन प्रक्रिया में सुधार करना था इसलिए मनरेगा के अंतर्गत किया गया निवेश गरीबों की मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। 1 जुलाई 2019 से फोर्ड फाउंडेशन से आजीविका, विशेष तौर पर कृषि, गैर–इमारती लकड़ी वन्य उत्पाद (एनईएफपी), पशुधन मूल्य श्रृंखला विकास पर लक्षित वृद्धि के लिए एक परियोजना प्राप्त हुई। इस परियोजना का लक्ष्य इस चार वर्षीय पहल के माध्यम से संधारणीय आधार पर 100,000 लघु एवं सीमांत परिवारों की आय में वृद्धि करना है।

इस परियोजना के तहत 13 सीएसओ के एक सहायता संघ ने छत्तीसगढ़ में 12 जिलों के दक्षिणी जोन (बस्तर पलेटयू क्षेत्र) के 12 खण्डों तथा मध्य समतल क्षेत्र के 4 खण्डों, उत्तरी पहाड़ी के 10 खण्डों को शामिल करते हुए 26 खण्डों को तीन जोनों में शामिल करते हुए जलग्रहण से 694,500 हेक्टेयर को लाभान्वित करते हुए भूमि व जल उपचार उपायों की सुविधा प्रदान की, जिससे लगभग 350,000 हेक्टेयर भूमि में फसल सघनता में सुधार हुआ। इस परियोजना के तहत कुल 1,388 माईक्रो–वाटरशेड उपचार किए जाने से अपेक्षित है।

अप्रैल 2020 व मार्च 2021 की रिपोर्टिंग अवधि के मध्य, परियोजना 350 गांवों के साथ अतिरिक्त 220 नई ग्राम पंचायतों में पहुँच गई है। अक्तूबर 2018 से कार्य प्रारंभ करने से इस परियोजना के लिए संचयी पहुँच 742 ग्राम पंचायतें और 1404 गांव हैं और आजीविका हस्तक्षेप 78,756 परिवारों के लिए किए गए थे।

परियोजना क्रियान्वयन के पहले वर्ष में, टीम बनाने, क्षमता निर्माण, सामाजिक जुड़ाव, तथा डीपीआर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरे वर्ष में, 13 सीएसओ भागीदार व राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) टीमें डीपीआर की तैयारी एवं निर्धारण, नारवा के साथ डीपीआर का संरेखण (राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था, जिसे "नारवा गरवा घुरवा बाड़ी" का

मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़ (सीएसओ का विवरण)

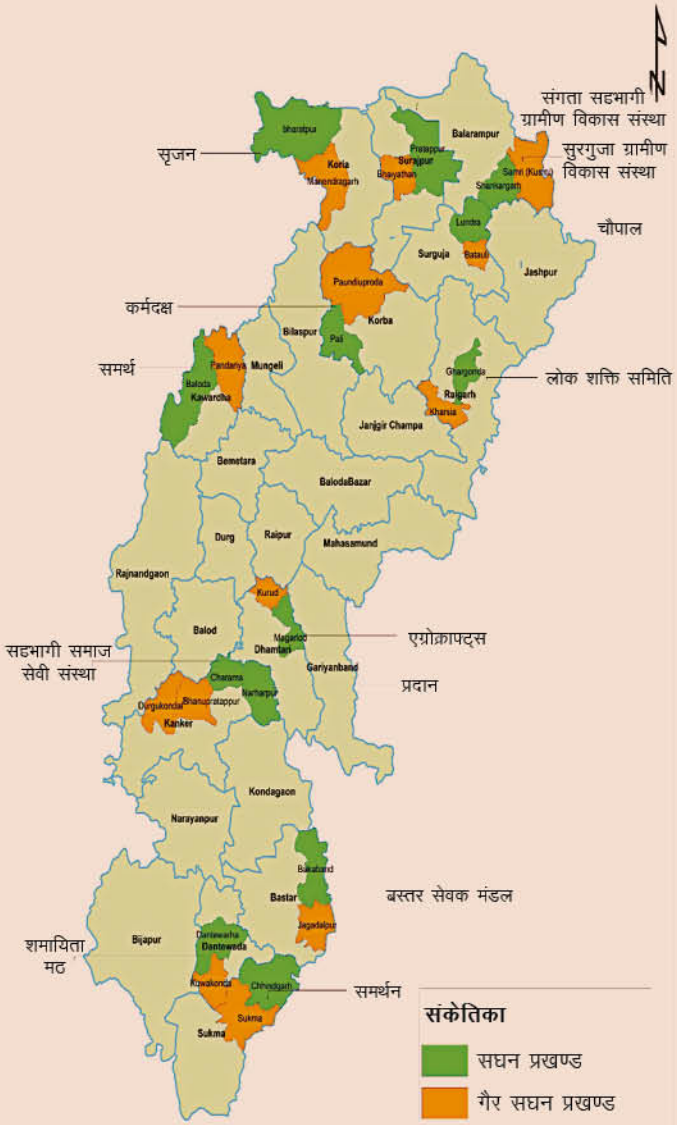

नाम दिया गया अथवा एनजीजीबी जो जल निकासी लाइनें, मवेशी, मृदा स्वास्थ्य और घर के आंगन में पोषण वाटिका बनाने का कार्य करती है), गोधन दिशानिर्देशों की योजना, तैयारी, कोविड राहत गतिविधियां, तथा डीपीआर में योजना द्वारा बनाए गए हस्तक्षेपों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को गति देने में संलग्न रहा था। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादकता की वृद्धि, आय वृद्धि तथा गैर–कृषि आजीविका गतिविधियों के मजबूतीकरण के लिए बहु–प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इस अवधि में राज्य में यात्रा प्रतिबंधों के कारण एसपीएमयू द्वारा सभी प्रशिक्षण ऑनलाईन विधि मे आयोजित किए गए थे।

क्षेत्र और लाभान्वित (प्रखण्ड एवं जिले)

जिलों की संख्या	12
प्रखण्डों की संख्या	26
परिवारों की संख्या	690927
कुल भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर)	1657162
कुल बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	751677
असिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	670082
उपचार योग्य प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर) (कुल बोये गए क्षेत्र का 30% + असिंचित क्षेत्र का 70% विचारणीय)	694560
प्रस्तावित माईक्रो–वाटरशेड की संख्या (प्रत्येक का 500 हेक्टेयर विचारणीय)	1388

वित्त वर्ष 2020–21 में कार्यक्रम प्रगति की मुख्य विशेषताएं

742 डीपीआर विकसित किए गए, 52,493 नई संरचनाओं की योजना बनाई गई तथा 19,904 संरचनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है।

2020–21 में ग्राम सभा/पंचायत में 420 डीपीआर तथा कुल 32,472 संरचनाएं अनुमोदित की गई थी।

रु. 339.69 करोड़ (सघन खण्ड रु. 237. 29 करोड़ तथा गैर–सघन खण्ड रु. 102.40 करोड़) वित्त वर्ष 2020–21 के लिए मनरेगा के अधीन रु. 515.62 करोड़ की संचयी स्वीकृति से राशि जुटायी गई हैं।

मार्च 2021 तक रू.234.54 करोड़ कीमत की संरचनाएं पूरी कर ली गई हैं।

वाटरशेड सिद्धांत, तकनीकी पहलू, प्रतिभागिता नियोजन, जीआईएस आधारित टूल्स और तकनीकें तथा कृषि व गैर–कृषि आजीविका पर 196 राज्य व क्षेत्रीय, तथा 1917 खण्ड स्तरीय क्षमता निर्माण पहल आयोजित की गई।

राज्य मनरेगा पदाधिकारियों के साथ 28 इंटरफेस बैठकें और जिला व खण्ड के मनरेगा पदाधिकारियों के साथ 217 इंटरफेस बैठकों का आयोजन किया गया था।

एसपीएमयू तथा सीएसओ राज्य सरकार के एनजीजीबी कार्यक्रम में गहनता से शामिल हुए थे। तैयार किए गए कुल 118 नारवा डीपीआर (सघन खण्ड –93 तथा गैर–सघन खण्ड–25) के साथ राज्य व जिला स्तर के लिए नारवा उपचार योजना की तैयारी के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

फोर्ड फाउंडेशन की समर्थित परियोजना के अधीन रिपोर्ट किए गए तथा सघन कृषि हस्तक्षेपों में 25,893 परिवारों को नियुक्त किया गया था।

धान, सब्जी तथा बाजरे को शामिल करते हुए परम्परागत बीजों की किस्मों के संरक्षण हेतु संचयी 36 बीज बैंकों में से 23 नए बीज बैंकों को संस्थापित किया गया है।

23 नए एनटीएफपी संग्रहण केंद्र (अब संचयी 30) संस्थापित किए गए थे और एनटीएफपी का कुल 843.29 टन संग्रहित किया गया था।

2,115 परिवार मत्स्यपाल के कार्य में लगे हुए है तथा इस वर्ष स्थानीय प्रमुख व लघु कार्प मछली की प्रजातियों के साथ परियोजना क्षेत्र में 1,498 मौजूदा व नए तालाब (मनरेगा के तहत निर्मित) बनाए गए हैं। उक्त वर्णित फार्म तालाब में 0.20 करोड़ मछली के बच्चे भण्डारित किए गए थे।

फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से पशुधन (बीवाईपी एवं बकरी पालन) के अधीन 1,543 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

एनजीजीबी–राज्य के एक ध्वजवाहक कार्यक्रम में संलग्नता

एनजीजीबी, राज्य में प्रतिष्ठित सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है, जिसके प्रारंभ से ही, इसको अन्य कई चल रहे कार्यक्रमों से अधिक अधिमान देने का दावा किया गया है। एनजीजीबी "नरवा गरवा घुरवा बाड़ी" के लिए है, जिसका अर्थ छत्तीसगढ़ में नदी या जलधारा, मवेशी, खाद और कृषि भूमि क्रमशः सभी के लिए है। यह कार्यक्रम, इसके क्रियान्वयन के माध्यम से, ग्राम स्वराज लाने अथवा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से दीर्घावधि में गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाने पर मूल रूप से लक्षित है।

सरकार ने इस विचार को धरातल पर उतारने और सक्रिय रूप से उन तक पहुंच बनाने के लिए सीएसओ द्वारा संभावित योगदान की सराहना की है। मनरेगा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर एनजीजीबी घटकों को लागू करने के लिए पुनःउन्मुख किया गया है। राज्य के लिए इस उभरते संदर्भ और प्राथमिकता ने मेगा वाटरशेड परियोजना में भी कुछ समायोजन करना अनिवार्य बना दिया। एसपीएमयू और सीएसओ ने इस बदलाव को चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देखा और तुरंत कार्रवाई की। चुनौती उन योजनाओं के संरेखण और उन योजनाओं को स्वीकृति देने की है जो किसी भी एनजीजीबी घटक से सीधे जुड़ी हुई नहीं हैं। अवसर यह है कि एनजीजीबी के तहत नरवा घटक वाटरशेड दृष्टिकोण से निकटता से संबंधित है, सिवाय इसके कि यह स्ट्रीमबेड पर नियोजित संरचनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति और निरंतर दृढ़ता के कारण, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई नरवा कायाकल्प योजना में जल निकासी उपचार के साथ मेगा वाटरशेड क्षेत्र उपचार योजनाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को मनाने में सक्षम है। इसने अब एसपीएमयू को नरवा उपचार योजना के साथ उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना को पूरी तरह से संरेखित करने में सहायता की है, जिसने डीपीआर में पहचाने गए कार्यों की स्वीकृतियों की संख्या में सुधार करने में रणनीतिक रूप से सहायता की है, उन्हें नरवा उपचार योजना में शामिल किया गया है जो वर्तमान में राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

3.2 जीवी दाह हासा – झारखंड में उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना

पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मेगा–वाटरशेड परियोजनाओं के मॉडल की सफलता के बाद, झारखंड सरकार के आयुक्त, मनरेगा ने झारखंड में इसी तरह की परियोजना के कार्यान्वयन के अवसरों पर विचार करने के लिए बीआरएलएफ से संपर्क किया।

तदनुसार, बीआरएलएफ ने इसी तरह के दृष्टिकोण और मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव आयुक्त मनरेगा, झारखंड सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, और सचिव, ग्रामीण विकास झारखंड सरकार की सिफारिश के अनुसार, इसे राज्य मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। 17 जून, 2020 को, झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने परियोजना को अनुमोदित किया और राज्य में मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मनरेगा प्रकोष्ठ, झारखंड सरकार को बीआरएलएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।

28 अगस्त, 2020 को, बीआरएलएफ ने उच्च प्रभाव वाली वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, मनरेगा प्रकोष्ठ, झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित परियोजना 7 जिलों के 24 सर्वाधिक पिछड़े प्रखंडों में क्रियान्वित की गई। प्रखंडों का चयन सरकार द्वारा सुझाए गए सुपरिभाषित मानदंडों के आधार पर किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य 190,000 सामाजिक–आर्थिक रूप से हाशिए पर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है। तदनुसार, परियोजना के तहत 300,000 से 390,000 हेक्टेयर उपचारित किया जाएगा। लगभग 1,81,000 हेक्टेयर की फसल गहनता में सुधार करने के लिए, 500 हेक्टेयर भूमि के प्रत्येक माइक्रो–वाटरशेड के साथ 750 माइक्रो वाटरशेड का आगामी उपचार करना प्रस्ताव किया गया है।

"जीवी दाह हासा" आदिवासी भाषा (जैसे, संथाली एवं अन्य) से उत्पन्न हुआ है। "जीवी" का अभिप्राय जीवन, "दाह" का अभिप्राय पानी, तथा "हासा" का अभिप्राय धरती है। झारखंड उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना के लिए सभी सीएसओ भागीदार संगठनों ने उपरोक्त नाम प्रस्तावित किया और आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने इस नाम को अंतिम रूप दिया। "जीवी–दाह–हासा" कार्यक्रम राज्य के सबसे वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन, जल और भूमि को पुनर्जीवित करने के बारे में है।

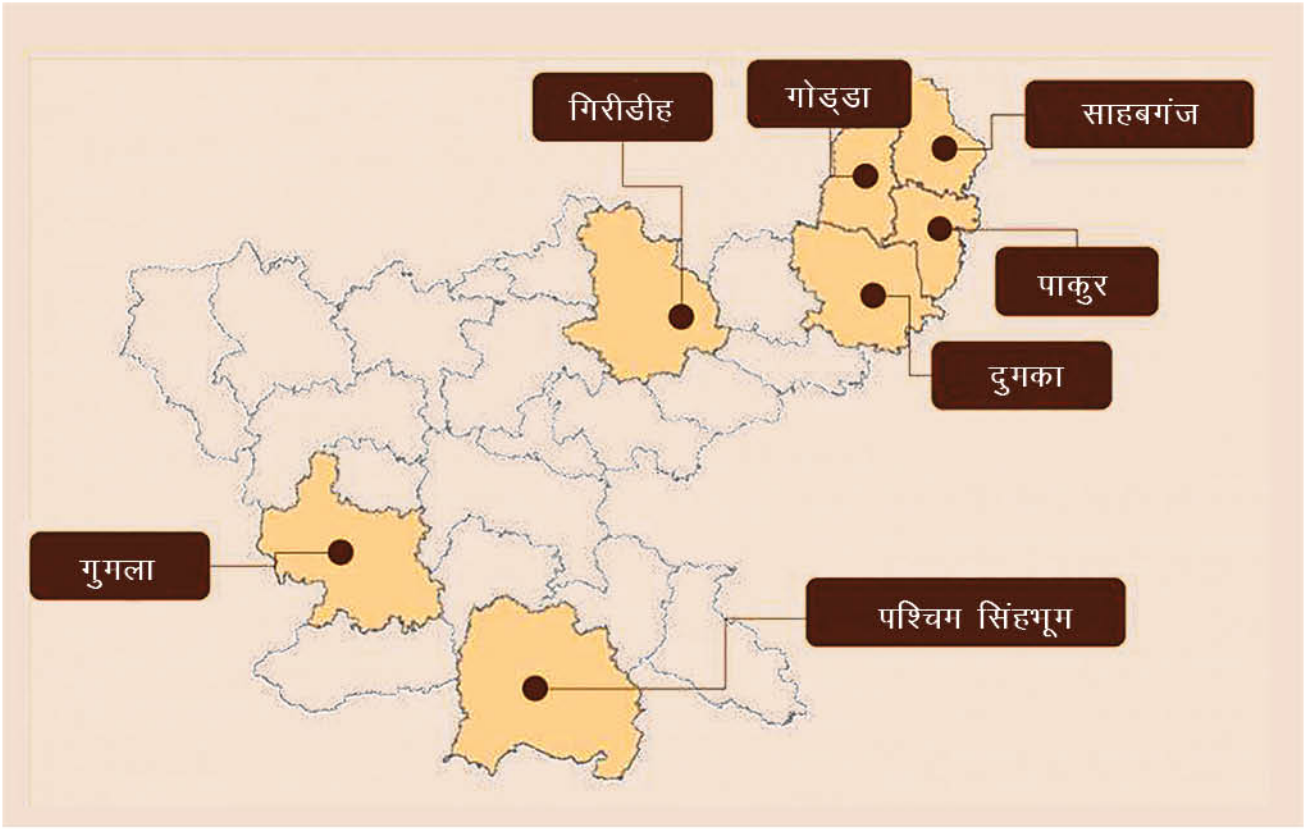

क्र.सं.	सीएसओ का नाम	जिले का नाम	प्रस्तावित आवंटित प्रखण्ड का नाम*	सघन/गैर–सघन
1	विकास भारती	गुमला	बिशुनपुर	सघन
2			डुमरी	गैर–सघन
3	प्रदान	गुमला	भरनो	गैर–सघन
4			कमडारा	सघन
5	डब्ल्यूओटीआर	गुमला	चैनपुर	गैर–सघन
6			अलबर्ट इक्का (जारी)	सघन
7	वस्सान	पश्चिम सिंहभूम	गुडरी	गैर–सघन
8			आनंदपुर	सघन
9	सपोर्ट	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	सघन
10			नौमुंडी	गैर–सघन
11	काला मंदिर	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	गैर–सघन
12			खुंटपानी	सघन
13	जेजेके	पश्चिम सिंहभूम	तंतनगर	सघन
14			मझगांव	गैर–सघन
15	टीएसआरडी	पाकुर	अमरपाड़ा	गैर–सघन
16			हिरनपुर	सघन
17	एसपीडब्ल्यूडी	साहिबगंज	बोरियो	गैर–सघन
18			तालझारी	सघन
19	एसए	साहिबगंज	बरहेत	सघन
20			पठना	गैर–सघन
21	जीवीटी	गोड्डा	पोरेयाहाट	गैर–सघन
22			पथरगामा	सघन
23	नीड्स	दुमका	जामा	सघन
24		गिरीडीह	गिरीडीह	गैर–सघन

परियोजना क्रियान्वयन रणनीति

ग्राम पंचायतें (जीपी) परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी होती हैं। इसलिए, मनरेगा के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु इन निकायों को सक्षम बनाने के लिए पंचायतों के आसपास सहायता तत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र में उपस्थित अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले, गुणवत्ता मानव संसाधन, तथा शासन एवं प्रबंधन की सुदृढ़ आंतरिक प्रणाली वाले सीएसओ को आमंत्रित किया जाएगा। सीएसओ गांव–वार तथा क्षेत्र–वार वाटरशेड दोनों, योजनाओं के विकास हेतु ग्राम पंचायतों का सहयोग करेंगे। तदनुसार, वाटरशेड सिद्धांतों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डीपीआर तैयारी की प्रक्रिया, डीपीआर की अभिपुष्टि करने के लिए ग्राम सभा (जीएस) के अधिकारों, तथा क्रियान्वयन औ निरीक्षण की आगामी प्रक्रिया पर पीआरआई व एसएचजी के लिए सामूहिक रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी प्रशासनिक तंत्र (बीडीओ, नोडल अधिकारी) को वाटरशेड दृष्टिकोण के प्रमुख तत्वों, तकनीकी और प्रक्रिया हस्तक्षेप दोनों को समझने के लिए समर्थन दिया जाएगा ताकि कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मार्गदर्शन किया जा सके।

परियोजना का बज़ट और अवधि

इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित बज़ट रु. 562. 73 करोड़ है। राज्य सरकार मनरेगा बज़ट से भौतिक संरचनाओं के लिए रु. 542.40 करोड़ का योगदान करेगी, बीआरएलएफ रु. 14.74 करोड़ का योगदान करेगी, तथा वेल्थहंगरहिल्फ (डब्ल्यूएचएच) इस परियोजना के लिए सह–दाता के तौर पर रु. 5.59 करोड़ का योगदान करेगा। बीआरएलएफ और डब्ल्यूएचएच की अनुदान सहायता से जमीनी स्तर पर सीएसओ भागीदारों को सहायता देने का खर्च और क्षमता निर्माण लागत को वहन किया जाएगा। इस परियोजना की अवधि जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक चार वर्ष है।

संपन्न की गई गतिविधियां

सीएसओ का चयनः बीआरएलएफ की अनुदान प्रबंधन नीति के अनुभाग ख में निर्दिष्ट अनुसार नियत तत्परता संस्थापित करने द्वारा सीएसओ का चयन कर लिया गया था। यह देखते हुए कि उच्च प्रभाव वाली परियोजना राज्य और बीआरएलएफ के बीच साझेदारी पर आधारित है, इसलिए सीएसओ का चयन राज्य सरकार के निकट सहयोग से किया जाएगा। आयुक्त की अनुशंसा के अनुसार, चयन प्रक्रिया में मनमानी से बचने और सर्वश्रेष्ठ सीएसओ के चयन में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार और बीआरएलएफ ने योग्य संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। संगठनों के अंतिम चयन के लिए, राज्य एसएलएनए, पंचायत विभाग, बीआरएलएफ और डब्ल्यूएचएच के प्रतिनिधित्व के साथ तथा आयुक्त, मनरेगा की अध्यक्षता द्वारा झारखंड सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया था। पैनल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में 12 सीएसओ का चयन किया गया था, और इस परियोजना को लागू करने के लिए बीआरएलएफ के साथ अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

डीपीआर की तैयारी के लिए प्रतिभागिता योजना पद्धति का विकासः परियोजना की योजना व क्रियान्वयन में 12 सीएसओ भागीदार शामिल होंगे। इन सीएसओ को वाटरशेड में एनआरएम, योजना और विकास गतिविधियों में व्यापक अनुभव है। इस परियोजना ने तकनीकी और सामाजिक जुटाव के अनुभवों के साथ संबंधित सीएसओ के कर्मचारियों को लगाने का प्रावधान किया है। परियोजना ने केंद्र में सामुदायिक जुटाव के साथ वाटरशेड योजना के सिद्धांतों को अपनाया है।

"जीवी दाह हासा" के लिए एक परियोजना प्रबंधन चक्रण का विकासः परियोजना के उद्देश्यों के संबंध में संपूर्ण नियोजन गतिविधियों की संरचना के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रबंधन चक्र तैयार किया गया था। परियोजना प्रबंधन चक्र की संरचना में विषय–वस्तु, उद्देश्यवार परिणाम, गतिविधियां, परियोजना के निष्पादन हेतु स्टाफ के दायित्व, परिणाम प्रदान करने के लिए हितधारकों की क्षमता निर्माण आवश्यकताएं, और परिणाम प्रदान करने हेतु आवश्यक सामग्री के साथ–साथ गतिविधि की समय–सीमा/समय भी शामिल किया गया है।

वाटरशेड जीआईएस मानचित्रः 12 सघन प्रखंडों के वाटरशेड जीआईएस मानचित्रों को वाटरशेड, गांव की सीमा, डिजिटल एलिवेशन मानचित्र (डीईएम), परिरेखा, जल–निकासी लाइन्स, भूमि उपयोग/भूमि आवरण (एलयूएलसी) मानचित्रों के साथ चित्रित किया गया है। इन सभी मानचित्रों को संबंधित सीएसओ के साथ साझा किया जाता है और उन्हें इसके उपयोग के बारे में बताया जाता है। यह परियोजना वेबसाइट (http://jiwidaahhasa.in) के माध्यम से उपलब्ध हैं।

योजना के लिए एप्प का विकासः प्रतिभागी भूमि उपयोग योजना (एलयूपी) अभ्यास के लिए ओडीके पटल पर मोबाईल एप्लीकेशन विकसित की गई। यह एप्प खेत की फोटोग्राफ तथा जियो लोकेशन सहित खेत व किसानों से संबंधित सूचना अभिग्रहित करती है। यह एप्प हिंदी भाषा में उपलब्ध है, ताकि जमीनी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा इस एप्प का उपयोग आसानी से किया जा सके।

"जीवी दाह हासा" वेबसाईटः "जीवी दाह हासा" परियोजना के लिए एक पृथक वेबसाईट बनाई गई है। प्रत्येक सीएसओ भागीदार को लॉगिन सुविधा प्रदान की गई है। ओडीके सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, परियोजना परिपत्र, सोशल मीडिया, जीआईएस मानचित्र, आईईसी सामग्री सहित सभी परियोजना संबंधी आंकड़े, तथा परियोजना मानव संसाधन (एचआर) विवरण वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध है। इसके अलावा, नियंत्रण–पट्ट आंकड़े (डैशबोर्ड डेटा) भी उपलब्ध हैं।

योजना कार्य–प्रणाली कार्यशालाः आयुक्त, मनरेगा प्रकोष्ठ, गुजरात सरकार और बीआरएलएफ ने 1 मार्च, 2021 को "जीवी दाह हासा" कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित योजना कार्य–प्रणाली तथा एकीकृत वाटरशेड विकास योजना के भाग के रूप में योजना के विषय/घटकों पर विचार करने हेतु एक प्रस्तुतीकरण किया था। एक योजना कार्य–प्रणाली कार्यशाला एसआईआरडी कैम्पस रांची में 10–11 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। आयुक्त मनरेगा, बीआरएलएफ टीम, मनरेगा के पदाधिकारी (योजना प्रकोष्ठ, पीओ, बीपीओ, जीआरएस, जेई व मुखिया), अर्घ्यम और एटीआरईई के प्रतिनिधि, व 12 सीएसओ भागीदारों की प्रबंधन टीम, तथा "जीवी दाह हासा" परियोजना टीम के प्रमुख लोग कार्यशाला में उपस्थित रहें थे। कार्यशाला के दौरान, भावी भागीदारी योजना कार्य–प्रणाली, परियोजना चक्र, तथा मोबाईल एप्प के साथ योजना पर विचार–विमर्श किया गया था।

कार्यशाला का आरंभः परियोजना आरंभ कार्यशाला 12 मार्च, 2021 को धुरवा रांची के परियोजना भवन के बैठक हॉल में आयोजित की गई थी।

भागीदार संगठनों का प्रशिक्षणः सीएसओ टीम सदस्यों को मनरेगा प्रणाली तथा वाटरशेड योजना दृष्टिकोण पर 'प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास' पर एक 4–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 व 16 मार्च 2021 के मध्य एसआईआरडी कैम्पस, रांची में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान योजना के विभिन्न पहलूओं के साथ–साथ, ई–पीआरए तथा ओडीके एप्प पर विचार–विमर्श किया गया। प्रत्येक नियोजन पहलुओं/घटकों के लिए परिकल्पना तथा संकल्पनात्मक समझ प्रदान की गई थी, जबकि जहां पर लागू हो, भागीदारी नियोजन उपकरण सिखाए गए थे।

आईईसी सामग्री का विकासः 6 पोस्टर तथा "जीवी दाह हासा" परियोजना की विवरण–पुस्तिका के साथ आईईसी सामग्री हिंदी व अंग्रेजी में बनाई गई थी, जिसमें आजीविका की वृद्धि, फसल की उत्पादकता तथा जल प्रबंधन की योग्यता के लिए परियोजना उद्देश्य व गतिविधियों का चित्रण किया गया था। एकरूपता में संचार के लिए फ्लिप चार्ट तैयार किया गया है, तथा जो विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए वेबसाईट के माध्यम से साझा किया गया है।

3.3 पश्चिमी ओड़िशा के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन समूहों को प्रोत्साहन

6 नवंबर, 2018 को, बीआरएलएफ ने ओड़िशा के जनजातीय क्षेत्रों में "कृषि उत्पादन क्षेत्रों (एपीसी) के प्रोत्साहन" हेतु बागवानी निदेशालय, कृषि एवं कृषक अधिकारिता विभाग, ओड़िशा लाइवलीहुड्स मिशन (ओएलएम), ओड़िशा सरकार और प्रदान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह चार–वर्षीय परियोजना बागवानी विभाग, ओएलएम, ओड़िशा सरकार, बीआरएलएफ, प्रदान तथा 16 स्थानीय सीएसओ की सहयोगात्मक पहल है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के 12 ऊंची जमीन वाले जिलों में रह रहे छोटे, सीमांत, भूमिहीन किसानों की आय को दुगुना करना है।

परियोजना का कार्य–क्षेत्र

- ओड़िशा के 12 जिलों के 40 पिछड़े प्रखण्ड़ों में 100,000 लघु व सीमांत भूमि धारकों पर लक्षित है।
- किसानों, विशेषकर महिला किसानों को 650 व्यवसायिक माइक्रो–एपीसी (एम–एपीसीएस) अथवा उत्पादक समूहों (पीजी) को स्थापित करने द्वारा व्यवस्थित करना।
- 40 चयनित प्रखण्ड़ों में 30 एपीसी/एफपीओ निर्मित करना।
- 20,000 एकड़ भूमि में उच्च मूल्य वाली कृषि करना।
- कार्य–क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना उपयोग करते हुए तथा नई सिंचाई अवसंरचना बनाने द्वारा 16,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुनिश्चित करना।
- 75% क्षेत्र में गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) अभ्यासों को प्रारंभ करना।
- बागवानी फसलों (सब्जी, फल, मसालों) पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि 40: परिवार अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में, पशुपालन (बकरी एवं मुर्गीपालन) करना स्वीकार करेंगे।
- मूल्य श्रृंखला समर्थक के तौर पर 750 बाजार से जुड़े कृषि उद्यमियों को स्थापित करना
- चयनित क्षेत्रों में पहचान की गई उपयोगी वस्तुओं के आ. सपास बाजार मार्गों व कार्यकर्ताओं को विकसित करना।

वित्त वर्ष 2020–21 में परियोजना प्रगति

2,187 परियोजना गांवों में से 932 उत्पादक समूहों से 101,575 परिवारों को जोड़ा गया था

30 उत्पादन कंपनियों को पंजीकृत किया गया था तथा 11,998 हिस्सेदार इन उत्पादन कंपनियों के साथ जुड़े रहे थे।

इस परियोजना के अधीन कुल 6759 कम्पोस्टिंग (खाद) इकाईयाँ (कम लागत वाली) विकसित की गई थी।

12,174 एकड़ भूमि को सिंचित भूमि में रूपांतरित किया गया था, तथा नव निर्मित सिंचाई क्षमता से 11,905 परिवार लाभान्वित हुए।

23,262 परिवारों ने पशुपालन प्रोत्साहन पर गहनता से कार्यरत 294 उत्पादक समूहों के माध्यम से पशुधन सहायता प्राप्त की।

आय उत्पादन गतिविधि के तौर पर 1,820 परिवारों ने मशरूम की खेती अपनाई।

पीजी व पीसी के माध्यम से रु. 10.70 करोड़ के 5,928 टन कृषि उत्पाद बेचे गए थे।

71,322 परिवारों ने अपने क्षेत्र में फसल नियोजन सफलतापूर्वक पूरा किया तथा बाद में 56,133 एकड़ भूमि को उच्च मूल्य फसल प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रवृत्त किया।

35,141 परिवार 12,804 एकड़ भूमि में एनपीएम अभ्यास कर रहें है

इस परियोजना के तहत पशुपालन प्रोत्साहन के तहत 51,456 परिवारों को डी–वॉर्मिंग तथा वैक्सीनेशन दोनों सुविधाएं प्रदान की गई थी।

इस परियोजना में तैनात सीएसओ के लिए अग्रणी भागीदार–प्रदान द्वारा विभिन्न ऑनलाईन क्षमता निर्माण प्रयास किए थे।

विभिन्न सरकारी विभागों से रु. 183.86 करोड़ का उत्तोलन किया गया था।

परियोजना कार्यक्षेत्र

इस परियोजना का कार्यान्वयन 1 लाख लघु व सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए 12 ऊंची भूमि वाले जिलों के 40 प्रखण्डों में किया जा रहा है। जिलों से 35% से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले प्रखण्डों को चयनित किया गया था तथा जहां पर बीआरएलएफ द्वारा सीएसओ की सहायता द्वारा सामाजिक जुटाव के निश्चित स्तर मौजूद हैं। ओएलएम द्वारा सघन प्रखण्डों को अधिकतम लाभान्वित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

परियोजना के वित्तीय अनुमान

इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 401.60 करोड़ है। इस परियोजना की लागत में से, पंचायती राज तथा पेयजल विभाग के ओएलएम को संस्थान व क्षमता निर्माण हेतु रु. 70.06 करोड़ की सहायता प्रदान की गई, ओड़िशा कृषि प्रोत्सान व निवेश निगम लिमिटेड (एपीआईसीओएल) ने रु. 17.80 करोड़ जुटाए, कृषि एवं कृषक अधिकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों ने मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से रु. 293.40 करोड़ रूपए की राशि जुटाई। बीआरएलएफ ने अपने संसाधनों के साथ रु. 16.74 करोड़ की सहायता प्रदान की, तथा परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन और सुगमता के लिए प्रतिभागी सीएसओ द्वारा रु. 3.6 करोड़ जुटाए गए थे। इस कार्यक्रम हेतु, बीआरएलएफ ने फोर्ड फाउंडेशन, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता व तकनीकी आदान प्राप्त किए हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए मुख्य विशेषताएं

मिशन शक्ति के साथ समझौता ज्ञापनः 12 जून, 2020 को बागवानी, कृषि एवं कृषक अधिकारिता विभाग, ओड़िशा; मिशन शक्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा; ओएलएम, पंचायती राज और पेयजल विभाग ओडिशा; बीआरएलएफ और प्रदान के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था, इस समझौता ज्ञापन के तहत अतिरिक्त 282 उत्पादक समूहों को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा परियोजना की सहायता करने का लक्ष्य है। इस साझेदारी की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होकर 31, मार्च 2022 तक दो वर्ष है। मिशन शक्ति द्वारा पीजी, पीसी तथा क्षमता निर्माण के लिए कुल अनुमानित बजट रु. 50.31 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी।

भागीदार का नाम	आवंटित जिला	आवंटित प्रखण्ड
एसआईडीआई	संबलपुर	जमनकिरा, कुचिंडा
जनसहाज्य	कालाहांडी	लांजीगढ़, थौमूल रामपुर
आईडीए	क्योंझर	क्योंझर सदर, झूमपुरा
सीवाईएसडी	कोरापुट	दसमांतपुर, भोइपरिगुडा, ठाकुरमंडा
सेवा	झारसुगुडा	लाईकडा, कोलाबीरा
वाईसीडीए	बौध	कांतामाल
लोकदृष्टि	नूआपाडा	खरियार, बोडेन
एजेएसए	कालाहांडी	गोलामुंडा
जेएमए	बालांगीर	मुरिवहल
अधिकार	बालांगीर	बेलपडा
एसएसएस	बालांगीर	बांगोमुंडा
बीजीएस	बालांगीर	तुरेइकेला
विकल्प	बालांगीर	खापराखोल
एफईएस	कोरापुट	सेमलीगुडा, पोट्टांगी
प्रदान	कंधमाल, रायगडा, कोरापुट, क्योंझर, मयूरभंज	फूलबनी सदर, बालीगुडा, के. नुआगांव, कोलनारा, नंदपुर, लांपटापुट, पटना, बंसपाल, जाशीपुर, करंजिया
हर्षा ट्रस्ट	रायगडा, कोरापुट	बिसमकटक, मुनिगुडा, के. सिंहपुर, बोरिगुमा, कुंद्रा, हरिचंदनपुर, खूंटा, कनकादाहड
सृष्टि	क्योंझर, मयूरभंज, ढ़ेंकनाल	हरिचंदनपुर, खूंटा, कनकादाहड

आईटीडीए के साथ सहभागिता: कोविड के दौरान, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग (इंटीग्रेटड ट्राईबल डवेल्पमेंट एजेंसी–आईटीडीए), ओड़िशा सहायता के लिए आगे आया तथा एपीसी परियोजना के 28 प्रखण्डों में सहायता प्रदान करने के लिए एपीसी परियोजना के साथ सहभागिता की। कृषि, तथा पशुपालन क्षेत्रों में, आदान आपूर्ति के रूप में सहायता आयी तथा कुछ प्रखण्डों में आईटीडीए ने यंत्रीकरण तथा सिंचाई की सहायता प्रदान की।

उत्पादन समूहों का पंजीकरण: वित्त वर्ष 2020–21 में 932 उत्पादक समूह तथा 30 उत्पादक कंपनियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया।

उत्पादक समूह व उत्पादक कंपनी के माध्यम से सामूहिक विपणन: गत वर्ष, एपीसी उत्पाद का 5,928 टन, विशेष तौर पर रु. 10.70 करोड़ की सब्जी, तिलहन, तथा दालें विभिन्न विपणन पहुंच–मार्गों जैसे "पहियों पर सब्जियां" (वेजिटेब्ल्स ऑन व्हील्स), शहरों में छोटे आउ. टलेट खोलना अथवा ट्रेडरों को थोक बिक्री अपनाते हुए सामूहिक विपणन के माध्यम से बेची गई।

एपीसी विस्तार: प्रथम चरण में एपीसी परियोजना की सफलता को देखते हुए, सरकार ने जिला खनिज निधि (डीएमएफ) तथा बीआरएलएफ की सहायता के साथ कुछ और प्रखण्डों व जिलों में परियोजना बढ़ाने की सहमति प्रदान की।

इस वित्त वर्ष में विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल रु. 145.31 करोड़ का उत्तोलन किया गया था।

यूएएनएटी परियोजना

29 सितम्बर, 2020 को, बीआरएलएफ ने उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रविष्ट किया था। 1993 में संस्थापित, यूएआईएल, आदित्य बिरला समूह कंपनी हिंडालको की 100: सब्सिडरी कंपनी है। परियोजना का लक्ष्य रायगडा के काशीपुर प्रखण्ड तथा कालाहाण्डी जिले के टीएच. रामपुर प्रखण्ड में रह रहे 15,000 छोटे व सीमांत किसानों की आय दुगुनी करना है। एकीकृत आजीविका विकास परियोजना तीन क्षेत्रो– कृषि, जल व पशुधन पर लक्षित है।

परियोजना के कार्यक्षेत्र

- दो लक्षित प्रखण्डों में कृषि उत्पादकता व फसल सघनता की वृद्धि करना
- इन दो प्रखण्डों में उत्पादकता प्रणाली और विपणन की सेवाओं को संगठित करने से प्रभावकारी विधि के तौर पर एपीसी मॉडल का क्रियान्वयन करना
- सिंचाई हेतु वर्ष के दौरान जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लक्षित क्षेत्र में सिंचाई संरचना का सुधार करना तथा जल संसाधन की संवृद्धि करना
- सर्वोत्तम पालन–पोषण अभ्यास प्रारंभ करने के माध्यम से पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देना
- फसलों पर लक्षित अभ्यासों के उपयुक्त पैकेज के साथ कम आदान लागत गैर–कीटनाशक–आधारित प्रथाओं को आरंभ करना, जो क्षेत्र की कृषि–पारिस्थितिकी जैसे बाजरा और सब्जियां हेतु बेहतर अनुकूल है।
- गैर इमारती लकड़ी वन्य उत्पाद (एनटीएफपी) तथा लघु वन्य उत्पाद (एमएफपी) के लिए लाभकारी मूल्य श्रृंखला प्रणाली संस्थापित करना।

परियोजना के कार्यक्षेत्रः

राज्य का नाम	जिले का नाम	प्रखण्ड का नाम	लक्षित परिवारों की संख्या
ओड़िशा	कालाहांडी	टी. रामपुर	7500
	रायगडा	काशीपुर	7500

वित्त वर्ष 2020–21 में परियोजना प्रगति

- टी.रामपुर तथा काशीपुर प्रखण्डों में परियोजना कार्यालयों को संस्थापित व संचालित किया गया है
- संबंधित परियोजना प्रखण्डों पर परियोजना स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
- जीपी निर्धारण (ओएलएम की सहमति सहित), बाग. वानी विभाग व यूएआईएल।
- परियोजना विवरणों के बारे में स्टाफ को उन्मुख तथा कालाहांडी में आरंभ कार्यशाला आयोजित की गई।
- डीपीआर तैयार करने पर प्रतिभागियों का वर्चुअल प्रशिक्षण
- स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य ग्रामीण संस्थानों के साथ ग्राम स्तरीय प्रतिभागिता बैठकें आयोजित की गई हैं।
- अग्रणी किसानों को विषय संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किए गए।
- मौजूदा व संभावित सिंचाई संरचना, एकत्रीकरण, तथा एनटीएफपी के विपणन का प्रारंभिक स्थिति सर्वेक्षण करना।

3.4 ऊषर–मुक्ति– पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भाग में वाटरशेड प्रणाली में मनरेगा का प्रभावकारी क्रियान्वयन

ऊषर–मुक्ति मनरेगा से वित्त–पोषण द्वारा वाटरशेड आधार पर उपयुक्त भूमि व जल के उपचार करने द्वारा चयनित प्रखण्डों में जनजातीय, महिलाओं व अन्य कमजोर समूहों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित राज्य में सीएसओ–सरकारी सहयोग की एक अनूठी पहल है। पी एवं आरडी विभाग में मनरेगा प्रकोष्ठ, पश्चिम बंगाल सरकार, बीआरएलएफ तथा 7 सीएसओ ने परियोजना शीर्षक "ऊषर–मुक्ति – पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भाग वाटरशेड प्रणाली में मनरेगा के प्रभावकारी क्रियान्वयन" प्रारंभ करने से त्रिपक्षीय समझौता किया। अगस्त 2017 को पश्चिम बंगाल मनरेगा प्रकोष्ठ और बीआरएलएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह परियोजना अगस्त 2021 में समाप्त हो जाएगी। ऊषर–मुक्ति पश्चिम बंगाल (जंगलमहल) के पश्चिमी पठार और उच्चभूमि क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो राज्य के सबसे गरीब हिस्सा है, जिसमें आदिवासी जनसंख्या (जनसंख्या का 40: अनुसूचित श्रेणियों से संबंधित है) की अधिक सघनता, वन्य गांवों का उच्च अनुपात और एचडीआई के सभी मापदंडों में कम गणना विशेषता है।

परियोजना का लक्ष्य चोटी से मैदान पर पहुंच बनाने द्वारा अजय, मयूराक्षी, दामोदर, दरकेश्वरी, कंसबती, शिलाबाती, और स्वर्णमुखी तथा उनकी सहायक नदियों के साथ 7 खस्ताहाल नदियों के जीर्णोद्धार करने से जलग्रहण में 12,00,000 हेक्टेयर को विकसित करना है, जो बंगाल की नदियों तथा उनके जलग्रहण क्षेत्रों के पुनरुद्धार व कायाकल्प से अग्रणी है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का उन्मूलन भी करता है। इसके अलावा, परियोजना क्रियान्वयन के माध्यम से, यह जलवायु अनुकूल समुदायों को विकसित करने, कृषि प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने,

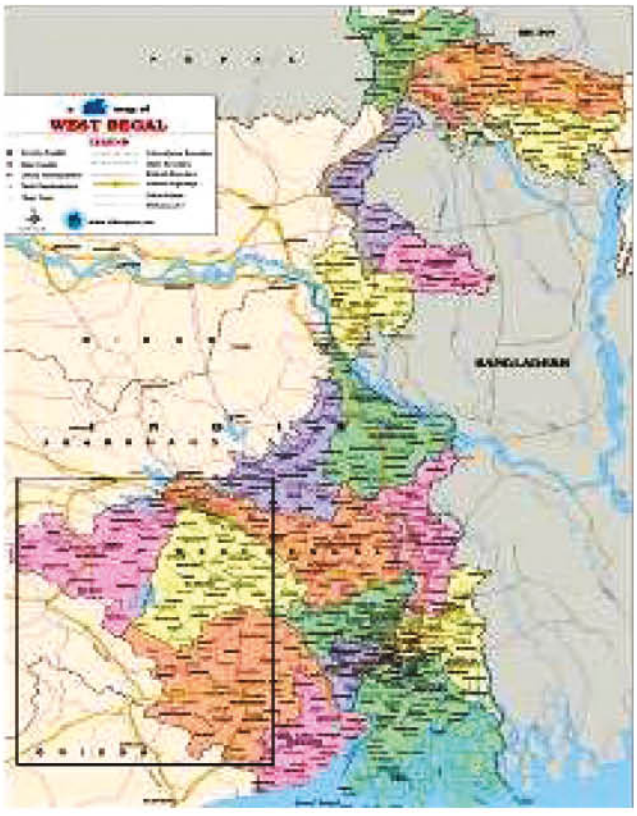

कृषि प्रथाओं को तेज करने और विविधता लाने में सहायता करेगा, जिससे अतिरिक्त आय होगी, वैकल्पिक, स्थायी आय पैदा करने वाली गतिविधियां उत्पन्न होंगी, जबकि सामाजिक पूंजी को बढ़ाने और लोगों, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), और सरकार के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। हस्तक्षेप से 5,00,000 परिवारों, विशेषकर आदिवासी परिवारों को लाभ होगा। इस परियोजना में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान सहित पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 2,044 माइक्रो वाटरशेड, 10,091 गांवों, 384 जीपी, 54 प्रखण्ड शामिल हैं।

क्षेत्र क्रियान्वयन में लगे हुए सीएसओ भागीदारः

1. डवेल्पमेंट रिसर्च कम्यूनिकेशन एण्ड सर्विस सेंटर (डी. आरसीएससी)
2. टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डवेल्पमेंट (टीएसआरडी)
3. रूरल डवेल्पमेंट एसोसिएशन (आरडीए)
4. शमायिता मठ (एसएम)
5. लोक कल्याण परिषद् (एलकेपी)
6. प्रदान (अग्रणी सीएसओ)
7. प्रसारी (फोर्ड फाउंडेशन)

वित्त वर्ष 2020–21 में कार्यक्रम की प्रगति की मुख्य विशेषताएं

- सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार कर ली गई हैं। परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मनरेगा से निधि उत्तोलन करने द्वारा वाटरशेड आधार पर भूमि और जल उपचार उपायों को शुरू करने के लिए 90 माइक्रो–वाटरशेड डीपीआर का भी पुनः दौरा किया गया है।
- हितधारकों–राज्य सरकार के मध्य समन्वयन, पीआरआई तथा सीएसओ को सभी सभी स्तरों पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया तथा सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण की गई।
- ऊषर–मुक्ति योजना व क्रियान्वयन पर सरकारी पदाधिकारियों (जीपी एवं प्रखण्ड) तथा पीआरआई के लिए विभिन्न हितधारकों–621 के साथ क्षमता निर्माण गतिविधियां आयोजित की गई, समुदायों के साथ 1,910 बैठकें, तथा कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सीएसओ स्टाफ की क्षमता वृद्धि के लिए 11 बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रवेश पर हल्के फैलाव के साथ मनरेगा में 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) योजना का 70% समावेश किया गया था।
- 2020–21 में, परिपूर्णता स्तर पर कार्य पूर्ण करने के लिए कुल 90 मॉडल माइक्रो वाटरशेड चयनित किए गए थे। मार्च 2021 तक, 70% प्रगति अर्जित हो गई है तथा शेष कार्य जुलाई 2021 तक पूर्ण किए जाएंगे।
- मनरेगा योजना क्रियान्वयन से संरक्षण संरचना के साथ कुल उपचारित क्षेत्र 76,291 के साथ 46,554.15 हेक्टेयर था। 150% की फसल सघनता के अधीन लाभान्वित कुल क्षेत्र 29,382.89 हेक्टेयर था।
- 2020–21 में, कुल व्यय राशि (मनरेगा से उत्तोलन राशि) रु. 629.23 करोड़ है, जबकि 3.11 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पादित हुए हैं।
- संधारणीय आजीविक हेतु, 6,301 स्वयं सहायता समूहों को कृषि, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम तथा एनटीएफपी के विकास हेतु ऊषर–मुक्ति के अधीन विकसित किया गया था। 665,520 परिवारों को सघन आजीविका गतिविधियों के अधीन लाभान्वित किया गया था।
- सभी ऊषर–मुक्ति सीएसओ ने सरकार के साथ कोविड–19 महामारी राहत कार्यों में भाग लिया। उन्होने "द्वार सरकार," सहित राज्य स्तरीय योजनाओं के निष्पादन में सरकारी कार्यकर्ताओं को भी सुविधा प्रदान की, जहां पर जॉब कार्ड तथा अन्य लाभ समुदायों को वितरित किए गए थे।

- 87,000 परिवारों को इस कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित किया गया था
- 77,023 योजनाएं कार्यान्वित की गई
- उच्च फसल सघनता के अधीन 89,751.90 हेक्टेयर, तथा 35,652 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आवृत्त किया गया,
- 5.46 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पादित करते हुए,
- मनरेगा के तहत कुल व्यय आईएनआर 983.92 करोड़ किया गया,
- अन्य लाईन विभागों के माध्यम से व्यय आईएन. आर 115.36 करोड़ है
- ऊषरमुक्ति के लिए कुल व्यय उत्तोलन आईएन. आर 1,099.28 करोड़ है

ऊषर मुक्ति कार्यक्रम की पहुँच

क्र.सं.	सीएसओ का नाम	जिलों के नाम	प्रखण्डों की संख्या	एमडब्ल्यू एस की सं.	पंचायतों की संख्या	गांवों की संख्या	परिवारों की संख्या
1	डीआरसीएससी	पुरुलिया	5	202	46	425	138104
2	एलकेपी	पश्चिम बर्धवान एवं पुरुलिया	8	245	77	697	95909
3	आरडीए	झाडग्राम, पश्चिम मेदनीपुर	4	191	40	1611	11647
4	एसएम	बांकुरा	5	161	44	604	27879
5	टीएसआरडी	पुरुलिया	5	144	33	514	117929
6	प्रदान	झाडग्राम, बांकुरा, पुरुलिया	22	1019	194	3926	607659
7	प्रसारी	बीरभूम	5	55	13	441	64028
	कुल		54	2017	447	8218	1063155

ऊषर–मुक्ति कार्यक्रम– व्यय और व्यक्ति–दिवस के कार्य स्थिति की प्रगति

क्र.सं.	जिला	2018–19		2019–20		2020–21		कुल	
		व्यय (लाख)	बनाए गए व्यक्ति दिवस	व्यय (लाख)	बनाए गए व्यक्ति दिवस	व्यय (लाख)	बनाए गए व्यक्ति दिवस	व्यय (लाख)	बनाए गए व्यक्ति दिवस
1	बांकुरा	3669.97	3081405	7560.08	4997634	17274.18	7675887	28504.23	15754926
2	पुरुलिया	1310.56	792251	10557.76	6489544	23553.77	13503528	35422.09	20785323
3	झाड़ग्राम	763.59	400151	5563.25	3684275	11883.12	4766558	18209.96	8850984
4	पश्चिम मेदनीपुर	40.12	20817	1492.19	919848	1406.48	533998	2938.79	1474663
5	पश्चिम बर्धवान	1147.95	779777	1753.52	1216311	3961.19	2417008	6862.66	4413096
6	बीरभूम	326.64	157885	1283.19	974137	4844.20	2190072	6454.03	3322094
	कुल	7258.83	5232286	28209.99	18281749	62922.94	31087051	98391.76	54601086

एक झलक में ऊषर–मुक्ति कार्यक्रमः 2017–2020 का प्रभाव मूल्यांकन

क्र.सं.	मापदण्ड	
1	कुल क्षेत्रफल जहाँ मृदा अपरदन की जाँच की गई (हेक्टेयर)	29017.58
2	अतिरिक्त स्थायी वनस्पति सृजित (हेक्टेयर)	18686.72
3	अतिरिक्त अपवाह अवरुद्ध (हैम.)	29791.39
4	डब्ल्यूएचएस में बहाल पानी की कुल मात्रा (हैम./वर्ष)	15506.61
5	प्रति व्यक्ति अतिरिक्त जल संचयन क्षमता सृजित (घन मीटर)	49.88
6	सुनिश्चित खरीफ फसल की कृषि का बढ़ाया गया कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	155066.13
7	सुनिश्चित रबी फसल की कृषि का बढ़ाया गया कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	51688.71
8	सुनिश्चित ग्रीष्मकालीन फसल की कृषि का बढ़ाया गया कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	10337.74

3.5 झारखण्ड व मध्य प्रदेश के विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह' (पीवीटीजी) के जीवन को रूपांतरित करने हेतु नागरिक समाज क्रिया को सुदृढ़ करना

बीआरएलएफ यूरोपीय संघ की वित्त पोषित परियोजना "झा. रखण्ड और मध्य प्रदेश के विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह' (पीवीटीजी) के जीवन को रूपांतरिक करने के लिए नागरिक समाज क्रिया को सुदृढ़ करने" का क्रियान्वयन कर रही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश व झारखण्ड में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह' तथा दलितों के जीवन व आजी. विका को रूपांतरित करने हेतु निम्नलिखित द्वारा लक्षित है:

- जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नागरिक सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के परिणामों की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- संसाधन जुटाने, पक्षपोषण तथा नीति संवाद में नागरिक सामाजिक संगठनों की क्षमता का निर्माण करना
- जल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण अनुकूलन हेतु कार्यक्रम सामग्री व रणनीति में नवाचार बढ़ाना

लाभान्वित प्रखण्ड व जिले

यह परियोजना मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 4 प्रखण्डों तथा झारखंड में 2 जिलों के दो प्रखण्डों में लगभग 279 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है।

प्रमुख परिणामः

2020–21 में, परियोजना के तहत गठित समुदाय आधारित संगठनों को मजबूत करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से बड़े पैमाने पर अभिसरण की सुविधा के लिए प्रमुख ध्यान दिया गया था। परिणामस्वरूप, महात्मा गांधी

राज्य	जिला	प्रखण्ड	गांवों की संख्या	कार्यान्वयन भागीदार
झारखण्ड	लातेहार	मानिका	40	वीएसके
	पलामु	छत्तरपुर	35	वीएसके
मध्य प्रदेश	शिवपुरी	शिवपुरी	65	परहित
	श्योपुर	काराहाल	27	निस्वार्थ
		बिजयपुर	52	धरती
	गुना	गुना	60	कल्पतरु

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 400 जल संचयन संरचनाएं निर्मित की गई तथा उज्ज्वला योजना से लगभग 10,240 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा, परियोजना भागीदारों ने परियोजना के तहत प्रारंभ किए गए हस्तक्षेपों, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मिट्टी और जल संरक्षण कार्यों को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं से संसाधनों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। कई अन्य परिवार पशुधन विकास और कृषि उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। संधारणीय कृषि और पशुधन विकास आदि के माध्यम से लगभग 17,335 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

2020 में इस परियोजना की समीक्षा यूरोपीय संघ द्वारा नियुक्त एक परिणाम उन्मुख निगरानी (आरओएम) विशेषज्ञ सुश्री स्टेफानिया पिरानी द्वारा की गई थी। समीक्षा के दौरान, सुश्री पिरानी ने परियोजना के परिणामों को प्राप्त करने के लिए बीआरएलएफ और टीम द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार किया था।

कोविड–19 के फैलाव तथा एफसीआरए कानून में संशोधन के कारण परियोजना गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। एफसीआरए कानून में नए संशोधन के परिणामस्वरूप, बीआरएलएफ को इस परियोजना के लिए उप अनुदान बंद हो गया था। बीआरएलएफ ने पारस्परिक रूप से कार्यान्वयन भागीदारों के साथ साझेदारी को बंद कर दिया और यूरोपीय संघ से बिना किसी लागत के विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीधे इस परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

उपलब्धियां:

- परियोजना में नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश से 60 समुदाय आधारित संगठन तथा झारखण्ड से 40 समुदाय आधारित संगठन पहचाने गए और पंजीकृत किए गए थे।
- सभी परियोजना गांवों से 279 स्वयं सहायता समूहों को गठित/पुनर्जीवित किया गया, इस समय 210 स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ जुड़े हुए हैं

- 100% किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) (05) ने परिप्रेक्ष्य/व्यावसायिक योजनाओं को तैयार किया तथा उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं
- 80% समुदाय आधारित संगठनों (210 स्वयं सहायता समूह) ने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया है
- 5 निर्दिष्ट तथा विषय आधारित क्षेत्रों जैसे जल, स्वच्छ ऊर्जा, तथा जलवायु परिवर्तन पर 215 मानव संसाधन प्रशिक्षित किए गए हैं
- मनरेगा के अधीन 1759 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया तथा 500–हेक्टेयर भूमि सुरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।
- अंतिम खरीफ एवं रबी के सीजन में खाद्यान उत्पादन 20% तक बढ़ा है
- 50% से अधिक (10,240) परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है
- मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड से 203 युवाओं के लिए सौर ऊर्जा पर 5 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1520 घरों का निर्माण किया गया था
- 279 गांवों से 14,442 किसानों को प्रशिक्षित किया गया तथा धारणीय कृषि प्रथाएं जैसे एनपीएम, एसआरआई, लाईन बीजाई तथा मिश्रित फसल प्रारूप अपनाने की सुविधा प्रदान की गई।
- 5 ग्राम पंचायतों के 14 गांवों के लिए जीआईएस योजना प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी तथा गांवों में 80% कार्य कर लिया गया है।
- सरकारी योजनाओं के माध्यम से 3 सौर पंप स्था. पित किए गए और परियोजना गांवों में अधिक सौर पंप स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के तहत 29 किसानों को पंजीकृत किया गया। 2019–20 में परियोजना के गांवों में 5 सौर पंप लगाए गए थे।
- 52 मानव संसाधनों को सामुदायिक स्तर की जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, परिणामस्वरूप, 15 जल उपयोगकर्ता समूह अब जल सुरक्षा योजनाओं के आसपास सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहे हैं।
- योजनाओं जैसे मनरेगा तथा अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से जुटाई गई निधि 1,100 लाख रुपये से 1759 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था।

3.6 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल) तथा बीआरएलएफः एक नया संबंध

27 जनवरी, 2020 को, भारत सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के बीच एक समझौता ज्ञापन पहुंचा था और सभी मुख्य गुटों ने हथियार डाल दिए थे, जो शांति एवं विकास के कार्य के लिए सुलझाया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल कांउसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) श्री प्रमोद बोडो ने अपनी सहायता के लिए बीआरएलएफ को निवेदन करते हुए बीआरएलएफ के संस्थापक अध्यक्ष, डॉ. मिहिर शाह को लिखा। यह निश्चित किया गया कि बीआरएलएफ जमीनी स्तर पर नए नेतृत्व के क्षमता निर्माण के लिए ध्यान देने के साथ सहायक एजेंसी की भूमिका निभाएगी। जमीनी स्थिति और कार्य की संभावनाओं को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन करना चाहिए। यदि जन केन्द्रित विकास कार्य नहीं हुए तो इस क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा की चपेट में आने का पूरा खतरा है। क्षेत्र की विशिष्ट पारिस्थितिकी की अच्छी समझ के आधार पर आजीविका पर काम करना महत्वपूर्ण होगा। यह सब बीआरएलएफ की मूल रणनीति और दृष्टिकोण के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और बीआरएलएफ के बीच हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, बीआरएलएफ के कार्य का प्रारंभिक ध्यान मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र पर होना चाहिए था, लेकिन बाद के वर्षों में बीआरएलएफ पूरे भारत में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए था। बीटीसी के सीईएम द्वारा लिखे गए पत्र के साथ बोडोलैंड में कार्य करने का मामला 25 मार्च 2021 को बीआरएलएफ के सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति की बैठक में उनके समक्ष रखा गया था। जीबी और ईसी ने सर्वसम्मति से इस साझेदारी को अनुमोदन प्रदान किया।

बीटीसी और बीआरएलएफ द्वारा नामित सदस्यों के साथ एक कार्य बल गठन किया गया है। कार्य बल में शामिल हैः

- श्री नरेन बसुमातरी, एसीएस और सचिव, बीटीसी,
- डॉ. संगरंग ब्रह्मा, सीईएम के ओएसडी
- श्री राजू नसर्जरी, कार्यकारी निदेशक, एनईआरएसडब्ल्यूएन
- श्री प्रद्युत भट्टाचार्जी, कार्यकारी निदेशक, सेस्टा
- डॉ. सुनील कौल, द एंट नेटवर्क
- सुश्री स्मिता अग्रवाल, कार्यकारी समिति सदस्य, बीआ. रएलएफ
- सुश्री पिंकी ब्रह्मा चौधरी, सह–संस्थापक, समाज प्रगति सहयोग
- श्री प्रमथेश अंबष्ट, सीईओ, बीआरएलएफ

बेसलाइन स्कोपिंग अध्ययन करने पर कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण इसे रोकना पड़ा है।

पृष्ठभूमि पर, कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें 7 राज्यों के 14 जिलों के 20 पायलट स्थानों में तकनीकी भागीदारों द्वारा प्रदान की गई सहायता शामिल है।

4. सीएसओ भागीदारों की विषय-क्षेत्र संबंधी तकनीकी सहायता

4.1 सहभागी भू–जल प्रबंधन (पीजीडब्ल्यूएम)

अर्घ्यम के सहयोग से, बीआरएलएफ ने सहभागी भूजल प्रबंधन (पीजीडब्ल्यूएम) पर केंद्रित पायलटों को क्रियान्वित किया गया है। बीआरएलएफ भागीदारों द्वारा पृष्ठभूमि पर, कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें 7 राज्यों के 14 जिलों के 20 पायलट स्थानों में तकनीकी भागीदारों द्वारा प्रदान की गई सहायता शामिल है।

अक्टूबर 2020 में, बीआरएलएफ के भागीदारों ने पीजीडब्ल्यूएम परियोजना को पूरा किया, और जिसके फलस्वरूप भूमि पर दिलचस्प परिणाम प्राप्त हुए।

बीआरएलएफ की पहल ने सीआईटीबी में सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए साक्ष्य बनाने में सहायता की है। इस पहल ने संसाधनों और संसाधन निगरानी तंत्र की साझा समझ के महत्व पर भी बल दिया है। भूजल विकास का वर्तमान प्रतिमान, जिसे सीआईटीबी में बढ़ावा दिया जा रहा है, को सावधानी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और शासन के तत्वों को एकीकृत करना चाहिए जो संसाधन की स्थिरता को सक्षम करते हैं और क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस कार्यक्रम ने एक 3डी पीजीडब्ल्यूएम दृष्टिकोण के विकास को सक्षम किया है जो निम्नलिखित में आंकड़े, प्रसार और निर्णय लेने पर केंद्रित है:

प्रसार

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- सामुदायिक बैठकें
- उपयोगकर्ता समूहों के साथ बैठकें
- ग्राम सभा • जिला स्तरीय कार्यशालाएं
- आंतरिक कार्यशाला • आईईसी सामग्री

आंकड़े

- निगरानी नेटवर्क और आंकड़े प्रबंधन
- जलभृत मानचित्र • जल की गुणवत्ता
- सामाजिक–जल–भूवैज्ञानिक स्थिति
- जलभृत की विशेषताएं
- जल गुणवत्ता संभावित पुनर्भरण क्षेत्रों का सीमांकन

निर्णय

- जल सुरक्षा योजना– आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के लिए हस्तक्षेप
- प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल का विकास
- प्रबंधन के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण
- प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल को अपनाना

अक्तूबर 2020 से पीजीडब्ल्यूएम प्रक्रिया की प्रमुख गतिविधियाः

- 20 पीजीडब्ल्यूएम पायलट स्थानों में भूवैज्ञानिक और जल–भूवैज्ञानिक मानचित्रण।
- 20 पीजीडब्ल्यूएम पायलट स्थानों में जलवाही स्तर विवरण (पंपिंग परीक्षण) पूरा किया गया
- सभी 20 पीजीडब्ल्यूएम पायलट स्थानों में जल गुणवत्ता जांच पूरी कर ली गई है।
- सभी स्थानों पर सामुदायिक प्रोटोकॉल स्थापित किए गए तथा भूजल पर निर्भरता कम करने और उपलब्ध जल के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय द्वारा उनका पालन किया गया।
- सभी 20 पायलट स्थानों में फसल जल बजट एवं जल सुरक्षा योजना तैयार एवं क्रियान्वित की गई।
- भूजल से संबंधित उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बीआरएलएफ भागीदारों और समुदायों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 100 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को अच्छी तरह से निगरानी, फसल जल बजट और जल सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशिक्षित किया गया।
- 20 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (सभी वैज्ञानिक आदानों के साथ) तैयार की गई और 20 पायलट स्थानों में जल सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तुत की गईं।
- पीजीडब्ल्यूएम परियोजना स्थानों के भीतर जल सुरक्षा योजना के अनुसार सरकारी योजनाओं के माध्यम से जल संचयन संरचनाओं (खुला कुआं, स्टॉप डैम और फार्म तालाब) के निर्माण और वृद्धि के लिए रु. 8 करोड़ जुटाए गए हैं।
- इस पहल से सीखे गए सबक के आधार पर, बीआरएलएफ भागीदारों ने इस पहल को और बढ़ाने के लिए 20 पायलट साइटों के अलावा 10 नए गांवों में पीजीडब्ल्यूएम का प्रारंभ किया है।

4.2 गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम)

बीआरएलएफ–सीएसओ भागीदार जनजातीय परिवारों में खाद्य पर्याप्तता सुनिश्चित करने और आय बढ़ाने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां और फलों सहित विभिन्न फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीआरएलएफ अपने कृषि हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन करने के लिए रणनीति के रूप में एनपीएम (गैर–कीटनाशक प्रबंधन) को अपनाने के लिए अपने सीएसओ भागीदारों को प्रोत्साहित कर रही है। एनपीएम दृष्टिकोण के लिए, बीआरएलएफ एक तकनीकी संसाधन संगठन का समर्थन कर रहा है जो तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अपने कार्यान्वयन भागीदारों, सोशल एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (एसईडीएस) को सहायता प्रदान करता है। सीड्स एफपीओ के माध्यम से छोटे किसानों के साथ बाजार संबंधों को बढ़ावा देकर स्थायी एनपीएम कृषि को मजबूत करने का इरादा रखता है। यह परियोजना अक्तूबर 2018 में शुरू हुई और मार्च 2022 में समाप्त होगी।

बीआरएलएफ की आजीविका परियोजनाओं का प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य लक्षित परिवारों की समग्र जनजातीय आजीविका की स्थिति में सुधार करना है। प्रारंभ में, उत्पादन के लिए समर्थन दिया गया था। जैसा कि भागीदारों ने अपने स्थानों में किसानों के साथ एनपीएम अभ्यास में कौशल हासिल किया, यह महसूस किया गया कि एनपीएम मूल्य श्रृंखला और विपणन के निर्माण के लिए उन्हें समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए इस संदर्भ में, बीआरएलएफ और एनपीएम नेटवर्क ने किसान उत्पादन संगठनों के मजबूतीकरण तथा उनकी बाजार की तैयारी में सुधार करने के लिए एनपीएम उत्पादन में ओडिशा और मध्य भारत में कार्य कर रहे 22 सीएसओ का सहयोग कर रहा है।

एस.ई.डी.ई.एस. भागीदारी के उद्देश्य

एस.ई.डी.ई.एस.–एनपीएम परियोजना का उद्देश्य कृषि में एनपीएम को बढ़ावा देने वाले बीआरएलएफ के भागीदारों की बाजार की तैयारी में सुधार करना है। यह परियोजना, पांच मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में 22 सीएसओ को लाभान्वित करते हुए "एनपीएम (गैर–कीटनाशक प्रबंधन) कृषि का अभ्यास करने वाले छोटे और सीमांत किसानों की बाजार की तैयारी में सुधार करने," वाली है। भागीदारों की मौजूदा क्षमताओं के आधार पर, एस.ई.डी.ई.एस. और एनपीएम नेटवर्क उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें बाजार के लिए तैयार होने की दिशा में सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए, भागीदारों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि एफपीओ प्रबंधन, प्रत्ययी प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास, और मूल्य संवर्धन में पायलटों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

एनपीएम परियोजना (एस.ई.डी.ई.एस.) के उद्देश्य निम्नानुसार है:

- समुदाय आधारित, उत्पादक नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए एनपीएम का समर्थन करने वाले भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करना।
- भागीदारों की बाजार की तैयारी को बढ़ाने हेतु, जो पहले से ही एफपीओ को बढ़ावा दे रहें हैं तथा उनके लिए खुले, संगठित बाजारों के साथ किसान समुदायों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की संभावना बनाना।

वित्त वर्ष 2020–21 में एस.ई.डी.ई.एस.–एनपीएम प्रगति की मुख्य विशेषताएं

महामारी के दौरान, ऑनलाईन प्रशिक्षण की अनुगामी प्रगति की निगरानी के लिए भागीदार संगठनों के 10 से अधिक दौरे किए गए

फसल के बाद की विधियों तथा सुरक्षित खाद्य की उपभोक्ता जागरूकता पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए दो फिल्में बनाई गई हैं।

एफपीओ गठन, सुदृढ़ीकरण और बाजार मानकों पर एस.ई.डी.ई.एस. और सेफ हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा 15+ ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट, ग्राम सुधार समिति और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सोसाइटी सहित 3 संगठनों ने अपने एफपीओ पंजीकृत किए हैं।

जेएसएमबीटी–समुहा से डी सरवानन द्वारा सभी एपीसी भागीदारों के लिए एनपीएम उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने पर रायचूर, कर्नाटक में ऑनलाईन कोर्स आयोजित किया गया था।

ओडिशा के सभी भागीदारों के लिए सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के सहयोग से उन्नत एनपीएम पर ऑनलाईन कोर्स आयोजित किया गया था। सभी भागीदारों के 36 सदस्यों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और कीट पहचान के लिए नवीनतम तकनीकों और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा। दो भागीदारों ने वहीं पर अपने फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया।

कृत्रिम रसायनों का उपयोग किए बिना एनपीएम उत्पादों के भंडारण के लिए 2,100 वायुरोधी लाइनर बैग सभी 21 भागीदारों के बीच एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में वितरित किए गए हैं और 5 भागीदारों द्वारा किसानों के साथ प्रदर्शन (डेमो) सत्र आयोजित किए गए थे। इससे किसानों को 2 वर्षों तक उन बीजों और खराब न होने वाली वस्तुओं, जिनमें 14: से कम नमी होती है के भंडारण में सहायता मिली।

ग्राम सुधार समिति के एनपीएम किसानों से 7 टन एनपीएम फ्लैक्स बीज एकत्र किए गए तथा सेफ हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेचे गए। फलस्वरूप, संगठन मार्च, 2021 में एफपीओ के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रेरित हुए।

साभुजीमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 10 टन एनपीएम इमली एकत्र की गई थी, जिसे सेंटर फॉर यूथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और सेफ हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जाता है।

4.3 विमुक्त / घुमंतू (डीएनटी / एनटी) जनजातीयां

बीआरएलएफ ने डीएनटी / एनटी गतिविधियों पर संगठन की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए श्री गिरीश प्रभुन (बीआरएलएफ ईसी सदस्य) की अध्यक्षता में डीएनटी / एन. टी पर एक उप–समिति का गठन किया। उप–समिति की अनुशंसा पर, बीआरएलएफ ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुर्दुवाड़ी गांव में 150 पारधी परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना प्रारंभ की। पायलट परियोजना 2019 के सितंबर

माह में प्रारंभ की गई तथा परियोजना स्थल पर रखे गए 4 व्यक्तियों की एक समर्पित टीम द्वारा इसका कार्यान्वयन किया गया। 8 सितंबर, 2020 को प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात, उप–समिति ने परियोजना की गतिविधियों को विस्तृत करते हुए परियोजना को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बीआरएलएफ टीम ने वर्ष 2020–21 के लिए इस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना गतिविधियों, अस्थायी बजट और परिचालन तंत्र को आगामी विकसित किया है। इस परियोजना का दूसरा चरण 1 दिसंबर, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ हुआ। वर्ष 2020–21 के लिए परियोजना का कुल बजट 0.17 करोड़ रुपए है।

2020–21 के लिए डीएनटी/एनटी परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- 4 सदस्यों (3 सीआरपी और 1 टीम लीडर) की एक टीम की भर्ती की गई है और उनको नामित कार्यक्षेत्रों पर तैनात किया गया है। यह टीम बीआरएलएफ ईसी सदस्य श्री गिरीश प्रभुन के मार्गदर्शन में काम करती है।
- परियोजना क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु समुदाय के लिए सहमति पत्र का प्रारूप तैयार किया गया था। सामुदायिक समझौता कार्य चल रहा है। एक बार सामुदायिक समझौते को अंतिम रूप देने के बाद, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
- समुदाय 14 गायों की देखभाल कर रहा है।
- परियोजना टीम ने नई गाय वितरण करने के लिए घरों का सर्वेक्षण किया।
- कमजोर और इच्छुक परिवारों के चयन के लिए गिरीश प्रभुन और समुदाय के साथ एक बैठक की योजना बनाई जा रही है।
- परियोजना टीम ने समुदाय के साथ एक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पाईपलाईन गतिविधियों हेतु एक उपयुक्त स्थल की पहचान करने में सहायता की है।
- पाईपलाईन का निर्माण पूरा हो चुका है और यह पाइपलाईन नहर से जुड़ती है और सिंचाई के लिए जल लाने में सहायता करती है।
- 2 एकड़ भूमि पर कृषि पद्धतियां और चारा पौधारोपण किया गया था।
- ज्वार को डेढ़ एकड़ भूमि में बोया गया है।
- आधा एकड़ भूमि में चारे (घास) का रोपण किया गया है।

4.4 वनाधिकार कानून (एफआरए) के तहत सामुदायिक वनाधिकार (सीएफआर) पर कार्य

2018 में बीआरएलएफ की कार्यकारिणी ने, श्री मोहनभाई हीरालाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसका काम यह देखना था कि, वनाधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक वनाधिकार के क्षेत्र में बीआरएलएफ के भागीदार किस तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं। स्थापना से अब तक कमेटी की कई बैठकें आयोजित की हैं और बीआरएलएफ के भागीदारों के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है ताकि इस मुद्दे पर काम करने के उपाय तलाशे जा सकें। इस कार्यशाला के मुख्य निष्कर्ष हैः–

- ऐसे जिले खोजे जाएं जहाँ पर सामुदायिक वनाधिकार पर काम नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में जागृति लाने के लिए अधिक मानव और अन्य संसाधनों की जरूरत है।
- सरकार द्वारा, जिला और विकास प्रखण्ड प्रशासन में नए जुड़ने वाले अधिकारियों का क्षमता विकास किया जाना चाहिए। उन्हें उन क्षेत्रों का अनुभव दिया जाना चाहिए जहाँ पर सीएफआर के क्षेत्र में समुदायों ने अच्छा काम किया है।
- ग्रामीण युवाओं के क्षमता विकास के लिए भी पहल की जानी चाहिए क्योंकि भविष्य में यही युवा जंगलों को संभालेंगे और राजनीति और अफसरशाही की चुनौतियों का सामना करेंगे।
- एफआरए के संयोजकों को स्थल पर नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे दावों को निपटाने की प्रक्रिया को गति देने में सहायक हो सकें।
- एफआरए की राज्य, जिला और खण्ड स्तर की कमेटियां बनाई जाएं।
- युवाओं को आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- यह निश्चित किया गया कि सीएफआर के संबंध में राज्य सरकारों तक पहुँचने से पहले हमें अपना गृहकार्य कर लेना चाहिए दृ सीएफआर के आंकड़े एकत्र करना, एमआईएस का रख–रखाव करना, इत्यादि।
- यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएफआर की संचिका बनाने के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका बनाई जाए जो स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो।
- दावा दायर करने के लिए कानूनी दस्तावेजों की सूची बनाई जानी चाहिए।

Ganga Kaveri
BRAND
SEEDS
HYBRID MAIZE SEEDS
GK-3046
Ganga Kaveri
BRAND
SEEDS
HYBRID MAIZE SEEDS
GK-3046

- ऐसे दावे जो अस्वीकार हो गए हों उनकी भी एक सूची बनाई जानी चाहिए।
- क्षमता–विकास स्तम्भ को प्रशिक्षण का एक मानदण्ड विकसित करना चाहिए और ऐसी संस्थाओं की पहच. ान करनी चाहिए जो सीएफआर के दावे दर्ज करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण दे सकें।

12 मार्च, 2021 को, कमेटी ने "मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा महाराष्ट्र में सीएफआरके क्षेत्र में संभावनाओं के आकलन व मानचित्रण" पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अशोका ट्रस्ट फॉर रीसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एन्वायरमेंट (एटीआरईई) को आमंत्रित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में पहचाने गए सीएफआर के अभिज्ञान पर कार्य कर रही सरकारी एजेंसियों व नागरिक समाज समूहों दोनों को सक्षम बनाना, स्थानों पर लक्षित, तथा क्षेत्राधिकार का भी व्यक्तिगत गांवों में सामना करना था।

इन 4 राज्यों में, यह देखा गया कि लगभग 60,000 गांव, न्यूनतम 1,83,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में एफआरए के तहत संभावित रूप से सीएफआर अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे लगभग 6.26 करोड़ लोगों की कुल आजीविका को संभावित रूप से लाभ होगा, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 2.36 करोड़ व्यक्ति और अनुसूचित जाति के लगभग 0.66 करोड़ लोग शामिल हैं (जनगणना 2011 के अनुसार)। तथापि, जब कोई वास्तविक सीएफआर अधिकारों की मान्यता के क्षेत्र के साथ क्षमता की तुलना करता है (जो कि ज्यादातर राज्यों में अन्य अधिकारों और दोहरी गिनती के साथ जुड़ने के कारण खुद का एक अधिक अनुमान है), तो हम पाते हैं कि आगे काम करने की संभावना है। वास्तव में, महाराष्ट्र (जहां सटीक आंकड़ा है) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है (मान्यता प्राप्त अधिकार अनुमानित क्षमता का 23% है), जबकि अन्य राज्यों में मान्यता की सीमा बहुत कम है, झारखंड में सबसे कम केवल 2% है। संभावित और वास्तविक मान्यता के बीच इस अंतर को उजागर करके और सीएफआर संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक स्थानिक जानकारी प्रदान करके, रिपोर्ट एफआरए के सीएफआर प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इस अंतर को स्पष्ट करने द्वारा और सीएफआर संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक स्थानिक जानकारी प्रदान करके, विश्लेषण वन अधिकार अधिनियम 2006 (एटीआरईई रिपोर्ट, 2021, पी. 21) के इस प्रमुख प्रावधान के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

4.5 सीएफआर पर तेलंगाना सरकार के साथ संभावित भागीदारी

समिति के मार्गदर्शन में, आदिलाबाद जिले में अवधारणा के एक पायलट की अवधारणा पर कार्य करने के लिए तेलंगाना सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग के साथ साझेदारी का पता लगाया जा रहा है। आदिवासी कल्याण आयुक्त, तेलंगाना सरकार के साथ उप–समिति की बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें इन विचारों तथा उनके संचालन पर चर्चा की गई थी। उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा।

राज्य	इस अध्ययन से संभावित न्यूनतम सीएफआर	स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सामुदायिक अधिकार क्षेत्र
छत्तीसगढ़	53,843 किमी²	8,252 किमी² (15%)
मध्य प्रदेश	57, 948 किमी²	5,931 किमी² (10%)
झारखण्ड	21, 175 किमी²	420 किमी² (2%)
महाराष्ट	50, 264 किमी²	11,769 किमी² (23%)

नोटः दिए गए क्षेत्र का स्रोत जनजातीय मामले मंत्रालय की वेबसाइट पर जनवरी 2020 की मासिक प्रगति रिपोर्ट है, महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां अधिक विस्तृत आंकड़े जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे से आए हैं।

स्रोतः एटीआरईई रिपोर्ट, 2021

5. जनजातीय मामले मंत्रालय का श्रेष्ठता केंद्र-बीआरएलएफ

वर्ष 2019 में बीआरएलएफ और भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय (मोटा) के बीच एक महत्वपूर्ण भागीदारी की शुरूआत की गई। मोटा ने बीआरएलएफ को अपना एक श्रेष्ठता–केंद्र घोषित किया है और निवेदन किया कि, श्रेष्ठता केंद्र के रूप में बीआरएलएफ मंत्रालय के कुछ कामों की जिम्मेदारी ले– नागरिक सामाजिक संस्थाओं का चयन, पश्चिम बंगाल में ऊषर–मुक्ति परियोजना पर शोध, नागरिक सामाजिक संगठनों को दिए जाते अनुदान योजना का मूल्यांकन करने सहित दो परियोजनाएं प्रदान की हैं।

5.1 मोटा के नागरिक सामाजिक संगठनों का चयन

आदिवासी आबादी में विकास के अंतर को कम करने के लिए, मोटा, अपनी अनेक सहायक अनुदान योजनाओं के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को उनके विशिष्ट लक्ष्य केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक मदद देता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय गैर सरकारी संगठन करते हैं जिनका चयन यथोचित निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। योजना का उद्देश्य पिछड़े और अभावग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, नवप्रवर्तन संबंधी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाना और अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक–सामाजिक विकास की योजनाओं का एकीकृत, समन्वित और योजनाबद्ध रूप से कार्यान्वयन करना है। नागरिक सामाजिक संगठनों की कुल संख्या बहुत बड़ी है और उनमें से चयन करने की प्रक्रिया श्रमसाध्य और समयसाध्य है। अतः मंत्रालय द्वारा सोचा गया कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे संभावित संगठनों को आसानी से पहचाना जा सके।

इस वर्ष मंत्रालय को शिक्षा, स्वास्थ्य, नवप्रवर्तन जैसे विषयों पर बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। भारत रूरल लाइवलीहु. ड्स फाउण्डेशन की नागरिक सामाजिक संगठनों को चुनने और उन्हें सहयोग उपलब्ध कराने के मामले में विशेष क्षमता को देखते हुए मोटा ने बीआरएलएफ को इन बड़ी संख्या में प्राप्त हुए प्रस्तावों में से, गहन जाँच प्रक्रिया से श्रेष्टतम प्रस्तावों को चुनने का काम दिया है।

5.2 नागरिक सामाजिक संगठनों के चयन के विभिन्न चरण

चरण I: प्री–फण्डिंग अप्रेजल– अनुदान पूर्व आंकलन–I

अनुदान पूर्व आंकलन (पीएफए)–। जांच प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसका उद्देश्य संगठन के वैधानिक अनुपालन को जांचना और सत्यापित करना – क्या सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं। अगर कोई संगठन दस्तावेज नहीं दे पाया तो, उस संगठन को एक नियमित समय के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया। जब सभी संगठनों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए तब कमेटी ने दस्तावेजों की वैधता और सत्यता को परखा।

चरण II: डेस्क अप्रेजल

जांच प्रक्रिया का दूसरा चरण डेस्क अप्रेजल है। डेस्क मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य संगठन की क्षमता का मूल्यांकन करना है – परियोजना का बजट, औचित्य और संगठन का पूर्वानुभव। सभी संगठनों का मूल्यांकन करने के लिए, अनुशंसित संगठनों के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे पहले चरण के बाद साझा किया गया।

परियोजना के चयन के लिए नीचे दिए वैधानिक अनुपालन

जांच प्रक्रिया का दूसरा चरण डेस्क अप्रेजल है। डेस्क मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य संगठन की क्षमता का मूल्यांकन करना है – परियोजना का बजट, औचित्य और संगठन का पूर्वानुभव। सभी संगठनों का मूल्यांकन करने के लिए, अनुशंसित संगठनों के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे पहले चरण के बाद साझा किया गया।

परियोजना के चयन के लिए नीचे दिए गए मापदण्ड निश्चित किए गए:–

- **वर्ग – I:** 70% अथवा अधिक प्राप्तांक
- **वर्ग – II:** 60% से अधिक किंतु 70% से कम प्राप्तांक
- **वर्ग – III:** 40% से 60% के बीच प्राप्तांक
- **अस्वीकृति:** 40% से कम प्राप्तांक

चरण III: नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा प्रस्तुतियां

जाँच प्रक्रिया के तीसरे चरण में नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा प्रस्तुती प्रस्तुत की जाती है। इस चरण में चुने गए संग. ठनों को दिल्ली में एक कमेटी के समक्ष प्रस्तुती देनी थी, इस कमेटी में मोटा के निदेशक और संयुक्त सचिव भी शामिल थे। किंतु कोविड–19 के चलते लॉकडाउन होने के कारण मोटा ने इन प्रस्तुतियों को ऑनलाईन लेने का निर्णय लिया है।

अंतिम चयन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मोटा को देश के विभिन्न भागों से 118 प्रस्ताव मिले। 18 प्रस्तावों में से 14 प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे नवप्रवर्तन परियोजनाओं के अंतर्गत आते थे। बीआरएलएफ ने जनजातीय मामले मंत्रालय को दिए गए, बाकी के 104 प्रस्तावों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बीआरएलएफ द्वारा की गई जाँच के आधार पर मंत्रालय अंतिम चयन करेगा।

5.3 शोध अध्ययन

मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2008 को सहायता अनुदान योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना और सेवा के अभाव वाले आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं (यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि–बागवानी उत्पादकता, और सामाजिक सुरक्षा के लिए) में अंतराल को भरना था । योजना के तहत, जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों और नियमों और शर्तों के अधीन स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को तीन साल के लिए 100% अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

बीआरएलएफ के अनुसंधान और ज्ञान कार्यक्षेत्र को योजना के मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए मोटा के सांख्यिकी और दस्तावेज प्रभाग से अनुदान सहायता प्राप्त हुई। इस अनुदान के तहत अनुसंधान स्तम्भ अनुसूचित जनजातियों (अधिक विवरण के लिए अनुसंधान पर अध्याय देखें) के स्वास्थ्य और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना की प्रक्रियाओं तथा राज्य, वीओ/एनजीओ और सामुदायिक क्षमताओं पर इसके प्रभाव का पता लगाया जाएगा।

6. क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण (सीबी) बीआरएलएफ का एक मुख्य कार्यस्तम्भ है, जिसके अंतर्गत बीआरएलएफ देश में, वर्तमान और भावी व्यवसायियों के लिए उन क्षमताओं के निर्माण के लिए कार्य करता है जो जमीनी स्तर पर अन्यथा उपलब्ध नहीं होती हैं।

क्षमता निर्माण (सीबी) बीआरएलएफ का एक मुख्य कार्यस्तम्भ है, जिसके अंतर्गत बीआरएलएफ देश में, वर्तमान और भावी व्यवसायियों के लिए उन क्षमताओं के निर्माण के लिए कार्य करता है जो जमीनी स्तर पर अन्यथा उपलब्ध नहीं होती हैं।

वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित क्षमता निर्माण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है:–

- ग्रामीण आजीविक में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल)
- ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए
- सीपीआरएल के पूर्व छात्रों के लिए अल्पकालिक रिफ्रेशर प्रमाणपत्र कोर्स
- डिजिटल टूल्स के माध्यम से दक्षता (ईडीआईटी)

6.1 ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल)

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन और आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी, जयपुर का ग्रामीण आदिवासी व्यवसायियों की क्षमता–निर्माण के लिए किया गया संयुक्त प्रयास है। ग्रामीण रोजगार प्रमाणपत्र कार्यक्रम उन वर्तमान और भावी, आदिवासी ग्रामीण व्यवसायियों (18–40 वर्ष) की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से या पंचायती राज संस्थान के चुने हुए सदस्यों के रूप में ग्राम विकास क्षेत्र में उप–जिला स्तर पर काम करेंगे।

सीपीआरए लक्षित समूहों तथा विभिन्न संस्थागत भागीदारों (सरकार और नागरिक सामाजिक संगठन) के लिए ग्रामीण

नियोक्ता संगठन

प्रगति अभियान	धरती	सेवा
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राईबल हेल्थ	वन विभाग	वीएसके
सपोर्ट	ग्राम गौरव संस्था	उद्योगिनी
हर्षा ट्रस्ट	टीएसआरडीएस	परहित
एफईएस	ऊषर–मुक्ति प्रोजेक्ट	विकल्प
समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट	ग्राम सुधार समिति	युवा मित्र
लोकदृष्टि	सेवा	लुपिन फाउंडेशन
वीईसीडीए	एसजीवीएस	उद्योगिनी
समाज प्रगति सहयोग	एमजेवीएस	शरदेई फाउंडेशन
एग्रोक्रापट्स रूरल डवेल्पमेंट सोसाईटी	एसपीडब्ल्यूडी	आदिवासी एचओ समाज महाराष्ट्र
चौपाल	एसआईडीआई	एसएसजेवीएस

आजीविका पर क्षमता निर्माण मॉड्यूल की शृंखला से युक्त है। यह एक बहु–केंद्र, बहु–विषयक अद्वितीय कार्यक्रम है जिसमें आईटी–आधारित क्षेत्र–आधारित शिक्षण अध्यापन की ओर एक मजबूत पूर्वाग्रह है।

सीपीआरएल के पहले बैच का शुभारंभ 15 नवम्बर 2016 को हुआ था। मार्च 2021 तक, 174 युवाओं के 6 बैच सीपीआरएल समूह के भाग थे। 146 युवकों ने कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। 28 युवक 12 दिसम्बर को प्रारंभ हुए 6वें समूह में 28 युवक नामांकित हुए थे। तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण यह बैच लंबित रखा गया है।

सीपीआरएल स्नातकों की प्रोफाइल

पहले छह बैचों में 128 पुरुष और 46 महिला उम्मीदवार हैं। 174 युवक मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र के सात राज्यों से संबंधित हैं।

सीपीआरएल पूर्व–छात्रः भौगोलिक विस्तार

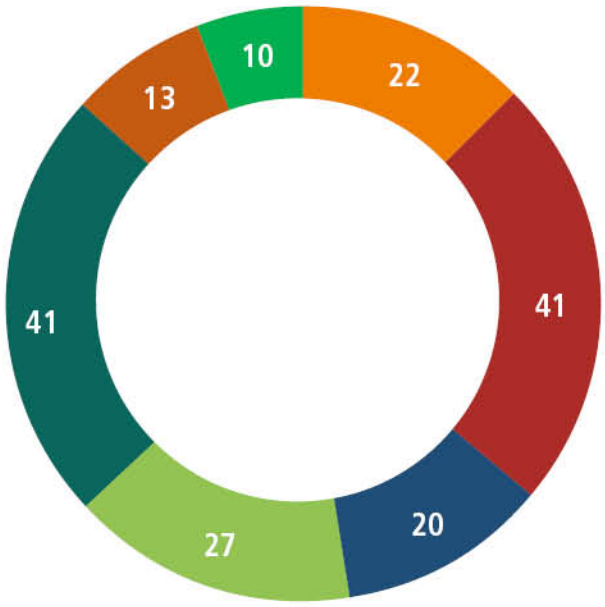

- छत्तीसगढ़
- ओड़िशा
- झारखण्ड
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- महाराष्ट्र

सीपीआरएल स्नातकों की वर्तमान स्थिति

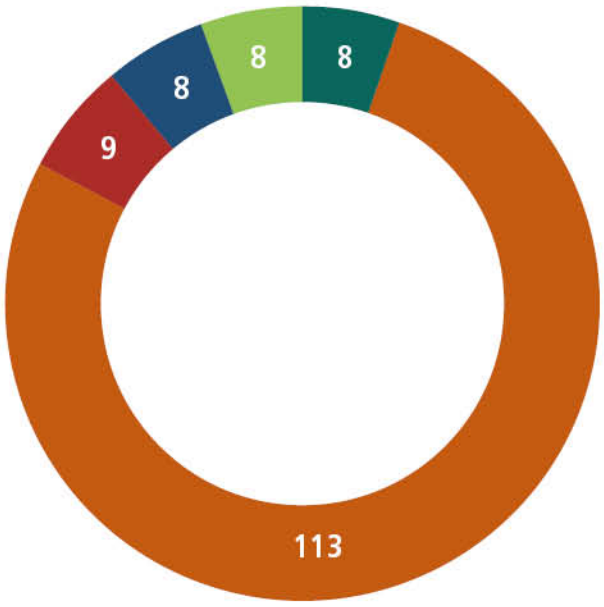

- सीएसओ / पंचायत / सरकारी एजेंसी में कार्य
- उद्यमी
- अन्य क्षेत्र
- उच्चतर अध्ययन
- नौकरी के लिए देखना

सीपीआरएल के पूर्व छात्रों की नियुक्ति

क्षमता निर्माण स्तम्भ सीपीआरएल के पूर्व–छात्रों की नियुक्ति में कार्यरत है तथा उन्हें रोजगार, छात्रवृत्ति व अन्य क्षेत्रों में अन्य क्षेत्र–संबंधी अवसरों के बारे में भी सूचित करता है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, सीपीआरएल के पूर्व–छात्रों ने तीन मुख्य कार्यक्रमों में भाग लिया है।

जीओएएल कार्यक्रम

जनजातीय मामले मंत्रालय (मोटा) के नेतृत्व में फेसबुक इंडिया द्वारा जीओएएल (गोइंग ऑनलाईन एज़ लीडर्स) एक डिजिटल रूप से सक्षम मेंटरशिप पहल है, जो 5,000 आदिवासी युवाओं को डिजिटल तकनीक की शक्ति का उपयोग करके कल के लिए नेता बनने के लिए सशक्त बनाता है। यह कार्यक्रम 15 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। यह मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के क्षमता निर्माण पर केंद्रित है, जो उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने से प्रेरित, मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करेगा तथा उनमें उच्च आशाओं को प्रेरित करेगा। अर्जित कौशल और कौशल, उन्हें नेतृत्व कौशल हासिल करने, अपने समाज में समस्याओं की पहचान करने, चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान खोजने और समाज में अपनी आजीविका और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समर्थन करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने में मदद करेगा।

मेंटरशिप प्रोग्राम के मुख्य क्षेत्र डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व और उद्यमिता हैं। नौ महीने के कार्यक्रम में मेंटरशिप के सात महीने और मेंटियों के लिए दो महीने की इंटर्नशिप शामिल है ताकि वे जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के संरक्षक बहु–क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं जो पूरे भारत में इन आदिवासी युवाओं को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देते हैं। 123 सीपीआरएल के पूर्व छात्रों सहित 256 आदिवासी युवाओं को संगठित किया गया और कार्यक्रम के संरक्षक और संरक्षक के रूप में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 15 पूर्व छात्रों का चयन हुआ और जुलाई 2020 में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था।

डिसोम– द लीडरशिप स्कूल

डिसोम – द लीडरशिप स्कूल एक ऐसा संचलन है जो हमारे देश के लिए 'सेवक नेताओं' की एक जनजाति के उद्भव की दृढ़ता से व स्थायी सुविधा देता है। यह एक–वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जिसे श्री राजमोहन गांधी के नेतृत्व में इनिशिएटिव ऑफ चेंज द्वारा चलाया गया है – जो आत्मविश्वास पर केंद्रित, समुदाय और पर्यावरण के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने, नेताओं के साथ बातचीत करने, और संचार कौशल में सुधार करता है। नेतृत्व कार्यक्रम का उद्देश्य समुदायों के समीप रहकर नए जीवन को समझकर सामाजिक–आर्थिक विकास करना तथा

देश भर में यात्रा करते हुए नवीन और धारणीय प्रथाओं को समझना है।

अध्येता भी अनुभवात्मक सीखने के लिए एक भागीदार संगठन के साथ परियोजनाओं में योगदान करते हैं और इंटर्नशिप के माध्यम से अद्वितीय अंतर्दृष्टि और अनुभव विकसित करते हैं, जबकि असफलता से आगे बढ़ने के लिए सीखने के लिए जटिल संघर्ष स्थितियों के साथ काम करते हैं। अगले स्तर के राजनीतिक नेतृत्व को तैयार करने के लिए 26 जनवरी 2021 को एक वर्षीय तन्मयता कार्यक्रम शुरू किया गया। 11 सीपीआरएल के पूर्व छात्रों ने कार्यक्रम के लिए आवेदन किया, जिनमें से दो का चयन किया गया।

लेख प्रकाशन

भाषा, बीआरएलएफ के ज्ञान भागीदारों में से एक, स्थालांतर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और कला का दस्तावेजीकरण करने का काम करती है। स्थालांतर फाउंडेशन ने सीपीआरएल के पूर्व छात्रों को अपनी ऑनलाईन पत्रिका "धारा" के लिए आदिवासी जीवन, इतिहास, परंपराओं, कला और संस्कृति के बारे में लिखने के लिए आमंत्रित किया। सीपीआरएल III से सीपीआरएल के पूर्व छात्र रोशनी पड़वी तथा सीपीआरएल II से जलिन्दर घने द्वारा दो लेख प्रकाशित किए गए हैं।

- रोशनी पड़वी–भील आदिवासी पारंपरिक कृषि पूजा (https://dhaaramagazine.in/2021/01/31/bhil-tribal-traditional-agricultural-worship/)
- जलिन्दर घणे – वाघ बरस परंपरा (https://dhaara-magazine.in/2021/01/30/vagh-baras-tradition/)

6.2 ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए

बीआरएलएफ, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों के होशियार विद्यार्थियों को, आईआईएचएमआरयू, जयपुर से ग्रामीण प्रबंधन में दो वर्षीय एमबीए कोर्स करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल को 2017 में प्रारंभ किया गया था और 2017–19 के बैच के लिए छह आदिवासी युवकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पहले बैच की सफलता के बाद, बीआरएलएफ ने अपना समर्थन 2018–20, 2019–21, 2020–22 के बैचो में क्रमशः छह, चार और छह विद्यार्थियों के लिए भी जारी रखा है। बीआरएलएफ द्वारा 22 आदिवासी युवाओं की सहायता की गई, जिनमें से चार पूर्व विद्यार्थी हैं। शेष उम्मीदवार का चयन, नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा नामित, मध्य भारत के आदिवासी युवाओं में से किया गया।

पाठ्यक्रम के दो वर्षों में, छात्र कक्षा और क्षेत्र मॉड्यूल के संयोजन के माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन के मूल तत्वों को सीखते हैं। कोर्स के पहले वर्ष के दौरान, छात्र अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय पर दो महीने की ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता करते हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र के आधार पर, उन्हें इस क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विकास संगठनों के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह, वे कोर्स के दूसरे वर्ष में एक शोध प्रबंध अध्ययन करते हैं।

2017–19 बैच

शैक्षणिक सत्र 2017–19 में ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए के लिए 6 आदिवासी युवाओं, 5 महिलाओं और एक पुरूष को बीआरएलएफ द्वारा सहायता प्रदान की गई। उन सभी ने अपना कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वह झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, सेवा, वीएसके एवं सृष्टि जैसे संगठनों में कार्यरत है।

2018–20 बैच

बीआरएलएफ द्वारा 2018–20 के एमबीए कोर्स के लिए 4 आदिवासी युवकों, 4 महिलाओं और दो पुरुषों को नामांकित किया गया था और प्रायोजित किया गया था। सभी ने डिग्री सफलतापूर्वक पूरा की, उन्होने अपना ग्रीष्मकालीन कार्यानुभव और शोध प्रबंध, एकेआरएसपी(आई), समाज प्रगति सहयोग, एफईएस, उदयन सेंटर फॉर कोलेबोरेटिव लर्निंग, जेएसएलपीएस, इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट (आईएचएटी) और वीएसके जैसी संस्थाओं के साथ किया।

2019–21 बैच

बीआरएलएफ ने शैक्षणिक सत्र 2019–21 के लिए 4 आदिवासी युवकों, 2 पुरुषों व 2 महिलाओं को सहायता जारी रखी थी। सभी ने ग्रामीण प्रबंधन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और प्रदान एवं प्रज्ञा संगठनों के साथ कार्यरत हैं।

2020–22 बैच

शैक्षणिक सत्र 2020–22 के लिए 6 आदिवासी युवकों, 4 पुरुषों व 2 महिलाओं ने बीआरएलएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त की। उन्होंने विकास भारती, कला मंदिर एमजेवीएस, सपोर्ट, प्रदान, और डब्ल्यूओटीआर जैसे संगठनों के साथ अपनी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता पूरी की है।

6.3 अल्पकालिक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रमाणपत्र कोर्स

सीपीआरएल कोर्स के पूर्व–छात्र समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल हैं और कोविड 19 महामारी के संदर्भ में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पूर्व छात्रों ने समुदाय के साथ कार्य करते हुए, अपने ज्ञान को अद्यतन करने और सीपीआरएल के दौरान प्राप्त पाठों को संशोधित करने के

लिए पशुधन प्रबंधन (छोटे चतुष्पदी पशुओं और मत्स्य पालन) पर एक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कोर्स करने की आवश्यकता महसूस की। इस दौरान मछली पकड़ने पर एक मॉड्यूल भी पेश किया गया था। जिसका उद्देश्य पूर्व–छात्रों के ज्ञान का अद्यतन करना और कौशल प्रदान करना था ताकि उन्हें और उनके समुदाय को लॉकडाउन में अपने पशुधन का प्रबंधन करने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद मिल सके। इस पहल के लिए डब्ल्यूएएसएसएएन फाउंडेशन को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया था।

उद्देश्य

ग्रामीण आजीविका में अल्पकालिक कार्यक्रम में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं:

- बाजार से जुड़ने और उद्यमिता से संबंधित प्रतिभागियों के बीच ज्ञान और कौशल विकसित करना।
- चारा और पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में बीवाईपी और मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना।
- विभिन्न आकार के तालाबों के लिए मात्स्यिकी की तकनीकी विधियों को समझना।
- भोजन–पानी की गुणवत्ता और औषधि के प्रकार, मृत्यु के कारण और पशुओं में टीकाकरण के बारे में ज्ञान विकसित करना।
- सीमित संसाधनों और बजट के साथ मत्स्य पालन प्रारंभ करने के बारे में ज्ञान विकसित करना।

कोर्स की रचना

शिक्षण और सीखने के 12 सत्रों के माध्यम से पशुधन प्रबंधन और विपणन के प्रमुख घटकों के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया।

मॉड्यूल	कोर्स
देसी बीवाईपी	देसी कुक्कुट ब्रीडिंग फार्म उद्यम
	फीड एवं स्वास्थ्य प्रबंधन
	कार्य और प्रायोगिक
छोटे चतुष्पदी पशु	जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न पशुधन उत्पादन प्रणाली
	स्वास्थ्य–देखभाल प्रबंधन
	आश्रय (शेल्टर) प्रबंधन
	नियत कार्य सुपुर्दगी (असाईनमेंट)
मत्स्य पालन	कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों की पहचान करना
	भण्डार से पूर्व प्रबंधन
	भण्डार प्रबंधन
	भण्डार के पश्चात प्रबंधन
	नियत कार्य सुपुर्दगी (असाईनमेंट)

प्रशिक्षण शिक्षाशास्त्र

प्रशिक्षण अध्यापन में कक्षा सत्र, व्यावहारिक सत्र, व्याख्यान और परस्पर संवादात्मक सत्र, केस स्टडी विधियां, समूह और व्यक्तिगत अभ्यास के माध्यम से दृष्टिकोण का निर्माण शामिल है।

प्रशिक्षण का समय

कुल 32 सीपीआरएल पूर्व छात्रों को उनके संबंधित नियोक्ता संगठनों और व्यक्तिगत रूप से उनकी विषयगत प्रतिबद्ध ता और कार्य प्रोफ़ाइल के आधार पर पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कोर्स में भाग लेने के लिए चुना गया था। पशुधन प्रबंधन पर पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण का पहला बैच 25 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था और 12 सत्रों के माध्यम से 20 दिसंबर 2020 को पूरा किया गया था।

6.4 डिजिटल टूल्स के माध्यम से कार्यक्षमता वृद्धि (ईडीआईटी)

विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण प्रत्येक कार्यक्रम की नींव बनाती है और कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में– योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन, और स्थिरता के परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम जल सुरक्षा प्रयासों से अंतर्दृष्टि दिखाता है, जब विशेषज्ञों और चिकित्सकों के बीच बातचीत में वृद्धि के साथ पूरक, शिक्षार्थी–उन्मुख अभ्यास सामग्री तक पहुंच प्रदान करने से अग्र–पंक्ति श्रमिकों की प्रभावकारिता का निर्माण हो सकता है।

डिजिटल टूल्स (ईडीआईटी) के माध्यम से दक्षता के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम स्प्रिंगशेड प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन और अच्छी तरह से कायाकल्प पर तीन परियोजनाओं में अर्घ्यम के साथ साझेदारी में प्रसारी, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। अर्घ्यम बेंगलुरु, कर्नाटक में एक धर्मार्थ फाउंडेशन है, जो स्थायी जल और स्वच्छता समाधान का समर्थन करता है। प्रसारी ऊषर–मुक्ति और झरनाधारा परियोजना के लिए बीआरएलएफ–सीएसओ का भागीदार है।

उद्देश्य

परियोजना ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं:

- झरना, कूप कायाकल्प, और वाटरशेड प्रबंधन कार्य में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- भूमि–जल प्रबंधन और जलभृतों के पुनर्भरण के निष्पादन के मार्गदर्शन के लिए दूरस्थ उपकरणों और तंत्रों का संचालन करना।
- पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा चलाए जा रहे बड़े कार्यक्रमों में उनके भविष्य के लिए डिजिटल क्षमता निर्माण तंत्र के विचार का प्रसार करना।

क्षमता निर्माण के नए प्रयासों से 18000 परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। रोल–आउट में शामिल हैं:

व्यवसायी–उन्मुख आणविक सामग्री का निर्माण और परिनियोजन
प्रत्येक परियोजना में लक्षित प्रवक्ताओं के लिए निर्देशित परामर्श समर्थन
कक्षा प्रशिक्षण और निर्देशित परामर्श सत्रों में सहभागी डिजिटल सत्यापन (पीडीए) का उपयोग

कार्यक्रम हितधारक

- अर्घ्यम (वित्तीय एवं तकनीकी भागीदार)
- प्रसारी (क्रियान्वयन भागीदार)
- कम्यूनिटी इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड रिसोर्स पर्सन्स (धारा सेवक)
- सरकारी पदधारी –बीडीओ, एपीओ, डीएनओ, राज्य मन. रेगा प्रकोष्ठ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तथा जीटीए।
- ग्राम पंचायत– निर्माण सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत समिति
- जल संसाधन अन्वेषण तथा विकास विभाग (जीओडब्ल्यूबी)

लक्षित क्षेत्र और लाभार्थी जनसंख्या

ईडीआईटी में 3 प्रोग्राम शामिल हैं जो स्प्रिंगशेड प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन और कुआं कायाकल्प पर काम करते हैं।

- **झरनाधारा स्प्रिंगशेड प्रबंधन कार्यक्रम**

  झरनाधारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र के चार जिलों में 616 झरनों को आवृत्त करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया गया एक अग्रणी स्प्रिंगशेड कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बीआरएलएफ, अर्घ्यम और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। बीआरएलएफ और अर्घ्यम ने कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन को वित्त पोषित किया, जबकि हस्तक्षेप की लागत मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से ली गई थी।

- **ऊषर–मुक्ति वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम**

  ऊषर–मुक्ति बीआरएलएफ द्वारा समर्थित है और सीएसओ भागीदारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक मेगा वाटरशेड परियोजना है। इस परियोजना में छह जिलों के 55 प्रखण्ड शामिल हैं। बीआरएलएफ, फोर्ड फाउंडेशन और वबाग फाउंडेशन के सहयोग से इसका निष्पादन किया जा रहा है। प्रसारी ऊषर–मुक्ति में बीरभूम जिले के लिए उत्तरदायी है।

- **कुआं कायाकल्प कार्यक्रम**

  इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के दो जिलों में 80–100 जल संरचनाओं के लिए कुआंकूप कायाकल्प प्रोटोकॉल का संचालन करना है। कार्यक्रम अजीम प्रेमजी परोपकारी पहल (एपीपीआई) और मनरेगा द्वारा वित्त पोषित है।

ईडीआईटी परियोजना में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के 4 प्रखण्डों में 21 ग्राम पंचायतें लक्षित है। इसमें 40 स्प्रिंगशेड, 30 माइक्रो–वाटरशेड और 40 कुएं शामिल हैं

कार्यक्रम के प्रभाव

यह विचार वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण और योजना प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की समझ को मजबूत करने का है। तालिका ईडीआईटी परियोजना के प्रमुख प्रभावों की गणना करती है।

ईआईडी सहायता के बिना	ईआईडी सहायता के साथ
प्रशिक्षुओं द्वारा सामग्री की सरल पहुँच का अभाव।	सामग्री की सरलता से सुलभता
कार्य–उन्मुख सामग्री की अनुपलब्धता।	सरलता से समझने योग्य छोटे–छोटे खण्डों में सामग्री
किसी भी प्रशिक्षण संबंधी डेटा का रिकॉर्ड रखने में कठिनाई।	प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों, कार्यक्रम प्रबंधकों को उनके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करके जानकारी के क्षति को रोकना है।
सामग्री साझा करना मुश्किल है।	बेहतर क्रॉस अधिगम की ओर ले जाने वाली सामग्री का सरल साझाकरण।
बड़ी संख्या में प्रशिक्षण बैचों के मामले में गुणवत्ता का नुकसान।	यह, विषय बनाने, सामग्री और प्रशिक्षकों को एक पटल प्रदान करता है तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाने में सहायता करता है।
प्रशिक्षण द्वारा सृजित प्रभाव का आकलन करने में कठिनाई।	पीडीए डैशबोर्ड आयोजित किए गए प्रशिक्षणों, कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्रों, प्रशिक्षुओं की सूची, सामग्री की खपत और साझाकरण आदि पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसलिए प्रभाव विश्लेषण को आसान बनाता है।

कार्यक्रम की पहुंच

कार्यक्रम का नाम	विकसित की गई अटॉमिक सामग्री की संख्या	प्राप्त पीडीए सत्यापन की संख्या	आयोजित बैच (वर्चुअल और भौतिक) की संख्या	प्रदत्त निर्देशित परामर्श सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की संख्या (धारा सेवक)	लाभान्वित परिवारों की संख्या
ऊषर–मुक्ति	13	165	20	9	14	13000
कुआं कायाकल्प	13	252	26	14	38	1662
झरनाधारा	18	312	24	2	45	3052
कुल	44	729	70	25	97	17714

7. अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन विभाग, भारतीय आदिवासी समुदायों खास तौर पर, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के बारे में जानकारी के लिए ज्ञान का एक केंद्र बन गया है। भारत में, ग्रामीण रोजगार से संबंधित हस्तक्षेप, प्रायः केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, ग्रामीण और आदिवासी आबादी और अन्य सरकारी संस्थाओं से अनेक हितधारकों को एक मंच पर लाते हैं। अतः अनुसंधान के इस स्तम्भ को ऐसे स्वतंत्र अनुसंधान करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है, जो सरकारों को ग्रामीण निर्धनों, खास तौर पर आदिवासियों के लिए स्थाई रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए हस्तक्षेप विकसित करने में सहयोग करते हैं।

भारत में, ग्रामीण रोजगार से संबंधित हस्तक्षेप, प्रायः केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, ग्रामीण और आदिवासी आबादी और अन्य सरकारी संस्थाओं से अनेक हितधारकों को एक मंच पर लाते हैं।

7.1 मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में शासन–विधि सुधार और आजीविका के लिए नागरिक समाज–राज्य–समुदायों की भागीदारीः पश्चिम बंगाल में बीआरएलएफ के ऊषर–मुक्ति कार्यक्रम पर एक अध्ययन

ऊषर–मुक्ति राज्य में सीएसओ–सरकारी सहयोग की एक अनूठी पहल है और जो मनरेगा से निधि प्राप्त करने द्व ारा वाटरशेड आधार पर उपयुक्त भूमि व जल उपचार उपायों के माध्यम से चयनित प्रखण्डों में आदिवासी, महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों के लिए संधारणीय आजीविका बनाने के लिए बीआरएलएफ द्वारा समर्थित है। इसके साथ–साथ, मनरेगा निधि को कार्य–क्षेत्र में वास्तविक परिसंपत्ति बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण और संचयन में केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से अजय, मयूराक्षी, दामोदर, दाराकेश्वरी, कंसबती, शिलाबती, और स्वर्णमुखी और उनकी सहायक नदियों सहित सात क्षयकारी नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में 1.2 मिलियन हेक्टेयर का विकास किया जाना है। हस्तक्षेपों का उद्देश्य मिट्टी और जल संरक्षण उपायों द्वारा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना है, जिससे 500,000 परिवारों, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों को लाभ होगा। वर्तमान में, राज्य और नागरिक समाज के बीच साझेदारी राज्य, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के लिए समृद्ध लाभांश की पेशकश कर रही है।

मोटा ने बीआरएलएफ को एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया और नागरिक समाज और राज्य के बीच इस बड़ी साझेदारी से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अध्ययन का समर्थन किया।

आदिवासियों और अन्य हाशिए पर समूहों से संबंधित आजीविका के मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऊषर मुक्ति और राज्य, सीएसओ और सामुदायिक क्षमताओं पर इसके प्रभाव की खोज करना

- वे कौन से संस्थागत तंत्र हैं जिनके माध्यम से राज्य, नागरिक सामाजिक संगठन और समुदाय ऊषर मुक्ति को संचालित करने के लिए आपस में संवाद करते हैं?
- नागरिक सामाजिक संगठनों की सहभागिता ने स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को, आदिवासियों और महिलाओं को मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में, किस तरह से प्रभावित किया है?
- ऊषर–मुक्ति ने आदिवासियों और महिलाओं के मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने के अवसरों को कैसे प्रभावित किया है?

- ऊषर–मुक्ति के तहत बनाई गई पूंजी की उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में समुदाय की धारणा क्या है?

अध्ययन में मिश्रित तरीकों के दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया और हमारे शोध प्रश्नों के उत्तर देने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों दोनों का उपयोग किया गया। इस संदर्भ में, ऊषर मुक्ति कार्यक्रम और सीएसओ की भागीदारी की सामुदायिक धारणा को संबोधित करने के लिए, अनुसंधान दल ने चुने हुए अध्ययन स्थलों पर सभी पूर्ण संपत्तियों के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर परिवार सर्वेक्षण आयोजित किए और परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं उपयोगिता के अपने अनुभव के ऊषर मुक्ति और गैर–ऊषर मुक्ति प्रखण्डों में समुदायों में अंतर का मात्रात्मक मूल्यांकन किया। पश्चिमी पश्चिम बंगाल के चार जिलों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रदान और छह अन्य सीएसओ के साथ गहन साक्षात्कार के कई दौर आयोजित किए गए। ऊषर मुक्ति परियोजना चक्रण को समझने के लिए, सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के साथ की इन्फॉर्मेंट इंट्रव्यूज (केआईआई) भी आयोजित किए गए थे। टीम ने सभी सरकारी आदेशों, ज्ञापनों और सरकारों के विभिन्न स्तरों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त सहित माध्यमिक साहित्य को भी देखा।

ऊषर मुक्ति के भीतर हितधारकों की बातचीत मूल रूप से नियोजित की तुलना में अधिक जटिल है। हितधारकों के बीच जुड़ाव का वर्तमान स्वरूप सरकारी कार्यक्रमों से प्रवृत्त नौकरशाही विलंब के कारण विकसित हुआ है। बीआरएलएफ ने कार्यक्रम के जीवनचक्र में एकीकृतकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अलावा, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी के साथ राजनीतिक पक्षपोषण से परे राज्य सरकार के साथ कार्य किया है। सीएसओ और जिला प्रशासन के बीच सूचना अंतराल को कम करने के लिए, बीआरएलएफ ने डीएम कार्यालय में एक जिला संपर्क अधिकारी (डीएलओ) रखा है। संचार की आवश्यक परतों की परियोजना में सक्रिय तौर पर भाग लेने से पंचायतों की पहल (और कुछ मामलों में जारी) की अनिच्छा है अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। वह समुदाय जो पहले मनरेगा से आशंकित था और इसे मुख्य रूप से मजदूरी आय के स्रोत के रूप में देखता था, वह भी अधिक शामिल हो गया है और स्थायी संपत्ति के निर्माण की क्षमता की सराहना कर रहा है। महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, विशेषकर जब इसमें परिवर्तन आया है कि मनरेगा कैसे समुदाय को देखता एवं समझता है।

सर्वेक्षण से हमारे परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि अधिकांश संपत्तियां मुख्य रूप से जल प्रबंधन के आसपास बनाई जा रही हैं और परियोजना क्षेत्रों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने ऐसी संपत्तियों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा है। उनके पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समुदाय की बातचीत में भी वृद्धि हुई है, जो जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में गैर–ऊषर मुक्ति प्रखण्ड की तुलना में पर्याप्त मतभेद नहीं हैं। यह देखते हुए कि यह कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में है, एक महत्वपूर्ण मात्रा में कार्य है जिसमें वन विभाग के तहत भूमि पर कार्य शामिल है और इसमें वृक्षारोपण विकसित करना शामिल है। इस कार्यक्रम ने अन्य संबंधित विभागों जैसे वन और बागवानी के अभिसरण का नेतृत्व किया है

ऊषर मुक्ति कार्यक्रम के निष्पादन में सबसे बड़ी चुनौती मनरेगा कोष का अभाव रही है। यह कार्यक्रम राज्य द्वारा मनरेगा की बजट संबंधी जरूरतों को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता के कारण अपर्याप्त फंडिंग की समस्याओं से भी ग्रस्त है। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता की भिन्नता के साथ नौकरशाही प्रक्रियाएं प्रगति को धीमा कर देती हैं। राज्य स्तर पर पूर्व चरणों से सही पहल का समर्थन किया है तथा इसकी प्रतिबद्धता निचली नौकरशाही से प्रसारित नहीं की गई है। एक अन्य प्रमुख चुनौती जो बहुत ही उच्च औसत कार्य दिवस प्रति सक्रिय कार्य (जॉब) कार्ड प्राप्त करने से मनरेगा फ्रंट–लाइन अधिकारियों पर लगाई गई प्रीमियम थी। ऊषर मुक्ति के तहत कुछ ग्राम पंचायतों में वाटरशेड मॉडल पर कार्य की एक विस्तृत श्रृंखला थी, लेकिन ग्राम पंचायतों ने मुख्य रूप से "भूमि विकास" श्रेणी के तहत कार्य पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि इससे व्यक्ति दिनों की त्वरित उत्पादन की अनुमति मिलती थी, हालांकि यह सबसे पहले एक निरर्थक कार्य था, जब यह उपयोग में आया था।

7.2 योजना "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड)" का मूल्यांकन अध्ययन।

सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड) की योजना मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2008 को आदिवासी क्षेत्रों के उपेक्षित क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पहुँचने के लिए प्रारंभ की थी, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, कृषि बागवानी की उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र विकास में पड़ी दरार को कम किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, गैर–सरकारी संगठनों को जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों और नियमों व शर्तों के अधीन, तीन वर्षों के लिए 100% अनुदान समर्थन दिया जाता है।

परिणामतः बीआरएलएफ के अनुसंधान और ज्ञान विभाग को अनुसूचित मामले मंत्रालय के सांख्यिकी एवं दस्तावेज मंडल (स्टेटिस्टिक्स एण्ड डॉक्यूमेंट्स डिविजन) से, योजना "अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड)" के मूल्यांकन पर अध्ययन के लिए अनुदान समर्थन मिला है। इस अनुदान के अंतर्गत, अनुसंधान विभाग द्वारा इस योजना की प्रक्रिया और इसके राज्यों पर होते प्रभावों का, और स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर–सरकारी संगठनों तथा समुदायों की, अनुसूचित जाति की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरी करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

अनुसंधान टीम ने योजना के कार्यान्वयन तथा जनजातीय व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण के लिए योजना के प्रभाव से संबंधित अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर के लिए मिश्रित पद्ध ति दृष्टिकोण पर भरोसा किया, तथा प्रमुख नीति सिफारिशों में शामिल हैः

- मंत्रालय देश के आदिवासी समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के उद्देश्य से वित्तीय शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान कार्यक्रम के लिए अपने संचयी बजट का 2% से कम आवंटित करता है। अनुसंधान स्तंभ ने अनुदान प्रणाली के लिए संचयी बजट का 5% से बंजट संशोधित करने के लिए प्रस्तावित किया है, जो गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के वित्तपोषण के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हस्तक्षेपों के वित्तपोषण के लिए बजट आवंटन में तीन गुना वृद्धि हो सकती है। अनुदानों में वृद्धि द्वारा, एनजीओ/वीओ को योग्य कर्मचारियों तक बेहतर पहुंच प्राप्त हो सकती है और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है जो आदिवासी लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

- परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों से संस्थागत निधि कैसे जुटाने, के बारे में अपर्याप्त जानकारी के कारण, वह मोटा फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता होते हैं। अनुसंधान स्तंभ की अनुशंसा है कि मंत्रालय राज्य अथवा सीएसआर फंडिंग के भीतर फंडिंग अवसरों को पहचानने के लिए मौजूदा संगठनों की क्षमता विकसित करे, जिससे कि वह फंडिग के लिए आवेदन लिख व प्रस्तुत कर सकें, जिससे उनकी मंत्रालय से फंडिंग पर निर्भरता को कम हो सके।

- निधि के आवंटन में विलंब के रूप में कार्यक्रम हेतु एक प्रमुख कार्यान्वयन मुद्दे के रूप में पहचाना गया है, बीआरएलएफ ने सिफारिश की है कि मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजे एंड ई) से इसी तरह के कार्यक्रम पर विचार करे। एमओएसजे एण्ड ई के संशोधित अनुदान कार्यक्रम के तहत, यह 30 जून तक अपनी चल रही परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 75% की अग्रिम राशि जारी करेगा। शेष किश्तें राज्य सरकार की अनुशंसा पर 30 सितम्बर तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राप्त की गई थी। मोटा के मामले में, मोटा द्वारा प्रचलित अनुदान वितरण के लिए प्रतिपूर्ति विधि के विरोध के कारण अनुदान के वितरण के लिए एक समान संशोधन की अनुशंसा की जाती है।

- मंत्रालय अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं के साथ द्वि वार्षिक कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिससे सभी गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन पोर्टल के उपयोग से परिचित हो सकेंगे। इसके अलावा, समर्पित संचार हॉटलाइन ने गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के लिए तकनीकी प्रश्नों के उत्तर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह अनुशंसा की जाती है कि गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के प्रश्नों का समय पर उत्तर सुनिश्चित करने के लिए इसे बेहतर कर्मचारी बनाया जाए।

- प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय परियोजना चयन में मोटा की सहायता के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त कर सकता है और परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी समीक्षा कर सकता है।

मोटा द्वारा अधिकांश अनुशंसाए स्वीकार की हैं, तथा योजना, "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (ग्रांट इन ऐड)" को तदनुसार संशोधित किया गया है। मूल्यांकन दस्तावेज प्रधान मंत्री कार्यालय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यापक रूप से चर्चा और संदर्भित किए गए हैं।

7.3 जनजातीय विकास रिपोर्ट

बीआरएलएफ ने अपनी तरह की पहली, भारत की जनजातीय विकास रिपोर्ट लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को नियुक्त किया है, जिसे रूटलेज और सीआरसी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाना है, जो सामाजिक विज्ञान और मानविकी में दुनिया के अग्रणी अकादमिक प्रकाशकों में से एक है। रिपोर्ट के संपादक डॉ. मिहिर शाह और पी.एस. विजय शंकर हैं। रिपोर्ट अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रकाशित की जाएगी।

रिपोर्ट दो खंडों में प्रकाशित की जाएगी। आजीविका पर पहले खंड में मैक्रो–इकोनॉमी, आदिवासी कृषि, भूजल और प्रवास पर प्रकरण शामिल होंगे, दूसरे खंड में मानव विकास और शासन पर लैंगिक, पीईएसए और एफआरए, स्वास्थ्य, भूख और कुपोषण, शिक्षा, विमुक्त जनजातियां, कला, शिल्प और भाषाओं पर प्रकरण शामिल होंगे। नीचे इस द्विखण्डीय रिपोर्ट के अध्यायों की एक रूपरेखा दी जा रही है।

7.4 एक उच्च प्रभाव वाली आजीविका सुधार परियोजनाः आधारभूत अध्ययन

29 सितंबर, 2020 को, बीआरएलएफ ने उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल), जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जो आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को की 100% सहायक कंपनी है, के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य रायगडा के काशीपुर प्रखण्ड और कालाहांडी जिले के रामपुर प्रखण्ड में रहने वाले 15,000 छोटे और सीमांत किसानों की आय को दोगुना करना है। एकीकृत आजीविका विकास परियोजना तीन क्षेत्रो : कृषि, जल और पशुधन पर केंद्रित है।

परियोजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, ओडिशा के कालाहांडी जिलें में टी.रामपुर तथा रायगडा में काशीपुर के पिछड़े प्रखण्डों में 15,000 सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के आर्थिक विकास पर एक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता थी। फलस्वरूप, दो प्रखण्ड–काशीपुर और टी. रामपुर में 1,500 उत्तरदाताओं के साथ एक आधारभूत सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था। सर्वेक्षण में महिला उत्तरदाताओं को प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

प्रस्तावना – डॉ. मिहिर शाह एवं पी.एस. विजय शंकर (संपादक)

खण्ड – I		
अनुभाग 1: आजीविका		
1	भारत के जनजातीय क्षेत्रों विशेष तौर पर मध्य भारत के राज्यों व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति	सायंतनी सतपथी
2	आदिवासी कृषि – संदर्भ और चुनौतियाँ	पी.एस. विजय शंकर
3	मध्य भारत के सूखे प्रदेशों में भूजल प्रबंधन – सूक्ष्म भेदयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता	सिद्धार्थ पाटिल, नेहा भावे, पी.ए. विजय शंकर एवं हिमांशु कुलकर्णी
4	बदलते मध्य भारत का शहरी निम्न वर्ग और औद्योगिक मजदूर वर्ग : मुक्त आदिवासी प्रवासियों की जीवित रहने की वास्तविकताएँ	अजय डांडेकर, राहुल घई और प्रमथेश अंबष्ट
5	आदिवासियों की ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना	प्रमथेश अंबष्ट
6	भूमि एवं आदिवासी अजीविका	प्रदीप प्रभु और अजय डांडेकर
खण्ड–II		
अनुभाग 2: मानव विकास एवं शासन–विधि		
1	लिंगभेद संबंधी विषय जिनमें अनुसूचित जातियों में लिंग आधारित हिंसा शामिल है	मधु सरीन एवं शंकर गोपालकृष्णन
2	वन, व्यक्ति और उसकी अपेक्षाएं: पंचायती राज अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम तथा एक विहंगावलोकन	अजय डांडेकर एवं सायंतनी सतपथी
3	मध्य भारत के जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य	एच. सुदर्शन एवं तान्या शेषाद्री
4	आदिवासियों में भूख और कुपोषण	दीपा सिन्हा
5	भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की खास तौर पर पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों की, शैक्षणिक स्थिति	विमला रामचंद्रन
6	छोटे देवताओं के बच्चे: विमुक्त जातियों की आज की दुःखांतिका	अजय डांडेकर
अनुभाग 3: कला, शिल्प व भाषा		
7	मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र की कला की स्थित पर रिपोर्ट	सुदेष्णा गुहा
8	आदिवासी ज्ञान, भाषा और साहित्य	जीएन देवी

मूलभूत रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई:

- लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिवार का मुखिया (पुरुष / महिला), परिवार का आकार, धर्म, सामाजिक समूह, आवास का प्रकार, शिक्षा, पीने के पानी का स्रोत, खाना पकाने का ईंधन, शौचालय का प्रकार, प्रवास की स्थिति, आय, व्यवसाय, पीडीएस से पहुंच, महिलाओं की भागीदारी, सीबीओ की भागीदारी, ऋण तक पहुंच, बाजार में पहुंच, घरेलू उपभोग
- कृषि, पशुपालन, तथा रसोई–वाटिका की स्थिति
- भूमि–धारण का आकार, भूमि का स्वामित्व, स्वामित्व वाले संसाधन, सिंचाई के स्रोत, उगाई गई फसलें (खरीफ / रबी), उगाई गई सब्जियां (खरीफ / रबी), खेत की तैयारी (जुताई / उपयोग किए गए उर्वरक की संख्या), खेती से जुड़ी लागत।
  - पशुपालन
  - एनटीएफपी / एमएफपी
- नागरिक सामाजिक संगठन की नियुक्ति का ज्ञान एवं धारणा
- मनरेगा के प्रति ज्ञान और धारणा

7.5 आंकड़े और प्रलेखीकरण

बड़े पैमाने पर हितधारकों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, केंद्र एवं राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, संधारणीय व जनजातीय विकास के विषय पर कार्य करने वाले शोधार्थियों और सामान्य जनता की आंकड़ों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठन की वेबसाईट (देखें: https://www.brlf.in/brlf2/statistics-documents/) पर अनुभाग जोड़ा गया है। इसमें प्राथमिक और गौण आंकड़े रखे जाते हैं जिनका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। इस अनुभाग में शामिल विषय हैं – ग्रामीण बैंकिंग, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, निवास, आय, आर्थिक–सामाजिक अभाव, भूमि, कृषि, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, कला और शिल्प। ये आंकड़े पीडीएफ या एक्सल प्रारूप में सरलता से उपलब्ध हैं। ग्रामीण निर्धनों, विशेष तौर पर मध्य भारत के निर्धन आदिवासियों के संबंध में जो आंकड़े और रिपोर्ट हमें समय समय पर मिलते रहते हैं उन्हे हम इस वेबसाईट में शामिल करते हैं।

7.6 प्रकाशन

अनुसंधान स्तंभ विभिन्न हितधारकों के लिए तकनीकी, शैक्षणिक पत्र और नीति ज्ञापन प्रकाशित कर रहा है।

[1]इसमें प्रत्येक प्रखण्ड के लिए 5 ग्राम पंचायतें (जीपी) हैं। प्रत्येक प्रखण्ड में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 150 परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। परियोजना और यूएआईएल टीम के कार्यान्वयन में शामिल सीएसओ के इनपुट के आधार पर, मुख्य रूप से जनजातीय आबादी वाले गांव अध्ययन के लिए चयनित किए जाएंगे।

8. संसाधन संग्रहण

2013 में बीआरएलएफ की स्थापना के समय भारत सरकार ने रु.500 करोड़ रुपए का कोष देने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बीआरएलएफ को रु.200 करोड़ की पहली किश्त प्राप्त हुई, तथा रु. 300 करोड़ की अगली किश्त जारी करने हेतु आवेदन से निजी फंडिंग स्रोत से अतिरिक्त रु.100 करोड़ जुटाना अनिवार्य था। निजी स्रोत से रु.100 करोड़ जुटाने के अनिवार्य समझौता ज्ञापन के अनुसार, बीआरएलएफ ने विभिन्न निजी फंडिंग स्रोत से रु.55.3 करोड़, वृत्ति निधि (एंडॉवमेंट फंड) के रूप में रु.20 करोड़, तथा सह–वित्त के माध्यम से रु. 349 करोड़ ("सह–वित्त" के अर्थ के लिए अध्याय XXX देखें) से अनुदान प्रतिबद्धता जुटाई थी।

अगले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2021–23) के लिए रु.2 करोड़ के अनुदान के साथ पहले के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पुनःप्रचालित करने द्वारा नासिक जनजातीय विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार से निधि जुटायी गयी। बीआरएलएफ ने रु.3.7 करोड़ के अनुदान मूल्य के ओडिशा में एक उच्च प्रभाव वाली आजीविका सुधार परियोजना के लिए उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। इस स्तंभ ने अर्घ्यम से दक्षता डिजिटल टूल्स (ईडीआईटी) के माध्यम से क्षमता निर्माण पहल के लिए रु.0.5 करोड़ का अनुदान भी जुटाया है। बीआरएलएफ ने मंत्रालय की सहायता अनुदान (ग्रांट–इन–ऐड) (जीआईए) योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों की डेस्क–समीक्षा और क्षेत्र निरीक्षण के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय (मोटा) से रु.0.4 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया है। फोर्ड फाउंडेशन को छत्तीसगढ़ वाटरशेड परियोजना के तहत कोविड राहत कार्य हेतु संगठन को रु.1.1 करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

स्रोत	स्वीकृत/प्रतिबद्धित (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2020 तक प्राप्त (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2021 तक प्राप्त (रु. करोड़ में)
ए. दान से प्राप्त निधि			
टाटा ट्रस्ट (कॉर्पस)	10	10	10
फोर्ड फाउण्डेशन (कॉर्पस)	9.96	9.96	9.96
कुल (ए)	19.96	19.96	19.96
बी. बीआरएलएफ द्वारा जुटाए गए दान/अनुदान			
यूएनडीपी एवं निजी दानदाता (अनुदान)	1	1	1
अर्घ्यम अनुदान (पीजीडब्ल्यूएम)	0.93	0.93	0.93
अर्घ्यम अनुदान (स्प्रिंगशेड)	0.36	0.36	0.36
अर्घ्यम अनुदान (सीबी)	0.52	0	0.24
वीए टैक वाबाग अनुदान	2.49	0.83	1.48
ईयू अनुदान	7.16	5.14	6.7
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (ओड़िशा)	5.56	3.95	3.95
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (सीजी)	6.33	1.65	4.64
एबीएफ अनुदान (छत्तीसगढ़)	11.86	3.96	6.54
जेएसएलपीएस अनुदान	0.45	0.1	0.1
क्राउड फंडिंग	0	0.05	0.05
महाराष्ट्र टीडीडी	2	0	0
एचयूएफ	11.62	3.07	3.07
मोटा (योजनाओं का मूल्यांकन)	0.15	0.06	0.06
मोटा (ऊपरमुक्ति एवं एनजीओ स्क्रीनिंग)	0.86	0.34	0.63
मोटा (जीआईए योजनाए)	0.05	0	0.05
मोटा (फील्ड इन्स्पेक्शन)	0.19	0	0.1
यूएआईएल	3.74	0	0.07
कुल (बी)	55.27	21.44	29.97
सी. अनुदान भागीदारों के माध्यम से सह–वित्त (बीआरएलएफ परियोजनाओं हेतु किये गए व्यय का भागीदारों के लेखों में उल्लेख)	238.02	349	349
कुल (सी)	238.02	349	349
कुल (ए+बी+सी)	313.25	390.4	398.93

9. वित्त एवं लेखा

9.1 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए संपरिक्षित लेखा

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बीआरएलएफ की कुल आय रु.27.66 करोड़ थी, जिसमें कॉर्पस/दान से प्राप्त निधि पर ब्याज आय रु.19.15 करोड़ और अनुदान का रु. 8.51 करोड़ शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय में 14% कम आयी थी। कुल आय का 31% अनुदान के माध्यम से उत्पादित हुआ था और पिछले वर्ष की तुलना में 39% की गिरावट आई थी। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कुल व्यय रु.26.45 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% कम था। सामाजिक नागरिक संगठनों और संस्थागत भागीदारों से अनुदान वर्ष के दौरान प्रमुख व्यय लाइन मद बना रहा। वित्त वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय रु.1.21 करोड़ थी।

9.2 वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बजट का अनुमान

कुल आय रु.42.08 करोड़ होने का अनुमान है। जबकि कुल व्यय रु.37.49 करोड़ होने का अनुमान है। ब्याज आय रु.19.21 करोड़ होने का अनुमान है। जबकि अनुदान/दान का अनुमान रु.22.87 करोड़ है, कुल आय अनुमानों का 54 प्रतिशत होने का अनुमान है। व्यय अनुमानों में प्रमुख घटकों में सुविधा लागत को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में राज्य की भागीदारी के माध्यम से सीएसओ अनुदान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय से अधिक आय की अनुमानित अधिकता रु.4.59 करोड़ होने का अनुमान है।

9.3 अंकेक्षण

सी एवं एजी अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बाद बीआरएलएफ के खातों की लेखा परीक्षा सीएण्डएजी द्वारा प्रारंभ की जानी है और पिछले वर्ष की रिपोर्ट के परिच्छेदों के लिए अनुपालन अद्यतन किया गया है।

बीआरएलएफ का आंतरिक अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2020–21 की 9 माह की अवधि के लिए बीआरएलएफ का आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स बंसल एण्ड कं. एलएलपी द्वारा किया गया है। रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं होने का संकेत मिला है और प्रक्रियागत सुधार करने के लिए कहा गया जिस पर कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

अनुदान और तकनीकी भागीदारों का वित्तीय अंकेक्षण:

बीआरएलएफ के अनुदेयी अंकेक्षक ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सभी अनुदान और तकनीकी भागीदारों का ऑफसाइट अंकेक्षण किया गया। ऑडिट रिपोर्ट को भागीदारों के साथ साझा किया गया है और

सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है जैसा भी लागू हो।

9.4 वैधानिक अनुपालन

- वित्त वर्ष 2018–19 तक के लिए आयकर जाँच पूरी हो चुकी है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए त्रुटिपूर्ण तरीके से आयकर की मांग रखी गई थी जिसको सुधारने की प्रक्रिया आयकर विभाग के साथ प्रारंभ की जा चुकी है।
- भूमि के कानूनों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सभी वैधानिक फाइलिंग आवश्यकता पूर्ण की गई है। आज तक कोई प्रतिकूल/दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के लिए आयकर विभाग द्वारा ब्याज की आय पर टीडीएस की कटौती न करने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत छूट जारी की गई है।

9.5 बीआरएलएफ की कोर्पस/दान निधि का परिनियोजन

बीआरएलएफ की कुल रु.230 करोड़ दीर्घावधि निवेश–योग्य निधि बीआरएलएफ की वित्त एवं अंकेक्षण समिति के दिशानिर्देशों के अधीन कॉर्पस प्रबंधन नीति के अनुसार विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा की गई है यह निधि 7.75% से 8.4% वार्षिक के बीच आरओआई अर्जित करते हैं जो कि मध्यम से लंबी अवधि की परिपक्वता में रखने से मौजूदा ब्याज दरों से अधिक है।

9.6 बीआरएलएफ की वित्त एवं अंकेक्षण समिति (एफएसी) की बैठक

बीआरएलएफ के एफएसी की एक बैठक 21 दिसंबर 2020 को बीआरएलएफ के वित्त, बजट, अंकेक्षण और वैधानिक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय–समय पर लेखापरीक्षित खातों, बजट और संशोधित अनुमानों और कोष परिनियोजन आदि पर एफएसी की परामर्श और अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

9.7 भागीदारों के अनुदान के वित्तीय प्रबंधन तथा अनुदान भागीदारों के अंकेक्षण के लिए ऑनलाईन मॉड्यूल

अनुदान भागीदारों द्वारा ऑनलाईन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वित्त मॉड्यूल का डिजाइन और विकास तथा अनुदान भागीदारों को किए गए अनुदानों का अंकेक्षण पूरा हो गया है। भागीदारों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है और मॉड्यूल जल्द ही चालू हो जाएंगे।

9.8 गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्त शिक्षा पहल

बीआरएलएफ ने 75–100 एनजीओ/कर्मचारियों के एक बैच के लिए 8 वेबिनार की एक श्रृंखला के माध्यम से धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित नियामक और वैधानिक विषयों पर गैर सरकारी संगठनों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए 'प्रबोधन' नामक एक वित्त शिक्षा पहल प्रारंभ की। आयकर कानून, एफसीआरए, सीएसआर कानून, सामाजिक सुरक्षा कानून और विभिन्न वैधानिक पोर्टलों पर लाइव प्रदर्शन को कवर करते हुए संरचित वेबिनार के माध्यम से 1000 गैर सरकारी संगठनों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीआरएलएफ ने छोटे और मध्यम गैर सरकारी संगठनों के 7 बैचों के माध्यम से करीब 600 गैर सरकारी संगठनों / कर्मचारियों को शिक्षित किया है और पहल के माध्यम से एक छोटा उपयोगकर्ता शुल्क उत्पन्न किया है।

9.9 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरण

कृपया कार्यसूची नोट पर अनुलग्नक सी देखें।

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai.
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772
Fax : 91-11-23230831
E-mail : tvandeca@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO,
THE MEMBERS OF
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF),

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2021

1. Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF or "the Society")** which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the statement of Income and Expenditure and Receipt and Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which we have signed under reference to this report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements, read with other notes given thereto, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2021;

b) In the case of Statement of Income and Expenditure, of the surplus for the year ended on 31st March 2021;

c) In the case of Receipt and Payment account, of cash flows for the year ended on 31st March 2021.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Accounting (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountant of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Responsibility of Management for the Financial Statements

The Management of BRLF is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position and expenditure of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards, to the extent applicable, prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the Financial Statements, management of BRLF is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Management is responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

4. Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast

significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

- evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Society so far as it appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Receipts & Payment Account for the year ended 31st March 2021, dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards, to the extent applicable, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000038N

(Anil Kumar Aggarwal)
Partner
M. No. 087424
UDIN: 21087424AAAACA7762

Place: New Delhi
Date: September 10, 2021

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	211,372,193	210,244,617
Fixed Assets Fund	C	327,876	285,457
Reserve And Surplus	D	232,758,188	220,661,021
Current Liabilities And Provisions	E	28,490,334	17,660,771
Total		**2,472,948,591**	**2,448,851,865**
ASSETS			
Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund	F-I	3,134,766	4,328,134
Fixed Assets-Out of Grants	F-II	327,876	285,457
Investments of Corpus Fund	G	2,100,560,000	2,100,560,000
Investment of Endowment Fund	H	209,376,835	226,028,335
Other Non Current Assets	I	271,250	282,020
Current Assets:			
Cash And Bank Balance	J	76,274,482	24,613,088
Other Current Assets	K	83,003,382	92,754,831
TOTAL		**2,472,948,591**	**2,448,851,865**
Significant Accounting Policies	Q		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R		

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 10/09/2021

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

G.N. Devy
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Operating Officer-Finance

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
(A) INCOME			
Grants, Subsidies & Donations	L	85,135,523	123,104,360
Other Income	M	191,483,162	191,506,732
TOTAL(A)		**276,618,685**	**314,611,092**
(B) EXPENDITURE			
Program Expenses	N	233,637,706	310,315,562
Establishment Expenses	O	24,862,366	24,823,229
Other Administrative Expenses	P	4,260,558	3,049,893
Depreciation	F-I+F-II	1,760,889	2,000,583
TOTAL(B)		**264,521,518**	**340,189,267**
SURPLUS(DEFICIT) DURING THE YEAR(A-B)		**12,097,167**	**(25,578,175)**
Significant Accounting Policies	Q		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R		

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 10/09/2021

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

G.N. Devy
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Operating Officer-Finance

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(Amount in Rs.)

Receipts	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20	Payments	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
Opening Balance as on 1.4.2020			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Bank Balances in Saving Accounts	**24,613,088**	**17,735,007**	- from Income from MORD Corpus Fund	-	(34,440,000)
	-		- from TATA Endowment Fund	2,466,000	110,000
Receipts during the year:			- from Ford Foundation Fund	882,500	188,335
Grant from Local Sources(a):			- from Ford Foundation Grant	-	(10,000,000)
	25,786,747	25,508,445	- From Hindustan Unilever Foundation Grant	(20,000,000)	
Grant from Axis Bank Foundation					20,000,000
Grant from ARGHYAM- CB	2,423,088			**(16,651,500)**	**(24,141,665)**
Grant from ARGHYAM- Springshed	-	800,000	**Project Expenses during the year:**		
Grant from VA TECH Wabag	6,537,852	1,000,000	Disbursement To Project Partners	191,934,023	263,021,189
Grant from MOTA	4,391,785	4,021,160	Payments For Program Expense	10,041,697	29,259,662
Grant from JSLPS	-	999,470	Establishment Expense	22,562,112	19,199,866
Grant from UAIL	662,500	-	Other Administrative Expense	2,813,503	6,298,628
Donation for CPRL	-	105,000	Tata Trust Endowment Fund Expenses	8,442,935	6,836,556
	39,801,972	**32,434,075**	Grant Refunded to Arghyam	196,867	-
Grant in Foreign Currency(b):			**Fixed Assets Purchased**		
	-	17,048,246			
Grant from FORD Foundation (APC Odisha Project)			- from Income from MORD Corpus Fund	561,542	927,763
Eurpean Union Grant	15,606,191	26,491,740	-from Grants-European Union Project	139,240	-
	29,924,227	16,558,073			
Grant from FORD Foundation (CG Watershed Project)			**Other Payments:**		
Grant from Hindustan Uniliver Foundation	-	30,665,250	TDS deducted & Deposited	4,453,268	5,155,179
	45,530,418	**90,763,309**	Employees Provident fund	3,337,963	3,010,773
Interest and Other Receipts(c)			BRLF Yes Bank Credit Card	-	9,160
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of	142,061,388	139,392,607	Bank Charges	10,448	
Interest accrued on Fixed Deposits received in current year	44,962,585	48,541,789	**Total Payments during the year:**	**227,842,098**	**309,577,111**
Interest received on Saving Bank Account	4,462,701	5,284,612			
Income Tax Refund	2,511,490	-	**Closing Balance as on 31.3.2021**		
Interest on Income Tax Refund	126,688	-	Bank Balances in Saving Accounts	**76,274,482**	**24,613,088**
Miscellaneous Receipts (Net of TDS Rs 3,750)	46,250	30,400			
Sale of Fixed Asset	-	8,400			
	194,171,102	**193,257,808**			
Total Receipts during the year(a+b+c):	**279,503,492**	**316,455,192**			
TOTAL	304,116,580	334,190,199	TOTAL	304,116,580	334,190,199

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 10/09/2021

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

G.N. Devy
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Operating Officer-Finance

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

SCHEDULE A - Corpus Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2021		As at 31st March 2020
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund

(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		101,860,699		100,978,335
Grant received during the year	-		-	
Add: Interest (Gross) on FDRs earned during the year	8,600,460		8,597,517	
Add: Interest (Gross) on Saving Bank A/c earned during the year	129,126		219,560	
Add: Interest Accrued during 2019-20 Received during the year	2,121,279		2,140,479	
Less:-Interest accrued during the year but not received	2,171,841		2,133,906	
Net Interest received during the year	8,679,024		8,823,650	
Less: Available for Utilization as income for the year (90% of net	7,811,122		7,941,286	
Balance interest accumulated in the fund		867,902		882,364
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		102,728,601		101,860,699
(Refer Schedule R Notes To Accounts, para no 1(c)				
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance as on 01-04-2020		108,383,918		107,037,530
Interest Earned (Gross) on FDRs during the year	8,657,514		8,657,420	
Interest Earned (Gross) on Saving Bank A/c during the year	45,095		111,601	
Less: TDS	-		138,484	
Less:-Closing Interest accrued	789,930		755,145	
Net Interest	7,912,679		7,875,392	
Less: Utilization during the year				
- Human Resource / Personnel Cost	8,440,023		5,931,459	
- Program Expenses	-		538,500	
- Travel Cost	-		952,674	
- Office Running Cost	2,912		-	
Total Utilization	8,442,935		7,422,633	
		(530,256)		452,759
Closing Balance of Endowment Fund		107,853,662		107,490,289
Add: Adjustments for				
TDS	-		138,484	
Interest Accrued	789,930	789,930	755,145	893,629
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		**108,643,592**		**108,383,918**
Grand Total (i+ii)		**211,372,193**		**210,244,617**

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs.91,53,955/-(Previous Year Rs 8576534) an amount of Rs.13,73,000/-(Previous Year Rs 1286000) has to be deposited in FDR.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

T.N.A. & CO. Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

SCHEDULE C -Fixed Assets Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2021		As at 31st March 2020
United Nations Development Programme				
Opening Balance	265,655		305,675	
Received during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	33,203	232,452	40,020	265,655
		232,452		265,655
European Union				
Opening Balance	19,801		61,201	
Received during the year	139,240			
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	63,617		24,480	
Less: Asset Sold/Written off during the year	-	95,424	16,920	19,801
Total		**327,876**		**285,457**

SCHEDULE D - Reserve And Surplus

Surplus				
Opening Balance		220,661,021		246,242,827
Add: Surplus/(Deficit) of Income over Expenditure for the year		12,097,167		(25,581,806)
Closing Balance		**232,758,188**		**220,661,021**

SCHEDULE E - Current Liabilities And Provisions

Amount Payable to Project Partners		19,093,669		11,566,406
TDS Payable		938,036		557,197
Sundry Creditors		1,289,925		117,810
PF Payable		474,521		295,890
Expenses Payable		1,270,402		769,133
Salary Payable		-		351,030
Bank Credit Card Balance-Yes Bank		24,072		208,437
Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	2,334,709		1,762,868	
- Gratuity	3,065,000	5,399,709	2,032,000	3,794,868
Total		**28,490,334**		**17,660,771**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

SCHEDULE G - Investments of Corpus Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2021		As at 31st March 2020
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		2,000,000,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		560,000		560,000
Investments in FDR with IDFC Bank				
Invested out of interest on above		100,000,000		100,000,000
Total		**2,100,560,000**		**2,100,560,000**

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund

Investments in FDR with Deutsche Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		-
Invested out of interest on above		3,760,000		103,760,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				1,290,000
Invested out of interest on above		3,756,000		-
Investment in FDRs with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		-
Invested out of interest on above		-		978,335
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		100,000,000
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		-
Invested out of interest on above		1,860,835		-
Investment from Hindustan Unilever Foundation				
Invested out of grant received from HUF fro Jharkhand Mega Watershed Project		-		20,000,000
Total		**209,376,835**		**226,028,335**

SCHEDULE I - Other Non Current Assets

Capital Advances (Work in Progress)		271,250		282,020
Total		**271,250**		**282,020**

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

Schedule F-I-Fixed Assets out of Corpus/Endownment Fund

Fixed Assets-MoRD-Schedule F-I (a)

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2020	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2021
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	1,966,438	370,564	107,900	-	2,444,902	956,381	1,488,521
Office Equipment	15%	335,743	48,564	16,880	-	401,187	58,912	342,275
Furniture & Fixture	10%	497,534	15,000	8,614	-	521,148	51,684	469,463
Sub Total		**2,799,714**	**434,128**	**133,394**	**-**	**3,367,236**	**1,066,977**	**2,300,259**
INTANGIBLE								
Computer Software	33.33%	1,268,005	-	-	-	1,268,005	638,358	629,647
Sub Total		**1,268,005**	**-**	**-**	**-**	**1,268,005**	**638,358**	**629,647**
Total		**4,067,719**	**434,128**	**133,394**	**-**	**4,635,241**	**1,705,335**	**2,929,906**
Previous Year		**5,319,398**	**176,240**	**486,439**	**-**	**5,982,077**	**1,914,357**	**4,067,720**

FIXED ASSETS-TATA Trust Endownment Fund Schedule F-I (b)

TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	18,869	-	-	-	18,869	7,548	11,321
Office Equipment	15%	43,200	-	-	-	43,200	6,480	36,720
Furniture & Fixtures	10%	126,040	-	-	-	126,040	12,604	113,435
		188,108	**-**	**-**	**-**	**188,108**	**26,631**	**161,477**
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-			-	-	-
Sub Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total		**188,108**	**-**	**-**	**-**	**188,108**	**26,631**	**161,477**
Previous Year		**247,748**	**-**	**-**	**21,617**	**226,131**	**38,022**	**188,109**

FIXED ASSETS-CPRL- Schedule F-I (c)

TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	72,305	-		-	72,305	28,922	43,383
Total		**72,305**	**-**	**-**	**-**	**72,305**	**28,922**	**43,383**
Previous Year		**120,509**	**-**	**-**	**-**	**120,509**	**48,204**	**72,305**

GRAND TOTAL		**4,328,132**	**434,128**	**133,394**	**-**	**4,895,655**	**1,760,889**	**3,134,766**
PREVIOUS YEAR		**5,687,655**	**176,240**	**486,439**	**21,617**	**6,328,717**	**2,000,583**	**4,328,134**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

Schedule F-II-Fixed Assets- Out of Grant

UNDP Grant-Schedule F-II (a)

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2020	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2021
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	11,179	-	-	-	11,179	4,472	6,708
Office Equipment	15%	65,643	-	-	-	65,643	9,846	55,796
Furniture & Fixtures	10%	188,835	-	-	-	188,835	18,884	169,952
Total		**265,655**	**-**	**-**	**-**	**265,655**	**33,203**	**232,452**
Previous Year		**305,676**	**-**	**-**	**-**	**305,676**	**40,020**	**265,655**

FIXED ASSETS-European Union Grant-Schedule F-II(b)

TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	19,801	139,240		-	159,041	63,617	95,424
Office Equipment	15%	-	-	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
Total		**19,801**	**139,240**	**-**	**-**	**159,041**	**63,617**	**95,424**
Previous Year		**61,201**	**-**	**-**	**16,920**	**44,281**	**24,480**	**19,801**

GRAND TOTAL-F-II(a+b)		**285,456**	**139,240**	**-**	**-**	**424,696**	**96,819**	**327,876**
PREVIOUS YEAR		**366,877**	**-**	**-**	**16,920**	**349,957**	**64,500**	**285,457**

M.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

SCHEDULE J - Cash And Bank Balances

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2021		As at 31st March 2020
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts:				
With YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch:				
Account No. 000393900000039 (FCRA FORD Foundation)	16,142,241		461,600	
Account No. 000394600001690 (FCRA European Union)	9,255,714		933,048	
Account No. 000393900000104 (FCRA HUF)	33,025,543		10,756,313	
Account No. 000394600000384	7,834,975		4,277,033	
Account No. 000394600000391	90,307		302,684	
Account No. 000394600001349	63,409		57,140	
Account No. 000394600000443	1,560,049	67,972,237	48,376	16,836,194
With HDFC Account No.50100361059743 (FCRA Utilisation)		-		-
With RBL Bank, New Delhi Branch Account No. 309003418585		1,676,715		7,147,971
With State Bank of India, New Delhi Account No.40031893294 (Designated FCRA Account) Opened on 24.02.2021		-		-
With Axis Bank, New Delhi Branch Account No. 919010085960185		6,625,530		628,923
Total		**76,274,482**		**24,613,088**

SCHEDULE K - Other Current Assets

Grant to Project Partners- Unutilized		9,073,495		28,420,553
Interest Accrued on Fixed Deposits (INR)				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	64,728,479		56,078,700	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	789,930		755,145	
Interest Accrued on Fixed Deposits (FC)	**65,518,409**		**56,833,845**	
-Ford Foundation Endowment fund	2,184,468		2,133,906	
-Hindustan Unilever Foundation	-		198,771	
	2,184,468	67,702,877	**2,332,677**	59,166,522
Advance Recoverable		1,233		164,806
Advances to Employees-Salary		218,345		145,242
Prepaid Expenses		44,996		179,149
Advance to Supplier		74,451		366,924
LIC Group Gratuity Scheme Fund Balance (Refer Schedule R Note k-ii)		4,084,089		-
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2015-16)		-		1,452,060
Tax Deducted at Source (2016-17)		664,405		664,405
Tax Deducted at Source (2017-18)		37,828		37,828
Tax Deducted at Source (2018-19)		-		1,059,430
Tax Deducted at Source (2019-20)		897,914		897,914
Tax Deducted at Source (2020-21)		3,750		-
Total		**83,003,382**		**92,754,831**

T.V.A. & Co. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

SCHEDULE L - Grants, Subsidies & Donations

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2020-21		Previous Year 2019-20
Grant in Local Currency from:				
AXIS Bank Foundation		25,786,747		25,508,445
VA TECH-WABAG		6,537,852		1,000,000
ARGHYAM-CB		2,423,088		800,000
MOTA - Evaluation of NGO GIA Scheme		479,416		596,160
MOTA - Centre of Excellence		2,915,000		3,425,000
MOTA - Field Inspection		997,369		-
JSLPS		-		999,470
UAIL		662,500		-
Grant refunded Arghyam		(196,867)		-
		39,605,105		**32,329,075**
Grant in Foreign Currency from:				
European Union		15,606,191		26,491,740
Ford Foundation for Odisa APC Project		-		17,060,222
FORD Foundation (CG Watershed Project)		29,924,227		16,558,073
Hindustan Unilever Foundation		-		30,665,250
		45,530,418		**90,775,285**
Total		**85,135,523**		**123,104,360**

SCHEDULE M - Other Income

Saving Bank Interest	4,462,701		5,284,612	
Less:				
- 10% reinvested to Ford foundation Endowment Fund	12,913		21,956	
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	45,095	4,404,693	111,601	5,151,055
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	177,152,798		176,574,493	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,657,514		8,657,420	
- Ford Foundation Endowment Fund	8,600,460		8,597,518	
- Ford Foundation Grant	-		239,772	
- Hindustan Unilever Foundation	1,149,556		198,771	
Total	**195,560,328**		**194,267,974**	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	854,990		860,408	
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,657,514	186,047,824	8,657,420	184,750,146
Interest earned by the Grant Partners		853,625		1,453,211
Interest on Income Tax Refund		126,688		-
Donation for CPRL Course		-		105,000
Income from Workshops		50,000		-
Miscellaneous Income		331		47,319
Total		**191,483,162**		**191,506,732**

T.V.A. & Co. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

SCHEDULE N - Program Expenses

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2020-21		Previous Year 2019-20
Expenses incurred from Grants				
Springshed Project with ARGHYAM				
Implementation Support for SpringShed		-		1,214,927
Watershed Project with VA TECH WABAG	-			
Field Facilitation Support for Implementing Partner	-		6,882,553	
Field Implementation Support for Implementing Partner	8,259,761	8,259,761	615,000	7,497,553
CG Watershed Project with ABF				
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	823,325		1,560,610	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	25,752,252	26,575,577	24,073,196	25,633,806
JSLPS				
Capacity Building expenses		-		770,998
MOTA (Research and Screening)				
Travel Expenses	52,106		128,866	
Preliminary Desk Appraisal	150,000		100,000	
Survey Cost	992,970		110,330	
Consultancy &Evaluation Fees	291,290	1,486,366	-	339,196
MOTA (Field Inspection Project)				
Travel Expenses	711,441		102,199	
Field Inspection of CSO	-	711,441	128,927	231,126
ARGHYAM (Capacity Buliding)				
Field Implementation Support to Prasari for CB		1,807,823		-
UTKAL ALUMINA INTERNATIONAL LTD				
Field Implementation Support to UAIL Project Partners		1,778,821		-
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners		10,191,173		22,337,912
EU Program Cost				
Human Resource cost	11,488,999		16,995,090	
Implementation Cost	1,067,712		4,688,288	
Eqiupment and Supplies(Fixed Assets)	139,240			
Travel Expenses	306,863		805,893	
Local Office Cost	701,346	13,704,160	1,047,109	23,536,380
FORD Grant Expenses (Chhattisgarh)				
Field Implementation Support to CG Watershed Project Partners	8,258,686		10,576,165	
Covid-19 Relief Work	11,329,459	19,588,145	-	10,576,165
MoRD Program Cost				
Covid 19 Relief Support to CSOs	7,571,423		-	
Field Implementation Support to CSO Partners cfp-1 cfp-2	22,856,987		97,526,241	
Capacity Building Expense	4,907,051		15,882,612	
Field Implementation Support to WB Watershed Partners	5,934,524		**21,155,287**	
Field Facilitation Support to WB Watershed Partners	22,745,761		6,948,785	
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners	50,179,931		35,213,881	
Field Implementation Support to UAIL Project Partners	31,400		-	
Field Facilitation Support to institutional partners for Implementing Partners	7,143,211		10,994,347	
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	3,120,711		13,399,783	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	13,703,535		2,245,573	
Field Facilitation Support to JH Watershed Partners	2,037,651		-	
Field Implementation Support to JH Watershed Partners	4,802,696		-	
Event, Meetings and Workshop Expenses	227,437		2,847,313	
Travel Expenses	514,851		2,894,971	
Consultancy & Evaluation Fees	1,740,717		1,406,485	
Pilot & Innovations- Springshed project	-		1,214,930	
Information, Education and Communication Material	643,999		2,003,244	
Pilot & Innovations-NT & NT Initiatives	441,500		1,795,031	
Technncial Support Services to implementing partners	-		695,576	
Online MIS software Expenditure	775,655		1,533,091	
Research Expenses	-		420,350	
State Govt Partnership	33,075	149,412,115	3,630	218,177,500
Partner Meeting and Review Expenses-UANAT Project		122,324		-
Total		**233,637,706**		**310,315,562**

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

SCHEDULE O - Establishment Expenses

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2020-21		Previous Year 2019-20
MoRD Establishment Cost				
Staff Salaries	8,914,974		5,614,794	
Employer Contribution to Provident Fund	1,215,678		379,117	
Earned Leave expenses	968,054		602,502	
Gratuity Expenses	1,025,003		844,000	
Recruitment expenses	222,985		1,749,416	
Consultancy Fees for HR Study	-		5,900	
EPF Admin Charges	96,031		89,737	
Staff welfare expenses	56,225		86,557	
Relocation expenses	-		50,221	
Medical & Accidental Insurance Expenses	216,529		50,754	
Consultancy Fees for PF calculation	35,400	12,750,879	35,400	9,508,398
CG Watershed Project with ABF				
Staff Salaries	1,251,716		1,744,616	
Employer Contribution to Provident Fund	170,689	1,422,405	75,935	1,820,551
MOTA (Research & Screening)				
Staff Salaries	1,887,259		819,696	
Employer Contribution to Provident Fund	257,354	2,144,613	20,304	840,000
MOTA (Evaluation Project)				
Staff Salaries		630,000		-
MOTA (Field Inspection Project)				
Staff Salaries		248,290		-
MOTA (Field Inspection Project 2)				
Staff Salaries		310,000		
ARGHYAM				
Staff Salaries		144,626		-
FORD Endownment Establishment Cost				
Staff Salaries	5,015,629		6,884,721	
Employer Contribution to Provident Fund	598,653		373,513	
Earned Leave expenses	85,296	5,699,578	-	7,258,234
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Staff Salaries	-		5,104,806	
Employer Contribution to Provident Fund	-	-	291,240	5,396,046
EU Establishment Cost				
Staff Salaries	1,330,538		-	
Employer Contribution to Provident Fund	181,437	1,511,975	-	-
Total		**24,862,366**		**24,823,229**

T.V.A. & CO. Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

SCHEDULE P - Other Administrative Expenses

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2020-21		Previous Year 2019-20
MoRD Other Administration Cost				
Office Rent	1,356,948		1,402,138	
Audit Fees	156,350		124,200	
Communication Expenses	442,766		351,721	
Stationery expenses	193,358		204,236	
Water & Electricity expenses	165,201		244,896	
Office Maintenance Expenses	164,154		218,057	
Equipment Maintenance Expenses	105,503		124,316	
Postage & courier	20,753		43,010	
Miscellaneous Expenses	81,883		31,439	
Books, Periodicals & Publications	43,972		30,068	
Loss on Sale of Asset	-		9,955	
Insurance of Fixed assets	10,551	2,741,439	18,375	2,802,411
FORD Endowment Other Administration Cost				
Office Maintenance Expenses		297		6,593
EU -Other Admin Cost				
Office Rent	211,212		166,022	
Stationery expenses	4,472		57,499	
Indirect Cost	447,220	662,904	-	223,521
FORD Grant Expenses (Odisha)				
Office Maintenance Expenses		-		17,368
FORD Grant Expenses (Chhattisgarh)				
Bank Charges	10,448		-	
Indirect Cost	845,470	855,918	-	-
Total		**4,260,558**		**3,049,893**

T.V.A. & CO. Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

SCHEDULE-Q

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

1.1. Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

1.2. Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat,its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

1.3. The Society is registered as a tax exempted charity u/s 12A (Registration No:-DIT(E)| 2014-15|DEL-BR23932-08092014) and obtained approval u/s 80G(5) (Registration No:-CIT(E)/2015-16/DEL-BE26004-15052015/6275) of the Income Tax Act, 1961 and applied for renewals of the same as per amended provisions of the Act.

1.4. The Society is also registered u/s 11(1) of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and rules framed therein (Registration No:-231661787 Dt 08/05/2018) is valid for 5 years from the date of registration.

2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores is to be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.3 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as given below :

i. Grants are recognized as income in the year of receipts. Accordingly, unutilized grants are taken to Reserves and Surplus in the Financial Statements and grant amount receivable are also charged to the program expenses for the year.

ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus fund investment shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.

iii. Grants received for specific purposes are utilized for those purpose only.

iv. Upto the financial year 2019-20, assets purchased out of grant amounts were treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged. However, with effect from Financial Year 2020-21, fixed assets acquired through Project Grants during the year are charged off to Statement of Income & Expenditure. However for exercising financial and quantitative control over these assets, they are shown in the Balance Sheet under 'Fixed Assets' at their depreciated value with a corresponding amount in the Asset Fund.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.

b. Upto the Financial Year 2019-20, depreciation of assets purchased out of Capital Grant have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income". However, from financial year 2020-21, depreciation of assets purchased out of grant amount has been reduced from the Fixed Assets Value and corresponding amount is also reduced from Assets Fund.

B. Intangible Assets

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investments

a. **Investments**: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds are considered as long term and disclosed under investments.

b. **Investments of Endowment Fund**: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term investments and classified under Investment of Endowment Fund.

c. **Other investments**: Other fixed deposit with banks are classified as cash and cash equivalents as they readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits:

Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan:

The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the Statement of Income and Expenditure on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan:

a. The provision for Gratuity payable to employees is made by an Independent Actuary as per Accounting Standard-15(Revised).

b. Provision for Earned Leaves payable to employees is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to a maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment as per the Society's HR policy.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

V.A. & Co. Chartered Accountants New Delhi

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society is complying with the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

G. N. Devy	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Operating Officer (Finance)**

V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

SCHEDULE-R

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the management,

a. Current Assets are stated at historical cost and would realise the stated values in the ordinary course of business, except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions, the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided, used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year, Society has earned interest of Rs.87,02,609 /-(PY Rs 87,69,021)against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs.84,42,935/-(PY Rs 74,22,633) has been utilized during the year 2020-21 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

c. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year, Society has earned interest of Rs. 87,29,586/-(Previous Year Rs 88,17,077) on the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest received, an amount of Rs. 8,67,902/-(Previous Year Rs 882,364) has been re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF in the subsequent year.

d. FORD Foundation has approved a grant of $800,000 to BRLF for support for grant making "**To reduce risk and increase incomes for tribal farmers in rain-fed regions of Odisha"** vide grant MOU dated 15th August, 2018 for a period of 3 years upto 31st August, 2021.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Expenditure of Rs 101.91 lakhs have been incurred and no amount was received during the current year ending 31st March, 2021. Balance receivable for the year has been reported in Statement of Income & Expenditure as program expenditure (Schedule N).

e. The European Union had approved grant of EUR 10,74,801 vide agreement dated 28th December,2017 for a period of 3 years with effect from 1st April,2018 for the Project titled "Strengthening Civil Society Action for Transforming Lives of the Particularly Vulnerable Tribal Groups of Jharkhand and Madhya Pradesh".

During the year, BRLF had received grant of Rs 156,06,191/- from European Union. Expenditure of Rs 158,79,039 have been incurred during the current year. Interest earned during the year is Rs 300,965. Balance lying unspent is Rs 28,117 which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

f. BRLF had received grant of Rs.2,99,24,227/- from Ford Foundation towards implementation of Project: "For support for grant making to secure living incomes for economically-distressed farmers in the state of Chhattisgarh". Total interest earned during the year amount to Rs. 6,81,581/-. Out of this, total utilisation amounts to Rs.204,44,063.24 /-, thus leaving an unspent balance of Rs.

V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

101,61,745/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

g. Axis Bank Foundation has provided grant of Rs 257,86,747 to BRLF. Interest earned during the year amounts to Rs 192,348. Grant utilised to the extent of Rs 279,97,982. Balance recoverable from ABF for the year is Rs 20,18,887 which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

h. BRLF had received a grant of Rs.3,06,65,250/- from Hindustan Unilever Foundation on 30.12.2019 for implementing a high impact watershed project in the State of Jharkhand. The requisite formalities are in progress. No expenditure was incurred during the year 2020-21 and in previous year 2019-20. The details of investment against the unspent grant and interest earned on the investment is given below-

Particulars	**Current Year 2020-21 (Rs)**	**Previous Year 2019-20 (Rs)**
Grant Receipts	-	3,06,65,250
Investment-FDRs	-	2,00,00,000
Balance in Savings Bank Account with Yes Bank (Acc No 000393900000104)	330,25,543	107,56,313
Total	**330,25,543**	**307,56,313**
Interest Earned on FDRs/Saving Bank	20,70,459	2,89,834
Grant amount and Interest Earned on FDRs/Saving Bank Account recognised and transferred to Reserve and Surplus	**20,70,459**	**309,55,084**

Implementation of project activities is yet to be started against the grant amount which was paid by donor in December 2019.The Management of BRLF is taking decision on unspent grants balance of Rs 330,25,543 lying as on 31.3.2021.

i. BRLF had also received other grants. The details of grant receipts, their utilisation and net balance transferred to Reserves and Surplus for the year are given below:

(Amount in Rs)

Donor's Name	**Purpose**	**Grant Received during the year**	**Interest Earned**	**Utilised during the year**	**Excess/ (Short) for the Year #**
MoTA	For Field Inspection-1	479,416	0	248,290	231,126
MoTA	For Field Inspection-2	997,369	0	10,21,441	(24,072)
MoTA	Evaluation of NGOs	0	0	6,30,000	(630,000)
MoTA	Centre for Excellance	2915,000	0	36,30,979	(715,979)
JSLPS	Capacity Building	NIL	0	NIL	0
UAIL	UANAT	662,500	0	17,78,821	(11,16,321)
Arghyam	Capacity Building	24,23,000	79,987	19,52,449	550,538
VA Tech Wabag	Ushermukti Watershed Project	65,37,852	6,268	82,59,761	(17,15,641)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

TOTAL		**140,15,137**	**86,255**	**175,21,741**	**781,664 (42,02,013)**

#Excess/(Short) grant receipts have been transferred to Reserves and Surplus for the year .

j. Grants made to CSO Implementing partners are accounted for in the year of expenditure incurred by the concerned partners for implementation of project, awarded under grant agreement, on the basis of quarterly expenditure reports and finally settled on the basis of utilization certificates given by an independent firms of Chartered Accountants or by the Management. At the end of project, if there is any un-utilized grants balance with partners, then it is deducted from the next grants amount to be paid to partners for a new project.

BRLF has disbursed an aggregate amount of Rs 1933.29 lakhs(FCRA Rs 196.55 lakhs and local Rs 1736.74 lakhs) and utilised by the CSO partners aggregate amount of Rs 2208.55 lakhs(FCRA Rs 404.75 lakhs and local 1803.80 lakhs) during the year 2020-21.

Unspent balance lying with CSOs as on 31st March,2021 Rs 90.73 lakhs(Previous Year Rs 284.20 lakhs) shown as "Other Current Assets-Schedule K" and amount payable of Rs 190.93 lakhs(Previous Year Rs 115.66 lakhs) to CSOs as on 31st March,2021 is shown as "Liabilities-Schedule E".

k. Employees Benefits

i) The society is registered with the Regional PF Commissioner, Delhi and is making payment of employers contribution and employees deductions towards Provident Fund to the Regional PF Commissioner on Regular Basis.

ii) Provision for gratuity has been made in respect of all eligible employees as per payment of Gratuity Act,1971. The Society is having a group gratuity scheme for its employees with Life Insurance Corporation of India and provision has been made in the Statement of Income and Expenditure as per the actuarial valuation done by an Independent Actuary at the end of the Financial Year.

Total gratuity liability was Rs 30,65,000 (Previous Year Rs 20,32,000) as per actuarial valuation is appearing under the head "Current Liabilities and Provisions-Schedule E". The fund balance as of 31.3.2021 with LIC of India was Rs 40,84,089 (PY Rs NIL) which is shown under the head "Other Current Assets-Schedule K".

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

iii) Provisions for leave encashment have been made in respect of all eligible employees as per the policy of the society.

l. BRLF has been issued with a certificate of 'No deduction of Tax' at source on interest income for the FY 2020-21 by the Income tax department.

m. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2021.

n. Impact of COVID- 19

The novel coronavirus (COVID-19) outbreak which was declared as global pandemic by the World Health Organisation (WHO) on 11th March, 2020 continues to show its presence across the globe including India resulting in significant impact on global and India's economic environment.

The Society has assessed the impact of COVID-19, to the best of its information, on its operations, as well its financial statements, including but not limited to the areas of revenue, costs, operational controls and processes followed, debtors and other assets, as at March 31, 2021. Based on the overall

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

assessment, the Society is of the view that no additional provision needs to be created in its books of account for the year ended March 31, 2021.

Further, there is no material impact on the financial statements due to the changes in the operational controls and processes followed by the Society during the COVID-19 pandemic situation in the country considering the lockdown implemented w.e.f. April, 2021. The Society will however continue to closely monitor any material changes to the future economic conditions that may have any significant impact on its business and financial position.

o. As the Statutory audit of the accounts of the Society for the previous year was carried out by another firm of Chartered Accountants, the current statutory auditors have relied upon the opening balances and comparative previous year figures appearing in the financial Statements.

p. Figures have been rounded off to nearest rupees.

q. Corresponding figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary for better presentation and to make them comparable with the figures of the current year:

(Amount in Rs)

Schedule No	Head of Account	Original Figure	Reclassified	Increase/ (Decrease)
K	**Other Current Assets**	**811,88,426**	**927,54,832**	**115,66,406**
Sub-Head	Grant to Project Partners-Unutilised	168,54,147	2,84,20,553	115,66,406
E	**Liability and Provisions**	**60,94,365**	**176,60,771**	**115,66,406**
Sub-Head	Amount payable to Project Partners	0	115,66,406	115,66,406
F	**Depreciation**	**20,65,082**	**20,00,583**	**(64,500)**
M	**Other Incomes**	**19,15,71,231**	**19,15,06,732**	**(64,500)**
Sub-Head	Miscellaneous Income	1,11,819	47,319	(64,500)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

G.N. Devy	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Operating Officer (Finance)**

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BRLF
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सी–32, द्वितीय तल, रतना विलास, नीति बाग, नई दिल्ली 110049
दूरभाषः 011–46061935 • ईमेलः info@brlf.in • वेबसाइटः www.brlf.in